

## हमारा विज़न

पूरी मूल्य श्रृंखला में भारत तथा विदेश में विद्युत और संबद्ध अवसंरचना क्षेत्रों के लिए एक अग्रणी संस्थागत भागीदार के रूप में उभर कर सामने आना।

## हमारा मिशन

पीएफसी सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त वित्तीय संस्थान होगा; जो दक्ष और अंतर्राष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोत व्यवस्था और सेवा प्रदान करने के तरीकों के साथ वहनीय लागत पर और प्रतिस्पर्धी उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता रहेगा; भारतीय विद्युत क्षेत्र में हो रहे सुधारों में भागीदारी करते हुए और अपने पणधारकों के महत्व को बढ़ाते हुए; भारत तथा विदेशों में विद्युत और संबद्ध क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक निवेश को बढ़ावा देते हुए।

हम यह लक्ष्य एक गतिशील, लचीले, अग्र दृष्टा, विश्वसनीय, सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक ऐसा संगठन होने के नाते प्राप्त करेंगे, जो अपने शेयरधारकों के हितों के प्रति संवेदनशील होगा, हर समय लाभप्रद स्थिति में रहेगा और प्रचालनों में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ अपने विकास की गति को स्थाई बनाए रखेगा।

# विषय—सूची

- 02 संदर्भ सूचना
- 03 एक नज़र में कार्य निष्पादन
- 08 शेयरधारकों के नाम पत्र
- 14 नोटिस
- 78 निदेशकों का प्रोफाईल
- 81 निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वर्ष 2017 -  
2018
- 138 प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण  
रिपोर्ट
- 145 एकीकृत रिपोर्टिंग
- 150 निगमित शासन पर रिपोर्ट
- 172 निगमित शासन पर प्रमाण—पत्र
- 173 व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
- 187 सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- 193 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र  
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- 201 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के  
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- 202 सी एंड एजी की टिप्पणियां
- 203 तुलन पत्र
- 204 लाभ और हानि लेखा
- 205 नकदी प्रवाह विवरण
- 267 समेकित वित्तीय विवरणों पर  
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
- 272 समेकित वित्तीय विवरणों पर सी एंड  
एजी की टिप्पणियां
- 273 समेकित तुलन पत्र
- 275 समेकित लाभ और हानि लेखा
- 276 समेकित नकदी प्रवाह विवरण

## संदर्भ सूचना

### पंजीकृत कार्यालय

ऊर्जानिधि,  
1, बाराखंबा लेन,  
कनॉट प्लेट, नई दिल्ली -110001  
दूरभाष सं. : (91)(11) 23456000  
वेबसाईट: [hp://www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com)

### सहायक कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड  
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  
पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड  
पावर इक्विटी कैपिटल एडवायजरी प्राइवेट लिमिटेड  
छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड  
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड  
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड  
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड  
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड  
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड  
घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड  
तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड  
देवघर मेगा पावर लिमिटेड  
चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड  
उड़ीसा इन्फ्रापावर लिमिटेड  
देवघर इन्फ्रा लिमिटेड, बिहार  
इन्फ्रा पावर लिमिटेड बिहार  
मेगा पावर लिमिटेड  
झारखंड इन्फ्रा पावर लिमिटेड  
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड\* बल्लभगढ़  
जे एन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड\* मोहिंदरगढ़  
भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड\*  
दक्षिण-केंद्रीय पूर्वी दिल्ली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड\*  
बिजावर – विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड\*  
शोंगटोंग करछम – वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड\*

\*पीएफसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

### शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड  
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

### न्यासी / डिपोजीटरी

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड  
सेंट्रल डिपोजीटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

### कंपनी सचिव

श्री मनोहर बलवानी

### लेखापरीक्षक

मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड  
अकाउंटेंट्स  
मैसर्स गांधी मिनोचाएंड कंपनी, चार्टर्ड  
अकाउंटेंट्स

### रजिस्ट्रार तथा शेयर हस्तांतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड  
“कार्वी सेलेनियम टॉवर बी”,  
प्लॉट नम्बर 31 & 32,  
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गच्छीवाउली,  
हैदराबाद - 500 032, आंध्र प्रदेश, भारत  
दूरभाष : +91 40 67162222  
फैक्स : +91 40 23420814  
ई – मेल : [support@karvy.com](mailto:support@karvy.com)  
वेबसाईट : [www.karvycomputershare.com](http://www.karvycomputershare.com)


### बैंकर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  
पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया  
आईसीआईसीआई बैंक  
एचडीएफसी बैंक


## कार्यनिष्पादन – एक नज़र में

	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>I</b>	संसाधन (वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)					
	इक्विटी पूंजी	1320	1320	1320	2640	<b>2640</b>
	भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि	124	111	107	110	<b>116</b>
	आरक्षित और अधिशेष निधि	26055	30899	34446	33830	<b>37221</b>
	ऋण प्राप्त करना :					
(i)	विदेशी मुद्रा ऋण (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	8926	9731	10776	8444	<b>18260</b>
(ii)	बॉण्ड	126505	159393	171137	189743	<b>193829</b>
(iii)	दीर्घकालिक रुपया ऋण	22470	14585	11000	2000	<b>10525</b>
(iv)	अल्पकालिक रुपया ऋण	1314	4064	7572	2401	<b>6925</b>
<b>II</b>	वित्तीयन संबंधी प्रचालन (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ में)					
	स्वीकृत किए गए ऋण	60729	60784	65042	100603	<b>116233</b>
	संवितरित किए गए ऋण	47162	44691	46588	62798	<b>64414</b>
	पीएफसी को ऋणकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान	18822	16284	25826	19592	<b>25135</b>
	पीएफसी द्वारा ऋणप्रदाताओं को पुनर्भुगतान	22231	34188	52735	65007	<b>49214</b>
<b>III</b>	कार्यकारी परिणाम (वर्ष के लिए) (₹ करोड़ में)					
	कुल आय	21538	24907	27564	27019	<b>26738</b>
	कुल व्यय	13979	16529	18504	21909	<b>18411</b>
	कर पूर्व लाभ	7558	8378	9060	5110	<b>8327</b>
	कर संबंधी व्यय	2141	2419	2947	2983	<b>2472</b>
	कर पश्चात लाभ	5418	5959	6113	2126	<b>5855</b>
<b>IV</b>	कर्मचारियों की संख्या	<b>446</b>	<b>450</b>	<b>467</b>	<b>499</b>	<b>498</b>


## स्वीकृत किए गए ऋण




## संचयी रूप से संवितरण क्षेत्रवार



## संवितरित किए गए ऋण




## संचयी रूप से संवितरण अनुशासनवार




\*जिसमें परिवर्तनकालीन वित्त, एलटीएल, बीएलसी आदि शामिल हैं

## कर पूर्व लाभ



₹ करोड़ में



## प्रमुख संसूचकों की तुलना वित्तीय वर्ष 2017 बनाम वित्तीय वर्ष 2018



## वित्तीय वर्ष की प्रमुख विशेषताएं





## शेयरधारकों के नाम पत्र



“यह वर्ष पीएफसी के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा क्योंकि इस दौरान हमारे कारोबार में अब तक की सर्वाधिक मंजूरी और सर्वाधिक संवितरण किया गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि नवीकरणीय क्षेत्र और पुनर्विर्त्तीयन के कारोबार में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके अलावा, ऋण प्राप्त करने के लिए भी उल्लेखनीय ढंग से विविधीकरण किया गया और पहली बार अमेरिकी डॉलर में हरित बॉण्ड जारी कर उन्हें लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, इससे विदेशी मुद्रा ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर बॉण्ड जारी किए गए”

**राजीव शर्मा**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## देवियो और सज्जना,

मुझे आपकी कंपनी की 32वीं वार्षिक आम सभी (बैठक) में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह साझा करना वास्तव में एक विशेषाधिकार और प्रसन्नता का विषय है कि आपकी कंपनी ने व्यवसायिक संचालन के 30 सफल और शानदार वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मैं वित्तपोषण क्षेत्र में प्रमुख ऋणदाताओं (लेंडर्स) में से एक प्रमुख लेंडर के रूप में पीएफसी को यह स्थान दिलाने के लिए इसके पिछले सीएमडी और निदेशकों को धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आय कर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर बांड के माध्यम से धन जुटाने के लिए हमारी कंपनी को अनुमति प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

पिछला वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही सुधार होना शुरू हो गया है क्योंकि माल और सेवा कर, दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम की तरह के ऐतिहासिक सुधारों के परिणाम अब सबके सामने आने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी द्वारा 14 साल में पहली बार वर्ष 2017-18 में भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया गया और उसने अपने दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक के रूप में परिवर्तित किया है। वर्ष के दौरान भारत ने व्यापार करने की सहूलियत (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के आधार पर विश्व बैंक की वैश्विक रैंकिंग में बेहतर उछाल लगाते हुए बहुत ही आकर्षक लाभ कमाया है क्योंकि यह 30 पायदान ऊपर आकर अब शीर्ष 100 श्रेष्ठ निष्पादकों की लीग में प्रवेश कर गया है। विश्व बैंक समूह की नवीनतम रिपोर्ट "व्यापार करने की सहूलियत 2018 : नौकरियों के सृजन के लिए सुधार", में शीर्ष 10 सुधारकों में से एक प्रमुख सुधारक के रूप में भारत को मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि इसने व्यापार करने की सहूलियत के लिए निर्धारित 10 (दस) संकेतकों में से 8 (आठ) संकेतकों को लागू कर दिखाया है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए भारत सरकार की मुद्रा और आवास जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 में जीडीपी विकास दर 7.4% बने रहने का अनुमान लगाया है। इस बीच, विश्व बैंक ने भी वर्ष 2018-19 में भारत के लिए उसका विकास पूर्वानुमान 7.3% और अगले दो वर्षों के लिए 7.5% बने रहने का अनुमान लगाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, भारत का विद्युत क्षेत्र भी एक परिवर्तनकारी दौर से गुज़र रहा है, जिसमें देश के कार्बन फुटप्रिंट को निर्धारित सीमा के भीतर रखने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक समुदाय की लड़ाई का समर्थन करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आवश्यकता को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत पहली बार बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 7,203 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विश्व बैंक की 'बिजली प्राप्त करने में सहूलियत' पर आधारित रैंकिंग में भी भारत की रैंक में सुधार हुआ है और यह वर्ष 2013 में 105

से घटकर अब वर्ष 2018 में 29 हो गई है। सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और सरकार हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए और 31 दिसंबर 2018 तक देश में सार्वभौमिक रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए काम कर रही है। वर्ष 2017 में भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार में के रूप में उभर कर सामने आया है।

हालांकि, पारंपरिक परियोजनाओं को पिछले दो वर्षों के दौरान किसी न किसी तरह की मौसम संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इसकी वजह से आपकी कंपनी के समक्ष काफी कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। हालांकि, आप सभी के साथ यह साझा करते हुए मुझे खुशी है कि संबद्ध असहज क्षेत्रों और समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्याओं के बावजूद भी पीएफसी भारतीय विद्युत क्षेत्र में मुख्य फाइनेंसर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है, जो अभी काफी समय से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परेशानी में डालती आ रही हैं। बदलते व्यापार प्रतिमान के साथ, आपकी कंपनी ने पावर फाइनेंसिंग स्पेस में अपने बर्चस्व (अग्रणी स्थिति) को बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति को पुनः संरचित किया है। हमारी कंपनी ने तेलंगाना की सिंचाई परियोजनाओं में विद्युत घटक और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक उद्यम बनाया है। इसके साथ-साथ, कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संवितरण में 260% की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है और पुनर्वित्तीयन से जुड़े व्यवसाय में लगभग 100% की वृद्धि की है।



पीएफसी के पहले 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉण्ड इश्यू के 'सूचीकरण समारोह' में पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी गण इस इश्यू को लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, आपकी कंपनी ने 5,855 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जिसमें 1,16,233 करोड़ रुपए की उच्चतम ऋण मंजूरी और 64,414 करोड़ रुपए के उच्चतम ऋण संवितरण के साथ ऋण परिसंपत्तियों में 14% की स्वस्थकर दो गुनी वृद्धि दर्ज की गई। ऋण के मोर्चे पर आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 78,000 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में जुटाई और विदेशी मुद्रा ऋणों को लगभग 1.7 अरब डालर तक बढ़ाते हुए अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की, जो वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण के ~14% के बराबर है। इन ऋणों में पीएफसी के 400 मिलियन अमरीकी डालर के पहले ग्रीन इश्यू शामिल थे, जिनका मूल्य निर्धारण एफसीएनआर (बी) ऋणों और सिंडिकेटेड ऋणों की तुलना में बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक रूप से किया गया। आपकी कंपनी ऋण लेने की लागत को कम करने के लिए अपने वर्तमान विदेशी मुद्रा ऋणों का पुनर्वितीयन करने में भी कामयाब रही है। आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के तहत बॉन्ड और पूंजीगत लाभ कर बांड के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटा कर घरेलू ऋण पोर्टफोलियो को भी विविधता प्रदान की गई। घरेलू ऋण 7.37% की मामूली प्रतिस्पर्धी लागत पर जुटाए गए, जो रॉयटर्स की बेंचमार्क दरों से भी कम दर पर लिए गए। इन सभी संयुक्त पहलों के परिणामस्वरूप, निधियों की औसत लागत 23 आधार अंक घटकर 8.41% से 8.18% हो गई।

आपकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक कॉर्पोरेट निकाय है, जो कि स्थायी विकास के लिए परियोजनाएं पूरी करते हुए सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो मुख्य रूप से समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होती हैं। आपकी कंपनी ने सौर ऊर्जा, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में बहुत सी सीएसआर योजनाओं को सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया है और निश्चित रूप से समाज के अन्यथा सक्षम वर्ग के कल्याण के लिए भी अपना योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए के कुल सीएसआर बजट में से, पीएफसी ने 118 करोड़ रु. की राशि संवितरित की है। आपकी कंपनी पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन में भाग ले रही है और इसने स्वच्छ भारत कोश में भी अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ते हुए, पीएफसी का जोर राष्ट्रीय हित की सामाजिक योजनाओं पर भी होगा।

भारत सरकार ने इस क्षेत्र के समक्ष मौजूदा मुद्दों को हल करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मार्च 2018 तक ~20000 करोड़ रुपए के ऋणों का अधिग्रहण और पुनर्गठन कर के ब्याज लाभ की वजह से हुई बचत के साथ डिस्कॉमों के प्रचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में भी सुधार परिलक्षित हुआ है। सरकार का उद्देश्य मार्च 2019 तक एटी और सी हानियों के 18.75% के वर्तमान स्तर को 15% के स्तर तक कम कर के इस लक्ष्य को हासिल करना है।





पीएफसी के सहयोग से विद्युत मंत्रालय ने मुंबई में "निवेशकों के साथ परिचर्चा बैठक" का आयोजन किया। मंच पर बैठे थे: (बाईं ओर से दाईं ओर) श्री दीपक अमिताभ, सीएमडी, पीटीसी, डॉ. पी. वी. रमेश, सीएमडी, आरईसी, श्री गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी, श्री अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव (विद्युत), श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत), डॉ. अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (विद्युत), श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी, श्री आई एस झा, सीएमडी, पावरगिड, श्री बलराज जोशी, सीएमडी, एनएचपीसी और श्री एन एल शर्मा, सीएमडी, एसजेवीएनएल

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) बिजली को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ दिसंबर 2018 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद 28,000 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी जनगणना गांवों के 100% ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है और इसकी वजह से बिजली की मांग और अधिक बढ़ गई है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), जिसके लिए पीएफसी नोडल एजेंसी है, से विद्युत कंपनियों (यूटिलिटी) की बिलिंग और संग्रहण क्षमता में सुधार करने में मदद मिली है और हम ऊर्जा लेखापरीक्षा करने और किसी शहर विशेष की एटी एंड सी हानियों के स्तर का तुरंत पता करने में सक्षम हो गए हैं। एक सामान्य शिकायत संख्या '1912' चालू की गई है जो आज देश की लगभग सभी बिजली कंपनियों में परिचालित है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 दौरान ₹ 2,637 करोड़ और आईपीडीएस के तहत संचयी रूप से ₹ 28,671 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 दौरान ₹ 2,479 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया और आईपीडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य की बिजली कंपनियों को संचयी रूप से ₹ 5139 करोड़ की राशि संवितरित की गई है। आर-एपीडीआरपी के तहत आपकी कंपनी ने भाग-क

आईटी के तहत संचयी रूप से 1,405 कस्बों, भाग-क (एससीएडीए) के तहत 59 कस्बों और आर-एपीडीआरपी के भाग-ख के तहत 1227 कस्बों के लिए 37,523 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 962 करोड़ और आर-एपीडीआरपी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य बिजली कंपनियों के लिए ₹ 11,150 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया।

विद्युत क्षेत्र में तनाव ग्रस्त परिसंपत्तियों के मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार ने तनाव ग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को कोयला उपलब्ध कराने पर बल देते हुए शक्ति योजना शुरू की है। शक्ति योजना के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनके पास पीपीए (PPAs) हैं, परन्तु ईंधन आपूर्ति समझौते नहीं किए गए हैं और इसमें ऐसी परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है, जिनके पास पीपीए (PPAs) नहीं हैं। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन से जुड़ी बिजली कंपनियों में तनाव को खत्म करना है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा तनाव ग्रस्त परियोजनाओं के लिए मध्यावधि पीपीए के लिए भी एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना शुरू की गई है, जिसके लिए हमारी एक सहायक कंपनी अर्थात् पीएफसीसीएल नोडल एजेंसी है और बिना कोई पीपीए वाली कमिशन की जा चुकी परियोजनाओं से तीन साल के लिए बिजली की खरीद के लिए पीटीसी एक समेकक (एग्रीगेटर) है। 1900 मेगावाट के लिए 4.24 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर पात्र बोलीदाताओं से बोलियां प्राप्त हुई थीं। ये पहलें परियोजनाओं को निरंतर आधार पर अपनी बिजली बेचने और लगातार बढ़ते जा रहे तनाव को दूर करने में मदद करेंगी।

'समाधान', 'पारिवर्तन' और 'शक्ति' जैसी योजनाएं शुरू कर के इस क्षेत्र में तनाव से निपटने के लिए अन्य पहलों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने बिजली क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एक उच्च स्तरीय अधिकारिक समिति का गठन किया है जिसमें अन्य प्रमुख अधिकारियों के शामिल होने के साथ-साथ इसका नेतृत्व भारत सरकार के कैबिनेट सचिव द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही, ऋणकर्ताओं के बीच इंटर-क्रेडिटर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कंसोर्टियम में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और इसलिए तनाव के त्वरित समाधान में मदद करेगा।



बीएसई, मुंबई में आयोजित "निवेशकों के साथ परिचर्चा बैठक" में श्री डी. रवि, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री सी गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजनाएं), श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, और श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त)

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक ~175 जीडब्ल्यू अक्षय ऊर्जा (नवीकरणीय) क्षमता जोड़ने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश निहित है। पीएफसी इस व्यापार अवसर के बड़े बाजार हिस्से का लाभ उठाने का लक्ष्य बना रहा है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहती है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कोयला खनन, रेलवे के विद्युतीकरण, स्मार्ट शहरों के बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण करना, ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर परियोजनाओं के लिए बैटरी विनिर्माण इकाइयां, वितरित उत्पादन करने के लिए मिनी और माइक्रो ग्रिड, ऊर्जा कुशलता सुधार के लिए योजनाएं इत्यादि शामिल हैं। आपकी कंपनी कमीशन हो चुकी परिसंपत्तियों के पुनर्वितीयन व्यवसाय का भी लक्ष्य बना रही है।

आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत इस धारणा से उत्पन्न होता है कि सुशासन की मूल आत्मा और आधार पारदर्शिता, जवाबदेही, के सर्वोच्च मानकों, नैतिक (सैद्धांतिक) व्यापार सही मायने में और अच्छी भावना के साथ कानून का अनुपालन, पर्याप्त प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट निष्पक्षता, सामाजिक प्रतिक्रिया/उत्तरदायित्व और हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए संगठन के प्रति वचनबद्धता में निहित होते हैं।

मैं शेयरधारकों के प्रति बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया है और हम पर फिर से विश्वास व्यक्त किया है। मैं माननीय केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपने हृदय की अनंत गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनके समर्थन और सहयोग के लिए निदेशक मंडल, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों के प्रति भी सचमुच आभारी हूँ।

मैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नीति आयोग, सीईए, सी एंड एजी, सांविधिक लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रारों, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों / एजेंसियों के प्रति उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने भागीदारों द्वारा निरंतर और अविश्वसनीय समर्थन की भी सराहना करता हूँ।

अंत में, मुझे अपने सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहिए जिनके निरंतर और अथक प्रयासों के बिना यह संभव ही नहीं हो पाता।



(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00973413



श्री पियुश गोयल, केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री और श्री विजय गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री से प्रतिष्ठित अमर उजाला "सीएसआर पुरस्कार" प्राप्त करते हुए श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, पीएफसी



श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय तथा ईईएसएल के वरिष्ठ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पीएफसी के सीएमडी श्री राजीव शर्मा को इलेक्ट्रिक कार की चाबियां सौंपते हुए श्री आर. के. सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)



## निदेशकों का प्रोफाइल



### श्री राजीव शर्मा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन सं. : 00973413

58 वर्षीय राजीव शर्मा पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। पीएफसी के सीएमडी के रूप में वे पीएफसी के प्रचालनों का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत सरकार की विद्युत क्षेत्र में की जा रही प्रमुख पहलों अर्थात एकीकृत विद्युत विकास योजना, सभी के लिए 24x7 विद्युत, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं और उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना आदि के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

श्री शर्मा के पास जी बी पंत विश्वविद्यालय से बी.टेक (विद्युत) की डिग्री और आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा उनके पास एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से व्यापार प्रशासन में भी मास्टर डिग्री है।

श्री शर्मा के पास विद्युत क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में 33 वर्ष से भी अधिक का कार्य अनुभव है। श्री शर्मा को विद्युत क्षेत्र के लिए नीति निर्माण, सुधार कार्यक्रमों के शुभारंभ और क्रियान्वयन तथा परियोजना कार्यान्वयन आदि के क्षेत्र में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पावरग्रिड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करने का 21 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्हें भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और पुनर्गठित त्वरित विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के आर्किटेक्ट के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा उन्हें विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन का भी 13 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें से विद्युत क्षेत्र की अग्रणी नवरत्न कंपनियों अर्थात पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) में बोर्ड स्तर पर कार्य करने का कम से कम 9 वर्ष का अनुभव शामिल है।

श्री राजीव शर्मा ने 1 अक्टूबर, 2016 से पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार संभाला है। पीएफसी में आने से पहले श्री शर्मा, आरईसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। अपने गतिशील नेतृत्व में श्री शर्मा ने पिछले पांच वर्षों में राजस्व और मुनाफे को दोगुना करके वित्तीय और परिचालनात्मक कार्य निष्पादन के मामले में आरईसी को तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद की है। वह पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के 'सर्वश्रेष्ठ सीईओ' के लिए बिजनेस टुडे की पसंद थे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में वह नाथपा झखरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्श के कार्य से जुड़े थे। एमओपी में उप सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पावरग्रिड की 2000 मेगावाट तालचर-कोलार एचवीडीसी बाईपोल और ताला ट्रांसमिशन सिस्टम (पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। उन्होंने एपीडीआरपी आरजीजीवीवाई के अलावा केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों जैसे टीएचडीसी, नीफ्को, बीबीएमबी और एसजेवीएनएल का काम काज भी देखा है।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 32574 इक्विटी शेयर थे।



## श्री चिन्मय गंगोपाध्याय

निदेशक (परियोजना)

डीआईएन : 2271398

59 वर्षीय श्री चिन्मय गंगोपाध्याय को आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा एफएमएस, नई दिल्ली से एमबीए की डिग्री प्राप्त है। इनका विद्युत क्षेत्र में 37 साल से ज्यादा का अनुभव है, जिसमें एनटीपीएसी, पीएफसी (जिसमें पीएफसीसीएल) शामिल है जैसे सेवा संस्था सम्मिलित हैं। इनका पीएफसी के साथ 29 सालों से ज्यादा का अनुभव है तथा इन्होंने युएमपीपी, आईटीपी तथा इक्विटी और वित्तीय उत्पादों तथा विद्युत क्षेत्र परामर्शक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड में बतौर सीईओ भी अपनी सेवा दी है।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार श्री चिन्मय गंगोपाध्याय के पास कंपनी के 21488 इक्विटी शेयर थे।



### श्री नवीन भूषण गुप्ता

निदेशक (वित्त)

डीआईएन : 00530741

58 वर्षीय श्री नवीन भूषण गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य हैं।

इनका विद्युत क्षेत्र में 31 साल से ज्यादा का अनुभव है तथा इन्होंने एनटीपीएसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इन्हें फंड मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, अकाउंट फाइनेंस, उधार नीतियों, संसाधन मोबिलाइजेशन आदि के क्षेत्रों का बहुत ही गहरा अनुभव रहा है। इन्होंने सितंबर 2005 में पीएफसी में योगदान किया है तथा पीएफसी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के पूर्व पीएफसी में कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार श्री नवीन भूषण गुप्ता के पास 24584 इक्विटी शेयर थे।



### डॉ. अरुण कुमार वर्मा

सरकारी नामिती निदेशक

डीआईएन सं. 02190047

59 वर्षीय डॉ. अरुण कुमार वर्मा 13 अक्टूबर 2015 से पीएफसी में सरकारी नामिती निदेशक के पद पर हैं। वे गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह भौतिकी में मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं तथा एफआरआई एंड सी, देहरादून से इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडेमी (एआईजीएनएफए) के सहायक सदस्य हैं। उनके पास आदिवासी विकास नीति में डॉक्टरेट की डिग्री, भौतिकी और वानिकी में विज्ञान की परास्नातक डिग्री और आईआईएम बैंगलोर से लोक नीति एवं प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा तथा सिरेसस विश्वविद्यालय, यूएसए से मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजनशिप एंड इंटरनेशनल अफेयर की डिग्री है।

इनके पास प्रशासनिक और प्रबंधन का 31 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले इन्होंने विद्युत क्षेत्र में उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, के तौर पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में योगदान करने के पहले ये 29 जुलाई 2011 से 14 नवंबर 2014 तक गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के मंबर सेक्रेटरी तथा विश्व बैंक निधियन इंटीग्रेटेड कोस्ट जोन मैनेजमेंट में बतौर परियोजना निदेशक रहे। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी रह चुके हैं।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के शून्य इक्विटी शेयर थे।



## श्री सीताराम पारीक

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन.: 00165036

66 वर्षीय श्री सीताराम पारीक के पास बी. कॉम, एफसीए, तथा डीआईएसए की डिग्री है। सन् 1975 से ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। ये मैसर्स शारदा एंड प्रतीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई के फाउंडर पार्टनर हैं तथा इनका कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षा, जिसमें सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं, सरकारी कंपनियां, बीमा और एनबीएफसी, गैर लाभ वाले संस्थान इत्यादि में करीब 42 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है।

इन्होंने कंपलायंस ऑफ टैक्सेसन, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, ट्रांसफर प्राइसिंग, आयकर प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व, अपीलीय ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) तथा सेटलमेंट कमीशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों और कार्यों को संभाला है।

ये मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं जो एमएआरडीए तथा रिलायंस एडीए ग्रुप, जो कि मुंबई का पहला मेट्रो रेल परियोजना का संयुक्त उद्यम है। फरवरी 2017 में पीएफसी के निदेशक मंडल में इनकी नियुक्ति हुई थी। वे कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और सीएसआर समिति के भी अध्यक्ष हैं।

31 मार्च 2018 के अनुसार सीए श्री सीताराम पारीक के पास कंपनी का शून्य शेयर था।



## श्रीमती गौरी चौधरी

स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन : 07970522

वर्षीय श्रीमती गौरी चौधरी 3 नवंबर, 2017 से पीएफसी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। वह एमए अंग्रेजी और संगीत प्रभाकर (सितार) हैं।

वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और टेलीफोन सलाहकार बोर्ड (टीएसी) और फिल्म सेंसर बोर्ड की भी सदस्य रही हैं।

31 मार्च 2018 के अनुसार श्रीमती गौरी चौधरी के पास कंपनी का शून्य शेयर था।

## निदेशक मंडल के निदेशकों की रिपोर्ट 2017 – 18

सेवा में,

सदस्यगण,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन पर 32वीं रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

### 1.0 वित्तीय और प्रचालनात्मक विशेषताएं

#### क) लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
कुल आय	26737.74	27018.57	27245.33	27611.29
कर पूर्व लाभ	8326.95	5109.79	8,359.48	5263.69
कर संबंधी व्यय	2471.73	2983.40	2515.37	3027.59
कर पश्चात लाभ	5855.22	2126.39	5844.11	2236.10

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
अधिशेष निधियों का अधिशेष	6903.07	8898.37	7241.55	9144.25
कर पश्चात लाभ	5855.22	2126.39	5844.11	2236.10
आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) (ग) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु आरक्षित निधि	(368.30)	(467.55)	(372.10)	(467.55)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष रूप से सृजित और अनुरक्षित निधि	(1585.24)	(1803.78)	(1595.07)	(1812.97)
डिवेंचर लाभांश आरक्षित निधि में हस्तांतरण	(292.65)	(298.02)	(294.17)	(312.55)
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरण	(1000.00)	(0.00)	(1000.00)	(0.00)
ब्याज अंतर आरक्षित निधि में अंतरण-केएफडब्ल्यू ऋण (निबल)	(57.90)	(0.00)	(57.90)	(0.00)
अंतरिम लाभांश	(2059.26)	(1320.04)	(2059.26)	(1320.04)
अंतरिम लाभांश पर प्रदत्त निगमित लाभांश कर	(404.41)	(268.73)	(414.59)	(268.73)
प्रस्तावित निगमित लाभांश कर	0.00	0.00	0.00	0.00
उपयोगिता के आधार पर डिवेंचर मोचन निधि से हस्तांतरण	0.00	36.40	0.00	36.40
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 – आईसी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	0.00	0.00	(6.37)	(6.03)
वर्ष के दौरान किया गया समायोजन	0.00	0.03	(15.97)	2.75
अधिशेष राशि का इतिशेष	6990.53	6903.07	7263.95	7231.63

(ख) लैडिंग ऑपरेशन (आरएपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
संस्वीकृति	116233	100603
संवितरण	64414	62798

(ग) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) प्रचालन (आर-एपीडीआरपी योजना सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	संचित (मार्च 2018 तक)
स्वीकृत परियोजना लागत		
क. आर – एपीडीआरपी	(433)*	37523
ख. आईपीडीएस	2637	28671
संवितरण		
क. आर – एपीडीआरपी	962	11150
ख. आईपीडीएस	2479	5139

\* नकारात्मक स्वीकृतियां ऋणों के रद्द होने को इंगित करती हैं।

नोट : इसके अलावा जम्मू और काश्मीर पीएमडीपी के अंतर्गत ₹ 273 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18) और ₹ 578 करोड़ (संचयी रूप से) मूल्य की राशियां जारी की गई हैं।

## 2.0 वित्तीय निष्पादन

### 2.1 राजस्व

गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में हासिल की गई ₹ 27,018.57 करोड़ की कुल आय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा हासिल की गई कुल आय ₹ 26,737.74 करोड़ है। गत वर्ष के ₹ 26,737.74 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष प्रचालन आय ₹ 26,414.47 करोड़ रुपए है।

### 2.2 व्यय

पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 21,908.78 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल व्यय ₹ 18,410.79 करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 16,459.27 करोड़ की तुलना में ऋण व्यय सहित वित्तपोषण की लागत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 17,233.01 करोड़ रही। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 में 75.13% की तुलना वित्तीय वर्ष 2017-18 में 93.60% रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 182.76 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रशासनिक व्यय, कार्यालय व्यय, कर्मचारी लाभ व्यय सहित अन्य व्यय ₹ 237.78 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष में .83% के कुल व्यय और 1.11% की वित्तपोषण लागत की तुलना इस वर्ष में क्रमशः 1.29% तथा 1.38% रहा।

### 2.3 लाभ

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 2,126.39 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 5,855.22 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

## 2.4 शेयर पूंजी

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 2,640.08 करोड़ थी। इसमें प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसमें से भारत सरकार के पास 65.92% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

## 2.5 लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2,640.08 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी पर ₹ 5 प्रति इक्विटी शेयर के कुल लाभांश कह तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2,640.08 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर क्रमशः ₹ 6 प्रति इक्विटी शेयर और ₹ 1.80 प्रति इक्विटी शेयर के पहले और दूसरे लाभांश की घोषणा की है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए ₹ 1,320.04 करोड़, जो गत वर्ष के कर पश्चात लाभ के 62.80% का प्रतिनिधित्व करता है, की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि ₹ 2,059.26 करोड़ होती है, जो कर पश्चात लाभ के 35.17% का प्रतिनिधित्व करता है।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आगे और कोई लाभांश की घोषणा करने के लिए सिफारिश नहीं की है। तदनुसार, इस वर्ष के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के @ 78% की दर से अंतरिम लाभांश को अंतिम लाभांश के रूप में माना जाता है।

## 3.0 प्रचालनात्मक निष्पादन

आपकी कंपनी ने राज्य, केन्द्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों (निकायों) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,16,233 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है। जिसमें से ₹ 64,414 करोड़ की राशि उसी अवधि के दौरान संवितरित कर दी गई। इसके साथ 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संचित रूप से मंजूर की गई कुल राशि ₹ 6,78,986 करोड़ तथा संवितरित की गई कुल राशि ₹ 5,19,769 करोड़ रही।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आईपीडीएस योजना के तहत ₹ 2,637 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इसमें से आईपीडीएस योजना के तहत ₹ 2,637 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी योजना के तहत ₹ 962 करोड़ उसी अवधि में संवितरित कर दिए गए। इसके साथ ही संचयी रूप से अनुमोदित परियोजना लागत आईपीडीएस के अंतर्गत ₹ 28,671 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी के तहत ₹ 37,523 करोड़ हो जाती है तथा संचयी रूप से आईपीडीएस के तहत ₹ 5,139 करोड़ तथा आर-एपीडीआरपी के तहत ₹ 11,150 करोड़ का संवितरण किया गया।

### 3.1 वित्तीय सहायता (आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस को छोड़कर)

#### 3.1.1 क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2017-18		मार्च 2018 तक संचयी रूप से	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
राज्य क्षेत्र	86801	42348	487304	370164
केन्द्रीय क्षेत्र	-	905	44849	42958
निजी क्षेत्र	14787	6826	41716	31174
संयुक्त क्षेत्र	14645	14335	105118	75472
<b>जोड़</b>	<b>116233</b>	<b>64414</b>	<b>678986</b>	<b>519769</b>

#### 3.1.2 अनुशासन वार

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2017-18		मार्च 2018 तक संचयी रूप से	
	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृतियां	संवितरण
ताप-विद्युत उत्पादन	37476	21852	317964	245382
जल-विद्युत उत्पादन (> 25 मेगावाट)	7678	1577	46040	34753
नवीनीकरण ऊर्जा	8057	9011	20771	16195
ताप-विद्युत केन्द्रों और जल विद्युत – परियोजनाओं का नवीनीकरण एव आधुनिकीकरण	772	653	13222	10900
पारेषण	11763	3264	64979	35277
वितरण	23549	5721	51566	23790
अल्पावधि ऋण	12767	11143	71438	68059
अन्य*	14171	11193	93007	85413
<b>जोड़</b>	<b>116233</b>	<b>64414</b>	<b>678986</b>	<b>519769</b>

\*अन्य में, संधिकालिक वित्तपोषण, मध्यावधि ऋण, नियामक परिसंपत्तियों का निधियन, क्रेताओं की ऋण सीमा (लाइन ऑफ़ क्रेडिट), उपस्कर विनिर्माण ऋण, ईंधन संसाधनों का विकास, बांडों के मोचन (रिडेम्पशन) के लिए ऋण, परियोजना समाधान, पीएक्सआएल के जरिए विद्युत क्रय, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए ऋण, प्राप्त होने वाली धनराशियों के सापेक्ष ऋण, बिल में छूट, अध्ययन, पूर्व –निवेश निधि, तकनीकी सहायता परियोजना, विकेंद्रीकृत प्रबंध, आदि शामिल हैं।



### 3.2 आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

योजना	2017-18		मार्च 2018 तक संचयी रूप से	
	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण *	अनुमोदित परियोजना लागत	संवितरण *
आर-एपीडीआरपी				
भाग क (आईटी)	(8)	329	5375	3726
भाग क (एससीएडीए )	(305)	79	1251	591
भाग ख	(121)	555	30897	6833
आर-एपीडीआरपी – जोड़	<b>(433)</b>	<b>962</b>	<b>37523</b>	<b>11150</b>
आईपीडीएस				
आईपीडीएस	2637	2479	28671	5139

\* उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी की फीस के रूप में / विभिन्न समर्थकारी कार्यकलापों के लिए ₹ 48 करोड़ की राशि जारी की गई, इसके अलावा आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत पीएफसी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति सहित भाग-ग के अंतर्गत ₹ 49 करोड़ की राशि जारी की गई। विद्युत मंत्रालय द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी के शुल्क के रूप में / समर्थकारी कार्यकलापों के लिए समेकित रूप से ₹ 125 करोड़ की राशि और आर – एपीडीआरपी के भाग-ग के अंतर्गत ₹ 413 करोड़ की राशि जारी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत एमओपी के साथ स्वीकृत एमओयू लक्ष्य और वर्ष के दौरान प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	एमओयू के मानदंड	वर्ष 2016 – 17		वर्ष 2017 – 18	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) के जरिए ऊर्जा की निगरानी (फीडरों की संख्या)	6752	7292	31147	31687
2	आर – एपीडीआरपी भाग – ख कार्यों का पूर्ण होना (कस्बे)	400	404	1183	1187
3	एससीएडीए प्रणाली का पूर्ण होना (कस्बे)	6	7	24	25
4	टीपीआईए सत्यापन का कार्य पूर्ण होना (राज्यों में)	8	9	14	15
5	आईपीडीएस (सर्कलों) के अंतर्गत सर्कल में कार्यों का अधिनिर्णय	250	261	473	484
6	क्षमता निर्माण (कार्य दिवस)	2000	16011	-	-

#### 4.0 वसूली

आपकी कंपनी विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे कि रुपए सावधि ऋणों, कार्यशील पूंजी, लीज फाइनेंसिंग, विदेशी मुद्रा ऋणों, उपस्कर वित्तपोषण एवं गारंटी फीस के लिए ऋणों के अंतर्गत अपने मूलधन, ब्याज आदि की बकाया राशि की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मूलधन, ब्याज आदि की वास्तविक वसूली का प्रतिनिधित्व कुल कार्यशील ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में अधिदेय ऋणों द्वारा भली भांति किया जाता है, जो वर्तमान वित्त वर्ष में 0.14% है।

वर्ष के दौरान कंपनी की गैर निष्पादन ऋण परिसंपत्तियों में ₹ 746 करोड़ की वृद्धि हुई है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 तक अपने वार्षिक लेखाओं में ऋण परिसंपत्तियों की तुलना में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए ₹ 6,103 करोड़ की कुल राशि का प्रावधान किया है। एनपीए के लिए प्रावधान करने के पश्चात निवल गैर निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर ₹ 20,600 करोड़ रिकार्ड किया गया है जो 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों का 7.39% है।

उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार मानक परिसंपत्तियों तथा पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए क्रमशः ₹ 1,338 करोड़ तथा ₹ 1,404 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे बफर प्रावधान उपलब्ध करवाकर पीएफसी का तुलन पत्र सुदृढ़ होगा और आपकी कंपनी में निवेशकों, नियामकों और अन्य पणधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा।

## 5.0 पुनर्गठित ऋण

वर्ष 2017 – 18 के दौरान पुनर्गठित ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2016-17
पुनर्गठित मानक ऋण	कर्जदारों की संख्या	6	11
	बकाया राशि	6384.41	36,445.60
पुनर्गठित उप – मानक ऋण	कर्जदारों की संख्या	6	-
	बकाया राशि	8,696.16	-
पुनर्गठित संदेहास्पद ऋण	कर्जदारों की संख्या	-	-
	बकाया राशि	-	-
जोड़	कर्जदारों की संख्या	12	11
	बकाया राशि	15,080.57	36,445.60

उपर्युक्त में से बाद में 02 ऋणकर्ताओं में ₹ 6196.99 करोड़ की राशि का पुनर्गठन किया गया है।

## 6.0 ऋण की राशियां

### 6.1 जमा राशियां

आपकी कंपनी एक गैर जमाकर्ता एनबीएफसी है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान इसने कोई भी सार्वजनिक राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

### 6.2 घरेलू बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
	वाणिज्यिक कागजात	26,737.02
	बांड – निजी नियोजन (कर योग्य)	28,301.00
	बांड – निजी स्थापन / नियोजन (सुरक्षित पूंजीगत लाभ – धारा 54 ईसी)	292.15
	आवधिक ऋण	11,725.00
	जोड़	67,055.17

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी दिनांक 8 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 47/2017/ फा. सं. 370142/18/2017-टीपीएल के माध्यम से पीएफसी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत बांड जारी कर निधियां जुटाने के लिए अनुमति प्रदान की है। अधिसूचना के अनुपालन में आपकी कंपनी ने दिनांक 3 जुलाई, 2017 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पीएफसी कैपिटल गेन एक्जेम्पशन बांड की पहली सीरीज़ लांच की। इसके अलावा निजी प्लेसमेंट के द्वारा भारत सरकार का पूर्णतः सेवा बांड जारी करके 5000 करोड़ रूपए अर्जित किए गए। ये बांड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले डिबेंचर की प्रकृति में सुरक्षित, मोचनयोग्य, अ-परिवर्तनीय, गैर-संचयी कर योग्य बांड के रूप में जारी किए गए हैं। इन बांडों का सब्सक्रिप्शन 31 मार्च, 2018 तक खुला हुआ था।

### 6.3 नकद क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएं

अपने दिन प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए आपकी कंपनी ने निधि आधारित संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए विवेकपूर्ण रणनीतियों का अनुपालन जारी रखा। किसी भी वित्तीय तरलता को हैज करने के लिए या उस कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालिक निधियन हेतु विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आपकी कंपनी को 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार ₹ 17,100 करोड़ तक की बड़ी क्रेडिट लाइनें स्वीकृत की गईं, जिसके लिए सदुपयोग की सीमाओं के मद में कोई प्रतिबद्धता प्रभार लागू नहीं होता है।

### 6.4 बाह्य स्रोतों / बाजार से ऋण

वित्तीय वर्ष 2017 – 18 के दौरान घरेलू बाजार से लिए गए प्रमुख ऋण निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	राशि
1.	हरित बॉड	2,541.24
2.	सिंडीकेट ऋण	5,182.25
3.	एफसीएनआर (बी) ऋण*	2,962.51
	जोड़	<b>10,686.00</b>

\* कृपया नोट करें कि उपर्युक्त आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार "बाह्य ऋणों" के रूप में अर्हक नहीं है।

32वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
सीआईएन L65910DL1986GOI024862  
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण		टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
क	इक्विटी एवं देयताएं					
(1)	शेयरधारकों की निधियां					
	(i) शेयर पूंजी	क-1	2,640.08		2,640.08	
	(ii) आरक्षित एवं आधिक्य	क-2	37,220.59	39,860.67	33,830.13	36,470.21
(2)	गैर वर्तमान देयताएं					
	(i) दीर्घावधिक ऋण	क-3				
	प्रतिभूत		13,350.64		20,106.17	
	अप्रतिभूत		1,78,148.04	1,91,498.68	1,54,735.19	1,74,841.36
	(ii) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	ग-26		300.90		250.51
	(iii) अन्य दीर्घावधिक देयताएं	क-4		5,917.82		6,142.58
	(iv) दीर्घावधिक प्रावधान	क-5		2,245.82		2,662.83
(3)	वर्तमान देयताएं					
	(i) अल्पावधिक ऋण	क-3				
	प्रतिभूत		0.00		2,400.79	
	अप्रतिभूत		6,924.74		0.00	
	(ii) अन्य वर्तमान देयताएं					
	(क) दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-3				
	प्रतिभूत		7,050.94		3.70	
	अप्रतिभूत		24,063.99		25,342.19	
	(ख) अन्य अल्पावधिक देयताएं	क-4	7,879.18		8,420.17	
	(iii) अल्पावधिक प्रावधान	क-5	722.43	46,641.28	1,927.11	38,093.96
	कुल			2,86,465.17		2,58,461.45
ख	परिसंपत्तियाँ					
(1)	गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
	(i) अचल परिसंपत्तियाँ	क-6				
	(क) मूर्त परिसंपत्तियां		109.03		106.51	
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास		45.09	63.94	44.63	61.88
	(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां		9.46		8.95	
	घटाएं : संचित परिशोधन		8.57	0.89	8.26	0.69
	(ग) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ			0.00		0.00
	(ii) कुल - वर्तमान निवेश	क-7				
	व्यापार		465.60		465.60	
	अन्य		800.00	1,265.60	1,800.00	2,265.60
	(iii) दीर्घावधिक ऋण	क-8				
	प्रतिभूत		1,55,786.78		1,38,306.30	
	अप्रतिभूत		79,033.75	2,34,820.53	62,026.71	2,00,333.01
	(iv) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	क-9		5,891.71		5,568.49

(2)	वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(i) वर्तमान निवेश	क-10	1,070.76		1,325.53	
	(ii) नकदी एवं बैंक शेष	क-11	553.20		3,573.15	
	(iii) अल्पावधिक ऋण	क-8				
	प्रतिभूत		6,351.65		1,490.49	
	अप्रतिभूत		5,083.77		4,468.71	
	(iv) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-8				
	प्रतिभूत		21,429.53		28,635.13	
	अप्रतिभूत		5,126.68		5,241.68	
	(ख) अन्य	क-9	4,806.91	44,422.50	5,497.09	50,231.78
	कुल			2,86,465.17		2,58,461.45

लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां  
लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां

भाग ख  
भाग ग

भाग (क) से भाग (ग) के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-  
(मनोहर बलवानी)  
कंपनी सचिव

हस्ता/-  
(एन वी गुप्ता)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

हस्ता/-  
(राजीव शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण संख्या - 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या - 000458N
स्थान : नई दिल्ली	हस्ता/-	हस्ता/-
तिथि : 25 मई, 2018	(सीए एम के अग्रवाल) भागीदार	(सीए भूपेंद्र सिंह) भागीदार
	सदस्यता संख्या - 014956	सदस्यता संख्या - 092867

विविधीकरण के माध्यम से उत्कृष्टता की खोज करना  
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
सीआईएन L65910DL1986GOI024862

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
I.	प्रचालनों से राजस्व	क-12				
	व्याज		25,820.86		26,270.08	
	अन्य प्रचालन आय		271.37		321.11	
	अन्य वित्तीय सेवाएं		322.24	26,414.47	316.34	26,907.53
II.	अन्य आय					
	अन्य आय	क-13		323.27		111.04
III.	कुल आय (I + II)			26,737.74		27,018.57
IV.	व्यय					
	वित्त लागत	क-14		17,204.85		16,432.69
	उधार लेने पर व्यय	क-15		28.16		26.58
	कर्मचारी लाभ व्यय	क-16		166.78		114.97
	प्रावधान	ग-12		560.83		5,101.08
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	क-10		254.51		(7.51)
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	क-6		6.41		5.56
	सीएसआर व्यय	ग-18		118.18		166.15
	अन्य व्यय	क-17		71.00		67.79
	पिछली अवधि की मदे (निवल)	क-18		0.07		1.47
	कुल व्यय			18,410.79		21,908.78
V.	आपवादिक एवं असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)			8,326.95		5,109.79
VI.	आपवादिक मदे			0.00		0.00
VII.	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (V-VI)			8,326.95		5,109.79
VIII.	असाधारण मदे			0.00		0.00
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			8,326.95		5,109.79
X.	कर व्यय					
	(1) वर्तमान कर					
	वर्तमान वर्ष		2,421.76		3,074.39	
	पिछले वर्ष		(0.42)	2,421.34	(0.09)	3,074.30
	(2) आस्थगित कर देयता (+) / परिसंपत्ति (-)	ग-26		50.39		(90.90)
XI.	सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX - X)			5,855.22		2,126.39
XII.	10 रुपए प्रत्येक के सम मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर अर्जन	ग-27				
	बुनियादी (रुपए)			22.18		8.05
	तनुकृत (रुपए)			22.18		8.05

लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

भाग ख

लेखाओं पर अन्य टिप्पणियां

भाग ग

भाग (क) से भाग (ग) के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हस्ता/-  
(मनोहर बलवानी)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
हस्ता/-  
(एन वी गुप्ता)

हस्ता/-  
(राजीव शर्मा)

कंपनी सचिव

निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण संख्या - 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या - 000458N
स्थान : नई दिल्ली	हस्ता/-	हस्ता/-
तिथि : 25 मई, 2018	(सीए एम के अग्रवाल) भागीदार	(सीए भूपेंद्र सिंह) भागीदार
	सदस्यता संख्या - 014956	सदस्यता संख्या - 092867

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
सीआईएन L65910DL1986GOI024862  
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
	कर तथा असाधारण मद पूर्व निवल लाभ		8,326.95	5,109.79
	जोड़ें : निम्नलिखित के लिए समायोजन -			
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)		0.42	0.16
	निवेशों की बिक्री पर लाभ	क-13	(0.78)	(0.50)
	मूल्यहास / परिशोधन (पिछली अवधि का मूल्यहास सहित)	क-6	6.41	5.78
	जीरो कूपन बांडों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन		(66.41)	99.49
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि		229.55	221.48
	डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	क-14	132.45	(178.15)
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		254.51	(7.51)
	प्रावधान	सी 12	560.83	5,101.08
	निवेश पर लाभांश	क-13	(146.32)	(93.77)
	सीएसआर व्यय		0.00	166.15
	ब्याज सव्बिडी निधि		6.31	2.22
	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान		0.00	0.69
	प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं एवं प्रावधान	क-13	(164.92)	(0.12)
	सेवानिवृत्ति लाभ / अन्य कल्याण व्यय / मजदूरी में संशोधन के लिए प्रावधान		72.39	18.59
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ :		9,211.39	10,445.38
	बढ़ोतरी / कमी :			
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)		(33,387.74)	(6,939.35)
	अन्य परिसंपत्तियां		13.78	(4,625.63)
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा	क-2(ग)(v)	(1.09)	92.18
	देयताएं एवं प्रावधान		(746.51)	6,347.39
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		(24,910.17)	5,319.97
	असाधारण मदें		0.00	0.00
	प्रचालनों से कर पूर्व नकदी अंतर प्रवाह / बाह्य प्रवाह		(24,910.17)	5,319.97
	अदा किया गया आयकर		(2,619.53)	(3,302.04)
	आयकर रिफंड		1.36	68.61
	प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(27,528.34)	2,086.54
II.	निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
	मूर्त / अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री / समायोजन		0.23	0.09
	मूर्त / अमूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	क-6	(9.32)	(4.51)
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी	क-6	0.00	(0.02)
	निवेश पर लाभांश		146.23	93.77



	अन्य निवेशों की खरीद / बिक्री		1,001.04		(564.55)	
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी			1138.18		(475.22)
III.	वित्त पोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :					
	बांडों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)		4,046.30		18,570.20	
	दीर्घावधिक ऋणों की उगाही (निवल)		8,525.00		(9,000.00)	
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)		9,584.90		(2,559.98)	
	कमर्शियल पेपर (निवल)		7,030.00		(5,350.00)	
	सावधि जमा राशियों के विरुद्ध ऋण / कार्यकारी पूंजी मांग ऋण / ओडी / सीसी / लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)		(2,400.79)		115.59	
	दावा रहित बांड (निवल)		3.41		(3.32)	
	दावा रहित लाभांश (निवल)		1.20		(0.29)	
	पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान		0.00		(79.20)	
	वर्तमान / पिछले वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान*		(2,505.30)		0.00	
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान		(471.59)		(217.64)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			23,813.13		1,475.36
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / कमी			(2,577.03)		3,086.68
	जोड़ें : वित्त वर्ष के शुरु में नकदी एवं नकदी समतुल्य			3,114.74		28.06
	वित्त वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य			537.71		3,114.74
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा :	क-11				
(i)	चालू खातों में शेष :					
	भारतीय रिजर्व बैंक में		0.02		0.02	
	अनुसूचित बैंकों में		4.74	4.76	42.84	42.86
(ii)	हस्तगत चेक			0.00		0.00
(iii)	डाक प्राधिकरण के साथ अग्रदाय			0.00		0.00
(iv)	अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (3 माह तक मूल परिपक्वता)			532.95		3,071.88
	उप जोड़ (I)			537.71		3,114.74
	वर्ष के अंत में निर्धारित नकदी एवं बैंक शेष का ब्यौरा	क-11				
(i)	बांड, लाभांश आदि पर ब्याज के भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष			11.04		458.41
(ii)	आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी					
	अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष			4.45		0.00
	उप जोड़ (II)			15.49		458.41
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य (I+II)			553.20		3,573.15

\*31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1320.04 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश प्रावधान में से 874 करोड़ रुपए भारत सरकार को अदा किए गए अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किए गए हैं तथा शेष 446.04 करोड़ रुपए का भुगतान वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-  
(मनोहर बलवानी)

हस्ता/-  
(एन वी गुप्ता)

हस्ता/-  
(राजीव शर्मा)

कंपनी सचिव

निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार फर्म
	फर्म पंजीकरण संख्या - 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या - 000458N
	हस्ता/-	हस्ता/-
स्थान : नई दिल्ली	(सीए एम के अग्रवाल)	(सीए भूपेंद्र सिंह)
तिथि : 25 मई, 2018	भागीदार	भागीदार
	सदस्यता संख्या - 014956	सदस्यता संख्या - 09286

टिप्पणी - भाग क - 1

शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
क	अधिकृत :		
	10 रुपए प्रत्येक के सम मूल्य के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रत्येक के सम मूल्य के 10,00,00,00 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	कुल	10,000.00	10,000.00
बी	जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
	10 रुपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर)	2,640.08	2,640.08
	कुल	2,640.08	2,640.08

टिप्पणियां :

- वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है और न ही किसी शेयर की पुनः खरीद की है।
- कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं तथा प्रत्येक शेयर का सम मूल्य 10 रुपए है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।
- 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार विमोच्य तरजीही शेयर शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।
- वर्ष के दौरान ईएसओपी योजना के तहत कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया है।
- कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक पर सूचना :

धारकों का नाम		31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण का प्रतिशत	65.92	66.35
	धारित शेयरों की संख्या	1,74,02,16,107	1,75,16,31,394
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण का प्रतिशत	5.96	8.65
	धारित शेयरों की संख्या	15,74,76,305	22,82,52,101

- वर्ष के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित 1,14,15,287 इक्विटी शेयर भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) को अंतरित किया है।
- तुलन पत्र की तिथि से ठीक पिछले 5 वर्षों की अवधि के लिए बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए गए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी संबंधी सूचना :

विवरण	जारी किए गए शेयरों की संख्या	जारी करने का वर्ष
10 रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों का राइट्स इश्यू का निर्गम जो 1:1 के अनुपात में वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप मूल्य पर जारी किया गया	1,32,00,40,704	2016-17

**टिप्पणी - भाग क - 2**  
**आरक्षित निधि एवं आधिक्य**

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
(क)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता				
	प्रारंभिक शेष	2,776.54		4,096.58	
	घटाएं : बोनस निर्गम के लिए उपयोग	0.00	2,776.54	1,320.04	2776.54
(ख)	डिबेंचर मोचन आरक्षित (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 4(क) देखें)				
	प्रारंभिक शेष	1,434.17		1,172.55	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	292.65		298.02	
	घटाएं : उपयोग के कारण आधिक्य को अंतरित	0.00	1,726.82	36.40	1,434.17
(ग)	अन्य				
(i)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiia) (ग) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	3,014.69		2,547.14	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	368.30	3,382.99	467.55	3,014.69
(ii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत वित्त वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित		599.85		599.85
(iii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत वित्त वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	14,310.69		12,506.91	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	1,585.24	15,895.93	1,803.78	14,310.69
(iv)	सामान्य आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	5,438.68		5,364.33	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	1,000.00		0.00	
	जोड़ें : अभिलाभ - डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.00	6,438.68	74.35	5,438.68
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 5(ग) देखें)				
	प्रारंभिक शेष	(647.56)		(739.74)	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(1.09)	(648.65)	92.18	(647.56)
(vi)	ब्याज विभेद आरक्षित - केएफडब्ल्यू ऋण				
	प्रारंभिक शेष	0.00		0.00	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण (निवल)*	57.90	57.90	0.00	0.00
(घ)	आधिक्य				
	प्रारंभिक शेष	6,903.07		8,898.37	
	जोड़ें : वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	5,855.22		2,126.39	
	घटाएं : आरक्षित को / से अंतरित				
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiia) (ग) के तहत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित को अंतरित	368.30		467.55	
	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित को अंतरित	1,585.24		1,803.78	
	डिबेंचर मोचन आरक्षित को अंतरित	292.65		298.02	
	सामान्य आरक्षित को अंतरित	1000.00		0.00	
	ब्याज विभेद आरक्षित - केएफडब्ल्यू ऋण (निवल)* को अंतरित	57.90		0.00	
	घटाएं : लाभांश एवं कॉरपोरेट लाभांश कर				

	अंतरिम लाभांश (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 28(क) देखें)	2,059.26		1,320.04	
	अंतरिम लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	404.41		268.73	
	वर्ष के दौरान समायोजन				
	जोड़ें : उपयोग के कारण डिबेंचर मोचन आरक्षित से अंतरण	0.00		36.40	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया समायोजन	0.00	6,990.53	0.03	6,903.07
	कुल (क) + (ख) + (ग) + (घ)		37,220.59		33,830.13

\* 1.51 करोड़ रुपए के उपयोग के कारण आधिक्य को अंतरित (पिछले वर्ष शून्य)

### टिप्पणी - भाग क - 3

#### ऋण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
(क)	दीर्घावधिक ऋण						
I.	प्रतिभूत						
	बांड						
	अवसंरचना बांड (टिप्पणी संख्या I देखें)	40.94	243.38	284.32	3.70	281.06	284.76
	कर मुक्त बांड (टिप्पणी संख्या II देखें)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	12,275.11	12,275.11
	अन्य कराधेय बांड (टिप्पणी संख्या III देखें)	7,010.00	540.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00
	पूजी अभिलाभ कर छूट बांड (टिप्पणी संख्या IV देखें)	0.00	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ (I)	7,050.94	13,350.64	20,401.58	3.70	20,106.17	20,109.87
II.	अप्रतिभूत						
(क)	बांड						
	अन्य बांड / डिबेंचर (टिप्पणी संख्या V एवं VI देखें)	21,705.00	1,47,921.95	1,69,626.95	24,155.40	1,41,678.10	1,65,833.50
	सबार्डिनेटेड बांड (टिप्पणी संख्या VII देखें)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी संख्या VIII देखें)	0.00	2,607.00	2,607.00	1,167.30	0.00	1,167.30
		21,705.00	1,54,328.95	1,76,033.95	25,322.70	1,45,478.10	1,70,800.80
(ख)	विदेशी मुद्रा ऋण						
	विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) (टिप्पणी संख्या IX देखें)	21.19	180.29	201.48	19.49	184.74	204.23
	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) (टिप्पणी संख्या X देखें)	0.00	12,462.05	12,462.05	0.00	7,072.35	7,072.35
	विदेशी मुद्रा ऋण (बैंकों से एफसीएनआर(बी)) (टिप्पणी	2,337.80	651.75	2,989.55	0.00	0.00	0.00

	संख्या XI देखें)						
		2,358.99	13,294.09	15,653.08	19.49	7,257.09	7,276.58
(ग)	रुपया सावधि ऋण						
	रुपया सावधि ऋण (बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से) (टिप्पणी संख्या XII एवं XIII देखें)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	उप जोड़ (II)	24,063.99	1,78,148.04	2,02,212.03	25,342.19	1,54,735.19	1,80,077.38
(ख)	अल्पावधिक ऋण						
	एफडी के विरुद्ध ऋण (बैंकों से)	0.00	0.00	0.00	2,400.79	0.00	2,400.79
	उप जोड़ (I)	0.00	0.00	0.00	2,400.79	0.00	2,400.79
II.	अप्रतिभूत						
	कमर्शियल पेपर (टिप्पणी संख्या XIV देखें)	6,924.74	0.00	6,924.74	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ (II)	6,924.74	0.00	6,924.74	0.00	0.00	0.00
	कुल (क) + (ख)	38,039.67 2,29,538.35	1,91,498.68	2,29,538.35	27,746.68	1,74,841.36	2,02,588.04

टिप्पणियां :

1. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया अवसंरचना बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बांड सीरीज	आवंटन की तिथि	ब्याज दर प्रतिवर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	मोचन की तिथि	मोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
1	अवसंरचना बांड 86 सी सीरीज	30 मार्च, 2012	8.72 प्रतिशत	0.87	30 मार्च, 2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीया।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के	100 प्रतिशत
2	अवसंरचना बांड 86 डी सीरीज	30 मार्च, 2012	8.72 प्रतिशत	2.40	30 मार्च, 2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीया।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें विल्ट वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
3	अवसंरचना बांड 86 ए सीरीज	30 मार्च, 2012	8.43 प्रतिशत	7.39	30 मार्च, 2022	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीया।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के	100 प्रतिशत
4	अवसंरचना बांड 86 ए सीरीज	30 मार्च, 2012	8.43 प्रतिशत	15.47	30 मार्च, 2022	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीया।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें विल्ट वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
5	अवसंरचना बांड (2011 12) सीरीज-I	21 नवंबर, 2011	8.50 प्रतिशत	21.85	21 नवंबर, 2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीया।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर	100 प्रतिशत
6	अवसंरचना बांड (2011 12) सीरीज-II	21 नवंबर, 2011	8.50 प्रतिशत	36.34	21 नवंबर, 2021	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीया।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर विशिष्ट प्रभार पहले सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
7	अवसंरचना बांड (2010 11) सीरीज-1	31 मार्च, 2011	8.30 प्रतिशत	49.95	31 मार्च, 2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीया।	जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	100 प्रतिशत
8	अवसंरचना बांड (2010 11) सीरीज-2	31 मार्च, 2011	8.30 प्रतिशत	109.11	31 मार्च, 2021	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीया।	कंपनी के 3,090.80 करोड़ रुपए के विशिष्ट वही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
9	अवसंरचना बांड (2011-12) सीरीज-III	21 नवंबर, 2011	8.75 प्रतिशत	3.23	22 नवंबर, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीया।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर	100 प्रतिशत
10	अवसंरचना बांड (2011 12) सीरीज-IV	21 नवंबर, 2011	8.75 प्रतिशत	8.83	22 नवंबर, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को तथा एक दिन वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीया।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर विशिष्ट प्रभार पहले सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
11	अवसंरचना बांड (2010 11) सीरीज-3	31 मार्च, 2011	8.50 प्रतिशत	6.13	1 अप्रैल, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन	जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ 31	100 प्रतिशत

						की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के 3,090.80 करोड़ रुपए के
12	अवसंरचना बांड (2010 11) सीरीज-4	31 मार्च, 2011	8.50 प्रतिशत	22.75	1 अप्रैल, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को तथा एक दिन वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।	विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत।
		कुल		284.32			







42	कर मुक्त बांड सीरीज 94 ए	29 नवंबर, 2012	7.21 प्रतिशत	255.00	22 नवंबर, 2022	विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, अंतर्निहित प्रतिभूति के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियां / ऋण परिसंपत्तियां।	
43	कर मुक्त बांड (2011-12) ट्रांचे - I - सीरीज I	1 फरवरी, 2012	8.20 प्रतिशत	2,752.55	01-02-2022	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
44	कर मुक्त बांड सीरीज 80 ए	25 नवंबर, 2011	8.09 प्रतिशत	334.31	25 नवंबर, 2021	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
45	कर मुक्त बांड सीरीज 79 ए	15 अक्टूबर, 2011	7.51 प्रतिशत	205.23	15 अक्टूबर, 2021		
		कुल		12,275.11			

### III. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया अन्य कराधेय बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बांड सीरीज	आवंटन की तिथि	ब्याज दर प्रतिवर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	मोचन की तिथि	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
46	कराधेय बांड सीरीज 112 सी	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2021	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
47	कराधेय बांड सीरीज 112 बी	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2020	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
48	कराधेय बांड सीरीज 113	03 मार्च, 2014	9.69 प्रतिशत	2,240.00	03 मार्च, 2019	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
49	कराधेय बांड सीरीज 112 ए	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2019	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
50	कराधेय बांड सीरीज 109	07 अक्टूबर, 2013	9.81 प्रतिशत	4,500.00	07 अक्टूबर, 2018	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
		कुल		7,550.00			

**IV. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया पूंजी अभिलाभ कर मुक्त बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

51	पीएफसी पूंजी अभिलाभ बांड सीरीज 1 (2017-18)	राशि (करोड़ रुपए में)	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर 5.25 प्रतिशत मोचनीय	292.15	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
	कुल	292.15		

**V. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार जीरो कूपन बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बांड सीरीज	अंकित मूल्य (करोड़ रुपए में)	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
	जीरो कूपन अप्रतिभूत कराधेय बांड 2022-XIX सीरीज (231.55 करोड़ रुपए के अपरिशोधित ब्याज का निवल)	750.00	30 दिसंबर, 2022	518.45

**VI. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कराधेय बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बांड सीरीज	कूपन रेट	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 1930	192.70
2	सीरीज 66-सी	8.85 प्रतिशत	15 जून, 1930	633.00
3	सीरीज 118-बी-III	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2029	460.00
4	सीरीज 103	8.94 प्रतिशत	25 मार्च, 2028	2,807.00
5	सीरीज 102-ए(III)	8.90 प्रतिशत	18 मार्च, 2028	403.00
6	सीरीज 101-बी	9.00 प्रतिशत	11 मार्च, 2028	1,370.00
7	सीरीज 172	7.74 प्रतिशत	29 जनवरी, 2028	850.00
8	सीरीज 171	7.62 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2027	5,000.00
9	सीरीज 170बी	7.65 प्रतिशत	22 नवंबर, 2027	2,001.00
10	सीरीज 169बी	7.30 प्रतिशत	07 अगस्त, 2027	1,500.00
11	सीरीज 112बी	7.44 प्रतिशत	11 जून, 2027	1,540.00
12	सीरीज 155	7.23 प्रतिशत	05 जनवरी, 2027	2,635.00
13	सीरीज 152	7.55 प्रतिशत	25 सितंबर, 2026	4,000.00
14	सीरीज 112बी	7.56 प्रतिशत	16 सितंबर, 2026	210.00
15	सीरीज 77-बी	9.45 प्रतिशत	01 सितंबर, 2026	2,568.00
16	सीरीज 150बी	7.63 प्रतिशत	14 अगस्त, 2026	1,675.00
17	सीरीज 76-बी	9.46 प्रतिशत	01 अगस्त, 2026	1,105.00
18	सीरीज 147	8.03 प्रतिशत	02 मई, 2026	1,000.00
19	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2025	192.70
20	सीरीज 141-बी	8.40 प्रतिशत	18 सितंबर, 2025	1,000.00
21	सीरीज 66-बी	8.75 प्रतिशत	15 जून, 2025	1,532.00

22	सीरीज 65	8.70 प्रतिशत	14 मई, 2025	1,337.50
23	सीरीज 130-सी	8.39 प्रतिशत	19 अप्रैल, 2025	925.00
24	सीरीज 64-III	8.95 प्रतिशत	30 मार्च, 2025	492.00
25	सीरीज 131-सी	8.41 प्रतिशत	27 मार्च, 2025	5,000.00
26	सीरीज 63-III	8.90 प्रतिशत	15 मार्च, 2025	184.00
27	सीरीज 128	8.20 प्रतिशत	10 मार्च, 2025	1,600.00
28	सीरीज 62-बी	8.80 प्रतिशत	15 जनवरी, 2025	1,172.60
29	सीरीज 126	8.65 प्रतिशत	04 जनवरी, 2025	5,000.00
30	सीरीज 125	8.65 प्रतिशत	28 दिसंबर, 2024	2,826.00
31	सीरीज 61	8.50 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2024	351.00
32	सीरीज 124-सी	8.48 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2024	1,000.00
33	सीरीज 120-ए	8.98 प्रतिशत	08 अक्टूबर, 2024	961.00
34	सीरीज 120-बी	8.98 प्रतिशत	08 अक्टूबर, 2024	950.00
35	सीरीज 118-बी-II	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2024	460.00
36	सीरीज 117-बी	9.37 प्रतिशत	19 अगस्त, 2024	855.00
37	सीरीज 57-सी	8.60 प्रतिशत	07 अगस्त, 2024	866.50
38	सीरीज 85-डी	9.26 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2023	736.00
39	सीरीज 102-ए-(II)	8.90 प्रतिशत	18 मार्च, 2023	403.00
40	सीरीज 102-बी	8.87 प्रतिशत	18 मार्च, 2023	70.00
41	सीरीज 100-बी	8.84 प्रतिशत	04 मार्च, 2023	1,310.00
42	सीरीज 176बी	7.99 प्रतिशत	20 दिसंबर, 2022	1,295.00
43	सीरीज 170ए	7.35 प्रतिशत	22 नवंबर, 2022	800.00
44	सीरीज 92-सी	9.29 प्रतिशत	21 अगस्त, 2022	640.00
45	सीरीज 169ए	7.10 प्रतिशत	08 अगस्त, 2022	3,395.00
46	सीरीज 91-बी	9.39 प्रतिशत	29 जून, 2022	2,695.20
47	सीरीज 168ए	7.28 प्रतिशत	10 जून, 2022	1,950.00
48	सीरीज 88-सी	9.48 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2022	184.70
49	सीरीज 154	7.27 प्रतिशत	22-12-2021	1,101.00
50	सीरीज 124-बी	8.55 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2021	1,200.00
51	सीरीज 123-सी	8.66 प्रतिशत	27 नवंबर, 2021	200.00
52	सीरीज 153	7.40 प्रतिशत	30 सितंबर, 2021	1,830.00
53	सीरीज 78-बी	9.44 प्रतिशत	23 सितंबर, 2021	1,180.00
54	सीरीज 151ए	7.47 प्रतिशत	16 सितंबर, 2021	2,260.00
55	सीरीज 150ए	7.50 प्रतिशत	16 अगस्त, 2021	2,660.00
56	सीरीज 76-ए	9.36 प्रतिशत	01 अगस्त, 2021	2,589.40
57	सीरीज 115-III	9.20 प्रतिशत	07 जुलाई, 2021	700.00
58	सीरीज 75-सी	9.61 प्रतिशत	29 मई, 2021	2,084.70
59	सीरीज 74	9.70 प्रतिशत	09 जून, 2021	1,693.20
60	सीरीज 28	8.85 प्रतिशत	31 मई, 2021	600.00
61	सीरीज 146	8.05 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2021	300.00
62	सीरीज 73	9.18 प्रतिशत	15-04-2021	1,000.00
63	सीरीज 175	7.75 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2021	600.00
64	सीरीज 173बी	7.73 प्रतिशत	05 अप्रैल, 2021	1,325.00
65	सीरीज 173ए	7.73 प्रतिशत	12 मार्च, 2021	505.00
66	सीरीज 72-बी	8.99 प्रतिशत	15 जनवरी, 2021	1,219.00
67	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2020	192.70
68	सीरीज 70	8.78 प्रतिशत	15-11-2020	1,549.00
69	सीरीज 141-ए	8.46 प्रतिशत	18 सितंबर, 2020	1,000.00

70	सीरीज 163	7.50 प्रतिशत	17 सितंबर, 2020	2,435.00
71	सीरीज 140-बी	8.36 प्रतिशत	04 सितंबर, 2020	1,250.00
72	सीरीज 138	8.45 प्रतिशत	10 अक्टूबर, 2020	1,000.00
73	सीरीज 137	8.53 प्रतिशत	24 जुलाई, 2020	2,700.00
74	सीरीज 68-बी	8.70 प्रतिशत	15 जुलाई, 2020	1,424.00
75	सीरीज 167	7.30 प्रतिशत	30 जून, 2020	1,560.00
76	सीरीज 165	7.42 प्रतिशत	26 जून, 2020	3,605.00
77	सीरीज 66-ए	8.65 प्रतिशत	15 जून, 2020	500.00
78	सीरीज 166	7.46 प्रतिशत	05 जून, 2020	1,180.00
79	सीरीज 149	8.04 प्रतिशत	30 मई, 2020	100.00
80	सीरीज 159	7.05 प्रतिशत	15 मई, 2020	2,551.00
81	सीरीज 65	8.70 प्रतिशत	14 मई, 2020	1,337.50
82	सीरीज 131-बी	8.38 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2020	1,350.00
83	सीरीज 130-बी	8.42 प्रतिशत	18 अप्रैल, 2020	200.00
84	सीरीज 157	6.83 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2020	2,000.00
85	सीरीज 85-सी	9.30 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2020	79.50
86	सीरीज 64-II	8.95 प्रतिशत	30 मार्च, 2020	492.00
87	सीरीज 87-डी	9.42 प्रतिशत	20 मार्च, 2020	650.80
88	सीरीज 63-II	8.90 प्रतिशत	15 मार्च, 2020	184.00
89	सीरीज 100-ए	8.86 प्रतिशत	04 मार्च, 2020	54.30
90	सीरीज 127	8.36 प्रतिशत	26 फरवरी, 2020	4,440.00
91	सीरीज 99-बी	8.82 प्रतिशत	20 फरवरी, 2020	733.00
92	सीरीज 176ए	7.53 प्रतिशत	20 जनवरी, 2020	1,500.00
93	सीरीज 62-ए	8.70 प्रतिशत	15 जनवरी, 2020	845.40
94	सीरीज 61	8.50 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2019	351.00
95	सीरीज 124-ए	8.52 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2019	1,220.00
96	सीरीज 123-बी	8.65 प्रतिशत	28 नवंबर, 2019	836.00
97	सीरीज 60-बी	1 YINCMTBMK+179 bps (चल दर)	20 नवंबर, 2019	925.00
98	सीरीज 122	8.76 प्रतिशत	07 नवंबर, 2019	1,000.00
99	सीरीज 121-B	8.96 प्रतिशत	21 अक्टूबर, 2019	1,100.00
100	सीरीज 59-बी	8.80 प्रतिशत	15 अक्टूबर, 2019	1,216.60
101	सीरीज 119-बी	9.32 प्रतिशत	17 सितंबर, 2019	1,591.00
102	सीरीज 118-बी-I	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2019	460.00
103	सीरीज 57-बी	8.60 प्रतिशत	07 अगस्त, 2019	866.50
104	सीरीज 115-II	9.15 प्रतिशत	07 जुलाई, 2019	100.00
105	सीरीज 135-बी	8.50 प्रतिशत	29 जून, 2019	1,500.00
106	सीरीज 174	7.80 प्रतिशत	07 जून, 2019	3,300.00
107	सीरीज 148	7.95 प्रतिशत	13 मई, 2019	1,915.00
108	सीरीज 145	7.85 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2019	2,928.00
109	सीरीज 143	8.12 प्रतिशत	28 फरवरी, 2019	700.00
110	सीरीज 98-III	8.72 प्रतिशत	08 फरवरी, 2019	324.00
111	सीरीज 82-सी	9.70 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2018	2,060.00
112	सीरीज 52-सी	11.25 प्रतिशत	28 नवंबर, 2018	1,950.60
113	सीरीज 142-बी	8.00 प्रतिशत	22 अक्टूबर, 2018	1,000.00
114	सीरीज 51-सी	11.00 प्रतिशत	15 सितंबर, 2018	3,024.40
115	सीरीज 140-ए	8.28 प्रतिशत	04 सितंबर, 2018	1,930.00
116	सीरीज 139-सी	8.17 प्रतिशत	18 अगस्त, 2018	800.00

117	सीरीज 49-बी	10.85 प्रतिशत	11 अगस्त, 2018	428.60
118	सीरीज 161	6.90 प्रतिशत	16 जुलाई, 2018	1,850.00
119	सीरीज 162	6.90 प्रतिशत	16 जुलाई, 2018	1,060.00
120	सीरीज 48-सी	10.55 प्रतिशत	15 जुलाई, 2018	259.70
121	सीरीज 135-ए	8.40 प्रतिशत	29 जून, 2018	1,210.00
122	सीरीज 130-ए	8.40 प्रतिशत	19 जून, 2018	1,175.00
123	सीरीज 129-ए	8.29 प्रतिशत	13 जून, 2018	980.00
124	सीरीज 129बी	8.29 प्रतिशत	13जून, 2018	100.00
125	सीरीज 47-सी	9.68 प्रतिशत	09 जून, 2018	780.70
126	सीरीज 134-बी	8.39 प्रतिशत	28 मई, 2018	1,500.00
127	सीरीज 132-बी	8.09 प्रतिशत	16 मई, 2018	200.00
128	सीरीज 131-ए	8.34 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2018	100.00
129	सीरीज 132-ए	8.03 प्रतिशत	09 अप्रैल, 2018	272.00
			कुल*	1,69,108.50

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 5.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.60 करोड़ रुपए) के बांड पीएफसी लिमिटेड एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा धारित हैं और 0.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) पीएफसी लिमिटेड एंप्लॉई ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

#### VII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अप्रतिभूत सबॉर्डिनेटेड बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बांड सीरीज	कूपन रेट	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सबॉर्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	9.70 प्रतिशत	21 फरवरी, 2024	2,000.00
2	सबॉर्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	9.65 प्रतिशत	13 जनवरी, 2024	1,000.00
3	सबॉर्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	8.19 प्रतिशत	14 जून, 2023	800.00
			कुल	3,800.00

#### VIII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	3.75 प्रतिशत यूएसडी ग्रीन बांड 2027	3.75 प्रतिशत	06 दिसंबर, 2027	2,607.00
			कुल	2,607.00

#### IX. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
1	केएफडब्ल्यू I ऋण - जिस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 जून एवं 31 दिसंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 जून, 2035 को देय होगी।	53.04
2	एडीबी (नया ऋण) - जिस पर 6एम यूएसडी लिबोर + 0.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चल ब्याज देय है जो हर साल 15 अप्रैल एवं 15 अक्टूबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 15 अक्टूबर, 2028 को देय होगी।	87.36
3	क्रेडिट नेशनल फाइनेंस - जिस पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 जून एवं 31 दिसंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 जून, 2028 को देय होगी।	61.08
	कुल	201.48

टिप्पणी : एडीबी (नया ऋण) के मामले में एडीबी द्वारा रीसेट के समय चर रिबेट की पेशकश की गई है।



**X. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से बकाया सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	एसएलएन XXIII	6एम यूएसडी लिबोर + 0.65 प्रतिशत	22 मार्च, 2023	1,629.38
2	एसएलएन XXII	6एम यूएसडी लिबोर + 0.70 प्रतिशत	28 फरवरी, 2023	1,629.37
3	एसएलएन XXI	6एम यूएसडी लिबोर + 0.70 प्रतिशत	12 दिसंबर, 2022	1,955.25
4	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	04 नवंबर, 2022	895.27
5	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	08 नवंबर, 2021	895.27
6	एसएलएन XXIV-(III)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	24 सितंबर, 2021	977.62
7	एसएलएन XXIV-(II)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	26 मार्च, 2021	977.62
8	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	06-11-2020	895.27
9	एसएलएन XXIV-(I)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	28 सितंबर, 2020	977.62
10	एसएलएन XVI	6एम यूएसडी लिबोर + 1.55 प्रतिशत	04 दिसंबर, 2019	1,629.38
			कुल	12,462.05

**XI. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों से बकाया एफसीएनआर (बी) ऋणों ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)	3एम यूएसडी लिबोर + 1.95 प्रतिशत	26 अप्रैल, 2019	651.75
2	एसबीआई एफसीएनआर(बी)	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	28 मार्च, 2019	1,629.38
3	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी) - II	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	22 फरवरी, 2019	201.32
4	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी) - I	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	15 फरवरी, 2019	507.10
			कुल	2,989.55

**XII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया रुपया मियादी ऋणों (बैंकों से) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	विजया बैंक	7.90 प्रतिशत	13 मार्च, 2023	1,000.00
2	एचडीएफसी बैंक	7.95 प्रतिशत	30 सितंबर, 2020	750.00
3	आंध्रा बैंक	7.90 प्रतिशत	30 सितंबर, 2019	277.07
4	आंध्रा बैंक	7.90 प्रतिशत	29 सितंबर, 2019	1,722.93
5	विजया बैंक	7.90 प्रतिशत	05 सितंबर, 2019	1,000.00
6	इलाहाबाद बैंक	7.85 प्रतिशत	28 मई, 2019	2,000.00
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85 प्रतिशत	30 अप्रैल, 2019	2,000.00
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85 प्रतिशत	19 अप्रैल, 2019	1,000.00
			कुल	9,750.00

**XIII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया रुपया मियादी ऋणों (वित्तीय संस्थाओं से) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	संस्था का नाम	31 मार्च 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.70 प्रतिशत	30 सितंबर, 2019	775.00



**XIV. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया कमर्शियल पेपर का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सीपी सीरीज 90	6.65 प्रतिशत	10 अगस्त, 2018	1,925.00
2	सीपी सीरीज 94	7.00 प्रतिशत	25 जून, 2018	2,000.00
3	सीपी सीरीज 93बी	7.40 प्रतिशत	15 जून, 2018	1,100.00
4	सीपी सीरीज 85	6.80 प्रतिशत	15 मई, 2018	1,105.00
5	सीपी सीरीज 93ए	7.30 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2018	900.00
	घटाएं - अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*			(105.26)
			कुल	6,924.74

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कमर्शियल पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 105.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) है।

**टिप्पणी - भाग क - 4**  
**अन्य दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक देयताएं**

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
(i)	भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10(क) देखें)	1.95	114.05	116.00	3.59	106.10	109.69
(ii)	ब्याज विभेद निधि - केएफडब्ल्यू\$	0.00	0.00	0.00	0.00	63.88	63.88
iii	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम / उनको देय राशि (उस पर वदेय ब्याज सहित) (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 8(क)(ii) देखें)	196.63	268.88	465.51	193.38	249.04	442.42
(iv)	अन्य बांड (देय राशि- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बांड)*						
	(क) मूलधन	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	38.21	0.00	38.21	38.21	0.00	38.21
	उप जोड़ (I)	236.79	5,382.93	5,619.72	235.18	5,419.02	5,654.20
(v)	प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज :						
	बांडों पर	7,320.79	141.87	7,462.66	7,226.02	288.23	7,514.25
	ऋणों पर	66.35	0.00	66.35	27.14	0.00	27.14
	उप जोड़ (II)	7,387.14	141.87	7,529.01	7,253.16	288.23	7,541.39
(vi)	अदत्त / दावारहित						
	बांड	3.93	0.00	3.93	0.52	0.00	0.52
	बांडों पर ब्याज	14.10	0.00	14.10	14.17	0.00	14.17
	लाभांश	2.63	0.00	2.63	1.43	0.00	1.43
	उप जोड़ (III)	20.66	0.00	20.66	16.12	0.00	16.12
vii	अन्य	234.59	393.02	627.61	915.71	435.33	1,351.04
	उप जोड़ (IV)	234.59	393.02	627.61	915.71	435.33	1,351.04
	कुल योग (I+II+III+IV)	7,879.18	5,917.82	13,797.00	8,420.17	6,142.58	14,562.75

**टिप्पणी :**

\$ ब्याज विभेद निधि - केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर वर्तमान वर्ष में केएफडब्ल्यू को व्युत्क्रमित किया गया है।

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कराधेय बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

बांड सीरीज	आवंटन की तिथि	कूपन रेट	मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1. पीएफसी बांड सीरीज 164-भारत सरकार से पूर्णतः सेवित बांड	22 मार्च, 2017	7.75 प्रतिशत	22 मार्च, 2027	2,000.00
2. पीएफसी बांड सीरीज 160-भारत सरकार से पूर्णतः सेवित बांड	20 फरवरी, 2017	7.60 प्रतिशत	20 फरवरी, 2027	1,465.00
3. पीएफसी बांड सीरीज 158-भारत सरकार से पूर्णतः सेवित बांड	20 जनवरी, 2017	7.18 प्रतिशत	20 जनवरी, 2027	1,335.00
4. पीएफसी बांड सीरीज 156-भारत सरकार से पूर्णतः सेवित बांड	11 जनवरी, 2017	7.10 प्रतिशत	11 जनवरी, 2027	200.00
कुल				5,000.00

**टिप्पणी - भाग क - 5**  
**प्रावधान - दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
I. कर्मचारी लाभ						
कर्मचारियों का आर्थिक पुनर्वास	0.18	1.49	1.67	0.17	1.46	1.63
छुट्टी नकदीकरण	1.34	19.88	21.22	1.78	28.90	30.68
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.35	4.91	11.26	3.98	4.92	8.90
उपदान / अधिवर्षिता निधि	1.57	0.00	1.57	1.28	0.00	1.28
प्रस्तावित वेतन संशोधन	48.94	0.00	48.94	9.94	0.00	9.94
बोनस / प्रोत्साहन	11.18	0.00	11.18	5.58	0.00	5.58
उप जोड़ (I)	69.56	26.28	95.84	22.73	35.28	58.01
II. अन्य						
आयकर (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05
विवाद के अधीन कर मांगों के लिए प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 3 देखें)	0.00	129.97	129.97	0.00	118.39	118.39
सीएसआर व्यय (भाग ग - लेखाओं पर अन्य नोट की टिप्पणी संख्या 18 देखें)	0.00	0.00	0.00	100.20	0.00	100.20
मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क)(i) देखें)	411.29	926.98	1,338.27	99.96	457.88	557.84
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क)(ii) देखें)	241.58	1,162.59	1,404.17	317.00	2,039.23	2,356.23
अंतरिम लाभांश (भाग ग - लेखाओं पर अन्य नोट की टिप्पणी संख्या 28(क) देखें)	0.00	0.00	0.00	1,320.04	0.00	1,320.04
अंतरिम लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	67.18
उप जोड़ (II)	652.87	2,219.54	2,872.41	1,904.38	2,627.55	4,531.93
कुल योग (I+II)	722.43	2,245.82	2,968.25	1,927.11	2,662.83	4,589.94

टिप्पणी : भाग क - 6  
अचल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास					निवल ब्लाक		
	01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धियां / समायोजन	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च, 2018 को अंत शेष	01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए	समायोजन	पिछली अवधि के समायोजन	बही से बेची गई / बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	31 मार्च, 2018 को अंत शेष	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च 2017 को
I. मूर्त परिसंपत्तियां*:												
स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
भूमि (फ्रीहोल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
भूमि (लीजहोल्ड)**	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
बिल्डिंग	24.92	0.00	0.00	24.92	10.43	0.71	0.00	0.00	0.00	11.14	13.78	14.49
ईडीपी उपकरण	15.16	3.92	2.01	17.07	13.01	2.71	0.06	0.00	1.86	13.92	3.15	2.15
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	17.21	3.25	4.14	16.32	14.08	2.34	0.06	0.00	3.82	12.66	3.66	3.13
फर्नीचर और फिक्सचर	7.77	1.64	0.14	9.27	6.97	0.32	0.01	0.00	0.09	7.21	2.06	0.80
वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.06
कुल	106.51	8.81	6.29	109.03	44.63	6.10	0.13	0.00	5.77	45.09	63.94	61.88
पिछला वर्ष	105.13	4.51	3.13	106.51	42.57	4.72	0.00	0.22	2.88	44.63	61.88	
II. अमूर्त परिसंपत्तियां*:												
क्रय साफ्टवेयर	8.95	0.51	0.00	9.46	8.26	0.31	0.00	0.00	0.00	8.57	0.89	0.69
पिछला वर्ष	8.77	0.18	0.00	8.95	7.42	0.84	0.00	0.00	0.00	8.26	0.69	

III.	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछला वर्ष	0.16	0.02	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

\*भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 21 देखें।

\*\*भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 23 देखें।

**टिप्पणी : भाग क - 7**  
**कुल - वर्तमान निवेश**

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		संख्या		राशि	संख्या		राशि
दीर्घावधिक ऋण							
(क)	व्यापार निवेश (अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त - जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)						
I.	इक्विटी लिखत (उद्धृत)						
	- लागत पर मूल्यांकित						
	पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000		12.00	1,20,00,000		12.00
II.	इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)*						
	- लागत पर मूल्यांकित (घटाएं : ह्रास, यदि कोई हो, अस्थायी से भिन्न)						
	पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	3.22		32,20,000	3.22	
	घटाएं : ह्रास के लिए प्रावधान		3.22	0.00		3.22	0.00
	एनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7(क) देखें)	14,65,00,000		146.50	14,65,00,000		146.50
	सहायक कंपनियां (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7(क) देखें) (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7(क) देखें)	10,09,50,000		100.95	10,09,50,000		100.95
III.	तरजीही शेयर (अनुद्धृत)*						
	- लागत पर मूल्यांकित						
	सहायक कंपनी के 10 प्रतिशत पूर्णतः परिवर्तनीय तरजीही शेयर (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7(क) देखें)	20,00,00,000		200.00	20,00,00,000		200.00
IV.	अन्य (अनुद्धृत)*						
	केएसके इनवेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की निधि "स्माल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटें**	61,52,200		6.15	61,52,200		6.15
	उप जोड़ (I)			465.60			465.60
(ख)	अन्य निवेश - बांड (उद्धृत) (अंकित मूल्य 10,00,000)						

	रुपए प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त - जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)						
	आंध्रा बैंक के 8000 (पिछले वर्ष : देना बैंक के 10,000 बांड और आंध्रा बैंक के 8000 बांड)	8,000		8,000	18,000		1,800.00
	उप जोड़ (II)			800.00			1,800.00
	कुल योग (I+II)			1,265.60			2,265.60

**टिप्पणियां :**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सकल उद्धृत निवेश		
निवल बही मूल्य	812.00	1,812.00
बाजार मूल्य***	904.88	1,912.08
सकल अनुद्धृत निवेश		
निवल बही मूल्य	453.60	453.60
मूल्य में कटौती के लिए सकल प्रावधान	3.22	3.22

\*अनुद्धृत निवेश होने के कारण बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

\*\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनएवी 10.17 रुपए प्रति यूनिट (31 मार्च, 2017 को 10.24 रुपए प्रति यूनिट) है। एनएवी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।

\*\*\*आंध्रा बैंक के 8000 बांड एनएसई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं, तथापि, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनएसई प्लेटफार्म पर बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है और 31 मार्च, 2018 तक बाजार में बांडों का व्यापार नहीं हुआ है। तदनुसार, उपर्युक्त बांडों के अंकित मूल्य को बाजार मूल्य माना गया है।



टिप्पणी : भाग क - 8

ऋण\*

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार					
	वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल		वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल	
(क) दीर्घावधिक ऋण												
I प्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जेवी ऋणग्राहियों तथा राज्य सरकारों को रुपया मियादी ऋण (आरटीएल)	14,332.17		1,28,297.24		1,42,629.41		18,719.04		91,769.20		1,10,488.24	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल	1,911.33		11,023.49		12,934.82		6,630.50		22,578.26		29,208.76	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	0.00		0.00		0.00		5.03		0.00		5.03	
क्रेता ऋण	118.58		1,372.38		1,490.96		67.48		1,376.96		1,444.44	
ऋणग्राहियों को पट्टा विल पोषण	0.00		0.00		0.00		8.62		185.70		194.32	
उपकरण विनिर्माताओं को आरटीएल		16,428.11	857.77	1,41,550.88	923.80	1,57,978.99	18.95	25,449.62	870.05	1,16,780.17	889.00	1,42,229.79
66.03												
(ख) अन्य												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को आरटीएल - एनपीए	311.41		4,704.49		5,015.90		2,323.18		21,064.92		23,388.10	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		279.23	500.58	4,203.91	532.76	4,483.14	328.58	1,994.60	2,134.66	18,930.26	2,463.24	20,924.86
32.18												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल - एनपीए	6,576.18		11,340.22		17,916.40		1,689.43		3,237.05		4,926.48	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		4,605.08	1,466.88	9,873.34	3,437.98	14,478.42	527.87	1,161.56	708.42	2,528.63	1,236.29	3,690.19
1,971.10												
ऋणग्राहियों को पट्टा विल पोषण**	18.04		176.28		194.32		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		16.24	17.63	158.65	19.43	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल - एनपीए	201.75		0.00		201.75		58.70		134.48		193.18	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		100.87	0.00	0.00	100.88	100.87	29.35	29.35	67.24	67.24	96.59	96.59
100.88												
उप जोड़ (I)		21,429.53		1,55,786.78		1,77,216.31		28,635.13		1,38,306.30		1,66,941.43
II. अप्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र	4,040.49		63,821.72		67,862.21		3,799.06		57,954.91		61,753.97	

		उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को रुपया मियादी ऋण (आरटीएल)#												
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल	539.69		14,464.39		15,004.08		1,127.87		3,413.96		4,541.83	
		क्रेता ऋण#		4,642.21	74.97	78,361.08	137.00	83,003.29	72.35	4,999.28	70.17	61,439.04	142.52	66,438.32
			62.03											
	(ख)	अन्य												
		राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को आरटीएल - एनपीए#	0.00		0.00		0.00		269.33		373.83		643.16	
		घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	242.40	127.20	246.63	154.13	489.03
			0.00											
		स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल - एनपीए	1,518.79		1,058.62		2,577.41		369.85		828.95		1,198.80	

टिप्पणी : भाग क - 8  
अन्य परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

वर्ण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार						
	वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)	गैर वर्तमान		कुल	वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)	गैर वर्तमान		कुल					
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	1,060.82	457.97	697.55	361.07	1,758.37	819.04	369.85	0.00	828.95	0.00	1,198.80	0.00
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल - एनपीए	39.23		0.00		39.23		0.00		61.91		61.91	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00	61.91	0.00	61.91	0.00
		39.23											
	उप जोड़ (II)		5,100.18		78,722.15		83,822.33		5,241.68		61,685.67		66,927.35
	कुल क (I+II)		26,529.71		2,34,508.93		261,038.64		33,876.81		1,99,991.97		2,33,868.78
वांड													
I	अप्रतिभूत वांड / डिबेंचर												
	राज्य विद्युत निगमों से वांड / डिबेंचर		0.00		311.60		311.60		0.00		311.60		311.60
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से वांड / डिबेंचर - एनपीए***	29.44		0.00		29.44		0.00		29.44		29.44	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		26.50	0.00	0.00	2.94	26.50	0.00	0.00	0.00	29.44	0.00	29.44
		2.94											
	कुल ख		26.50		311.60		338.10		0.00		341.04		341.04
अल्पावधिक ऋण													
I	प्रतिभूत ऋण												
(क)	अच्छा माना गया												
	राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य विद्युत निगमों को कार्यकारी पूंजी ऋण		6,123.12		0.00		6,123.12		1,467.91		0.00		1,467.91
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण		212.46		0.00		212.46		22.58		0.00		22.58
(ख)	अन्य												
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण - एनपीए	17.86		0.00		17.86		0.00		0.00		0.00	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		16.07	0.00	0.00	1.79	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.79											
	उप जोड़ (I)		6,351.65		0.00		6,351.65		1,490.49		0.00		1,490.49
II	अप्रतिभूत ऋण												
(क)	अच्छा माना गया												
	राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों तथा सरकारी कंपनियों को कार्यकारी पूंजी ऋण#	4,543.96		0.00		4,543.96		3,806.69		0.00		3,806.69	

	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण		4,582.63	0.00	0.00	38.67	4,582.63	516.73	4,323.42	0.00	0.00	516.73	4,323.42
		38.67											
(ख)	अन्य												
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण - एनपीए	364.89		0.00		364.89		0.00		0.00		0.00	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान		328.40	0.00	0.00	36.49	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		36.49											
	अन्य ऋण - एनपीए\$	345.47		0.00		345.47		290.58		0.00		290.58	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	172.73	172.74	0.00	0.00	172.73	172.74	145.29	145.29	0.00	0.00	145.29	145.29
	उप जोड़ (II)		5,083.77		0.00		5,083.77		4,468.71		0.00		4,468.71
	कुल ग (I + II)		11,435.42		0.00		11,435.42		5,959.20		0.00		5,959.20
	कुल योग (क+ख+ग)		37,991.63		2,34,820.53		2,72,812.16		39,836.01		2,00,333.01		2,40,169.02

\*\*भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क) देखें

\*\*भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9(क) देखें

#संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 24,335.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23,353.40 करोड़ रुपए) का प्रत्याभूत ऋण

\$ राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई काउंटर गारंटी

\*\*\*निर्गम के अधीन बांड (वर्तमान वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत)

टिप्पणी - भाग क - 9  
अन्य परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार					
	वर्तमान		गैर वर्तमान		कुल		वर्तमान		गैर वर्तमान		कुल	
क ऋण एवं अग्रिम												
I ऋण (अच्छे समझे गए)*												
(क) कर्मचारियों को (प्रतिभूत)	2.09		9.79		11.88		2.25		11.94		14.19	
(ख) कर्मचारियों को (अप्रतिभूत)	10.19	12.28	45.53	55.32	55.72	67.60	9.76	12.01	48.22	60.16	57.98	72.17
II अग्रिम (अप्रतिभूत, अच्छा माना गया)												
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए अग्रिम												
(क) सहायक कंपनियों को (उस पर वसूली योग्य ब्याज सहित) (भाग ग- लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 8 (क) (i) देखें)	324.73		147.17		471.90		262.04		133.72		395.76	
(ख) कर्मचारियों को*	1.06		0.01		1.07		0.82		0.01		0.83	
(ग) पूर्वदत्त व्यय	2.04		0.00		2.04		1.95		0.00		1.95	

	(घ)	अन्य	294.03		156.77		450.80		1,226.78		6.31		1,233.09	
	(ड.)	अग्रिम आयकर तथा स्रोत पर कर कटौती (निवल)	0.00		368.94		368.94		0.00		162.08		162.08	
	(च)	विवादग्रस्त मांग पर जमा किया गया कर	73.11		138.13		211.24		33.16		183.79		216.95	
	(छ)	प्रतिभूति जमा	0.55	695.52	0.30	811.32	0.85	1,506.84	0.42	1,525.17	0.38	486.29	0.80	2,011.46
ख		भारत सरकार द्वारा पूर्णतः चुकता किए गए बांड के कारण वसूली योग्य राशि (अप्रतिभूत, अच्छा माना गया)												
	(क)	मूलधन	0.00		5,000.00		5,000.00		0.00		5,000.00		5,000.00	
	(ख)	ब्याज	38.21	38.21	0.00	5,000.00	38.21	5,038.21	38.21	38.21	0.00	5,000.00	38.21	5,038.21
ग)		अन्य परिसंपत्तियाँ												
	I	प्रोद्भूत परंतु अदेय :												
	(क)	ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज	3,967.99		0.00		3,967.99		3,723.25		0.00		3,723.25	
	(ख)	कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज	0.76		25.07		25.83		0.60		22.04		22.64	
	(ग)	डिपॉजिट एवं निवेश पर ब्याज	9.93	3,978.68	0.00	25.07	9.93	4,003.75	30.33	3,754.18	0.00	22.04	30.33	3,776.22
	II.	प्रोद्भूत एवं देय :												
		ऋणों पर प्रोद्भूत एवं देय आय	82.22	82.22	0.00	0.00	82.22	82.22	167.52	167.52	0.00	0.00	167.52	167.52
घ)		ऋण एवं अग्रिम (अप्रतिभूत - अन्य) (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(ख)(i) देखें)												
		गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ (एनपीए)	2.51		0.00		2.51		16.40		0.00		16.40	
		घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00
		कुल		4,806.91		5,891.71		10,698.62		5,497.09		5,568.49		11,065.58

\*इसमें शामिल है :

विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शेष	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार शेष
केएमपी को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (भाग ग - लेखाओं पर अन्य नोट की टिप्पणी संख्या 6 देखें)	0.52	0.50

**टिप्पणी - भाग क - 10**  
**वर्तमान निवेश**

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		संख्या	राशि		संख्या	राशि	
I.	इक्विटी लिखत (उद्धृत) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य पूर्णतः प्रदत्त) - लागत के निम्नतर स्तर या बाजार मूल्य पर श्रेणी के लिए मूल्यांकित						
	पीजीसीआईएल (लागत कीमत 52 रुपए प्रति शेयर)	3,89,349	2.02		4,39,349	2.28	
	आरईसी लिमिटेड (लागत कीमत 52.50 रुपए प्रति शेयर)	95,904	0.50		0.50	95,904	
	कोल इंडिया लिमिटेड (लागत कीमत 358.58 रुपए प्रति शेयर)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
	एनएचपीसी लिमिटेड (लागत कीमत 21.78 रुपए प्रति शेयर)	26,05,42,051	567.50		26,05,42,051	567.50	
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर ह्रास के लिए प्रावधान (उद्धृत)		0.00	1070.76		0.00	1071.02
II.	इक्विटी लिखत (ऋणी कंपनियां) (अनुद्धृत) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य पूर्णतः प्रदत्त) - टिप्पणी भाग - ख - लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों के पैरा 5.2 के अनुसरण में मूल्यांकित						
	श्री महेश्वर हाइडिल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीए ऋणी)	13,18,46,779	66.10		13,18,46,779	66.10	
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर ह्रास के लिए प्रावधान (अनुद्धृत)		66.10	0.00		66.10	0.00
	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड*		27,50,00,000	275.00		27,50,00,000	275.00
	घटाएं : इक्विटी लिखतों पर ह्रास के लिए प्रावधान (अनुद्धृत)		275.00	0.00		20.49	254.51
	कुल			1,070.76			1,325.53

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
सकल उद्धृत निवेश		
निवल बही मूल्य	1,070.76	1,071.02
बाजार मूल्य	1,126.04	1,258.02
सकल अनुद्धृत निवेश		
निवल बही मूल्य	0.00	254.51
मूल्य में कटौती के लिए सकल प्रावधान	341.10	86.59

\*वर्तमान वर्ष के दौरान ऋणी को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



टिप्पणी - भाग क - 11  
नकद एवं बैंक बैलेंस

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
I नकद और नकद समतुल्य				
(i) चालू खातों में शेष :				
भारतीय रिजर्व बैंक में	0.02		0.02	
अनुसूचित बैंकों में	4.74	4.76	42.84	42.86
(ii) हस्तगत चेक		0.00		0.00
(iii) डाक प्राधिकरण के साथ अग्रदाय		0.00		0.00
(iv) अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (3 माह तक मूल परिपक्वता)		532.95		3,071.88
उप जोड़ (I)		537.71		3,114.74
II. निर्धारित शेष :				
(i) बांड, लाभांश आदि पर ब्याज के भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		11.04		458.41
(ii) आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी				
अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		4.45		0.00
उप जोड़ (II)		15.49		458.41
कुल योग (I+II)		553.20		3,573.15

टिप्पणी - भाग क - 12  
प्रचालनों से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
I. ब्याज				
ऋणों पर ब्याज	26,203.32		26,587.14	
घटाएं : ऋणग्राहियों को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	381.37		316.65	
घटाएं : सीओडी पश्चात समय से भुगतान पर रिबेट	7.81	25,814.14	22.39	26,248.10
पट्टा आय		6.72		21.98
उप जोड़ (I)		25,820.86		26,270.08
II. अन्य प्रचालन आय				
अतिरिक्त निधियों से आय		56.70		112.37
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर प्राप्त ब्याज		17.87		12.10
बांडों पर ब्याज		196.80		196.64
उप जोड़ (II)		271.37		321.11
III. अन्य वित्तीय सेवाएं				
ऋणों पर पुनर्भुगतान प्रीमियम		179.10		201.77
ऋणों पर अग्रिम शुल्क		46.03		37.87
प्रबंध, एजेंसी और गारंटी शुल्क		64.47		48.13
ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार		2.25		5.17
भारत सरकार की योजनाओं के कारण शुल्क :				
नोडल एजेंसी शुल्क - आर-एपीडीआरपी	0.65		2.24	
नोडल एजेंसी शुल्क - आईपीडीएस	29.74	30.39	21.16	23.40
उप जोड़ (III)		322.24		316.34
कुल योग (I+II+III)		26,414.47		26,907.53

टिप्पणी - भाग क - 13  
अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
लाभांश आय*	146.23	99.11
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.03
मौजूदा निवेशों की बिक्री पर लाभ	0.78	0.50
आयकर रिफंड पर ब्याज	4.78	3.88
विविध आय	6.56	7.40
प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं एवं प्रावधान	164.92	0.12
कुल	323.27	111.04

\*म्युचुअल फंड से 6.63 करोड़ रुपए की लाभांश आय शामिल है (पिछले वर्ष 5.34 करोड़ रुपए)।

टिप्पणी - भाग क - 14  
वित्तीय लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
I. ब्याज				
बांडों पर	16,040.21		15,592.33	
ऋणों पर	318.64		322.15	
ब्याज सब्सिडी फंड पर भारत सरकार	9.32		9.06	
कामर्सियल पेपर पर वित्तीय प्रभार	482.71		389.72	
स्वैप प्रीमियम (निवल)	(34.95)	16,815.93	(23.42)	16,289.84
II. अन्य प्रभार				
प्रतिबद्धता एवं एजेंसी शुल्क	0.39		0.65	
गारंटी, सूचीबद्धता एवं न्यास शुल्क	2.17		2.17	
विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंध शुल्क	4.29		0.01	
बैंक / अन्य प्रभार	0.00		0.00	
सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर अदा किया गया ब्याज	5.93	12.78	6.35	9.18
III. निवल लेनदेन / लेनदेन विनिमय हानि (+) / लाभ (-)		243.69		311.82
IV. डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन - हानि (+) / लाभ (-)		132.45		(178.15)
कुल		17,204.85		16,432.69

टिप्पणी - भाग क - 15  
उधार लेने पर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
अनुप्रयोग धन पर ब्याज	0.03		0.00	
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.96		4.65	
अन्य निर्गम व्यय	15.47		14.04	
स्टांप ड्यूटी शुल्क	7.70		7.89	
कुल		28.16		26.58

टिप्पणी - भाग क - 16  
कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	130.59		83.41	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	16.90		13.94	
कर्मचारी कल्याण	13.84		12.01	
कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराया (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 (ख) देखें)	5.45		5.61	
कुल		166.78		114.97

टिप्पणी - भाग क - 17  
अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
कार्यालय किराया (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9 (ख) देखें)	0.50		0.50	
विद्युत एवं जल प्रभार	1.68		1.50	
बीमा	0.18		0.16	

मरम्मत एवं अन्तरक्षण	4.50	3.30
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2.11	1.88
यात्रा एवं वाहन	16.27	10.04
डाक खर्च, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन	2.49	2.25
व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	1.92	2.02
विविध व्यय#	31.37	39.97
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.42	0.19
निवेश के निस्तारण पर हानि	0.00	0.98
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक#	0.84	0.60
सेवा कर	1.44	2.58
दर एवं कर	1.55	1.41
वस्तु एवं सेवा कर	5.45	0.00
पीएमसी में अंशदान (विद्युत मंत्रालय)	0.28	0.41
कुल	71.00	67.79
*टिप्पणी :		
विविध व्यय में शामिल हैं :		
विधिक एवं फाइलिंग शुल्क	2.94	17.42
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.05	0.07
विज्ञापन	4.64	5.28
सदस्यता एवं अभिदान	0.99	1.09
मनोरंजन	1.75	0.97
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	3.01	2.63
सुरक्षा व्यय	2.91	1.60
प्रशिक्षण	1.63	1.55
अन्य ईडीपी व्यय	3.75	3.01
व्यवसाय संवर्धन / संबद्ध व्यय	0.52	0.62
आयकर पर ब्याज	0.00	0.69

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
2) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.38	0.35
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.07	0.06
अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.38	0.19
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.01	0.00

टिप्पणी - भाग क - 18  
पिछली अवधि की मदें (निचल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
पिछली अवधि के व्यय :				
ब्याज एवं अन्य प्रभार	0.00		0.24	
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय - अन्य	0.06		0.77	
ह्रास	0.00	0.06	0.22	1.23
घटाएं : पिछली अवधि की आय :				
ब्याज आय	0.00		(0.20)	
अन्य आय	(0.01)	(0.01)	(0.04)	(0.24)
कुल		0.07		1.47

**टिप्पणी - भाग ख**  
**(लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां)**

**1. (क) वित्तीय लेखा तैयार करने का आधार**

भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसरण में प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित लागू विनियामक मानदंड / दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार का संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक तथा प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

**(ख) अनुमानों का प्रयोग**

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि को निर्दिष्ट परिसंपत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की मात्राएं रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक आकलनों एवं अनुमानों की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकसम्मत एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां**

**2. आय / व्यय की मान्यता**

- 2.1 आय और व्यय (नीचे उल्लिखित को छोड़कर) को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।
  - 2.1.1 लागू आरबीआई निदेशों के अनुसार, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों पर आय उसकी प्राप्ति के वर्ष में मान्य की जाती है तथा ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में मान्य किसी अप्राप्त आय का व्युत्क्रम किया जाता है।
  - 2.1.2 कार्बन क्रेडिट शीर्ष के तहत आय उस वर्ष में लेखांकित की जाती है जिसमें यह कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है।
  - 2.1.3 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, कॉरपोरेट निकायों के शेयरों तथा म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय की गणना रोकड़ आधार पर की जाती है। परंतु यह कि कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में ऐसे लाभांश की घोषणा की गई हो और भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो।
- 2.2 ऋणग्रहियों द्वारा समय से भुगतान पर रिबेट को समूची देय राशि समय पर प्राप्त हो जाने पर लेखांकित किया जाता है।
- 2.3 वाणिज्यिक पेपरों, जीरो कूपन बांडों (डीप डिस्काउंट बांडों) पर डिस्काउंट / वित्तीय प्रभार / ब्याज तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारियों के तहत बांडों पर डिस्काउंट उसके कार्यकाल की अवधि में अनुपातिक आधार पर परिशोधित किया जाता है।
- 2.4 दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा के ऋणों के सिलसिले में व्यवस्था शुल्क को ऋण की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।
- 2.5 शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 2.6 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, कारपोरेट निकायों के बांडों एवं डिबेंचरों से आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, परंतु यह कि इन लिखतों पर ब्याज दर पहले से निर्धारित होती है और ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जाती है न कि एरियर में।
- 2.7 ऋणी के खातों में वसूलियां ऋण करारों के अनुसार विनियोजित की जाती हैं।
- 2.8 लेखा के स्वाभाविक शीर्षों में 5000 रुपए तक पूर्वदत्त व्यय प्रभारित किया जाता है।

**3. मूर्त परिसंपत्तियां / मूल्यहास**

- 3.1 मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है, सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें बही मूल्य के निचले स्तर या निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया जाता है।
- 3.2 मूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या ऐसे मामलों में संविदाओं के अनुसार किए

गए कार्य के अनुमानित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है / अनुमोदित नहीं हुआ है।

3.3 सेलफोन जिसके लिए कंपनी द्वारा उपयोगी कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है, को छोड़कर, मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्ति की मूल लागत पर प्रदान किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल में लिखित मूल्य विधि के अनुसार समय समय पर अनुमानित अवशेष मूल्य को उसमें से घटाया जाता है।

3.4 वर्ष के दौरान 5000 रुपए तक की लागत वाली खरीदी गई मूर्त परिसंपत्तियों की मर्दों का पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

#### 4. अमूर्त परिसंपत्तियां / परिशोधन

4.1 साफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन घटाते हुए अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है तथा कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में परिसंपत्तियों के अनुमानित कार्यकाल में सीधी रेखा विधि के तहत परिशोधन किया जाता है।

#### 5. निवेश

5.1 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, निम्नतर लागत या बाजार मूल्य पर उद्धृत मौजूदा निवेशों का श्रेणीवार मूल्य निर्धारण किया जाता है।

5.2 गैर निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति के रूपांतरण के कारण किसी ऋणी कंपनी में धारित अनुद्धृत इक्विटी शेयरों को वर्तमान निवेश समझा जाता है तथा ऐसे इक्विटी शेयरों का मूल्य 1 रुपए पर निर्धारित किया जाता है। इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में हास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी में धारित किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य में वृद्धि के विरुद्ध प्रतिलुलित नहीं किया जाता है।

5.3 दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी को छोड़कर, के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है जहां मूल्य में वृद्धि होती है या यदि कटौती का कारण अब मौजूद नहीं है।

#### 6. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

6.1 परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार

ऋणों तथा अन्य ऋण सुविधाओं तथा पट्टा परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है अर्थात :

6.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अभिप्राय ऐसी परिसंपत्ति से है जिसके संबंध में मूलधन या ब्याज के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में किसी चूक की परिकल्पना नहीं होती है तथा जो किसी समस्या का खुलासा नहीं करती है या जिसमें व्यवसाय करने से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है।

6.1.2 (i) नीचे उल्लेख के अनुसार किसी परिसंपत्ति को गैर निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाता है तथा उसे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्ति के रूप में उप वर्गीकृत किया जाता है :

तिथि	एनपीए (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियां)	एनपीए उप वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
तिथि		अवमानक	संदिग्ध	क्षति
		अवमानक	संदिग्ध	क्षति
31 मार्च, 2017	4 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय	अधिक से अधिक 14 माह की अवधि के लिए एनपीए	14 माह से अधिक अवधि के लिए एनपीए	(क) कंपनी या इसके आंतरिक अथवा बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा या आरबीआई द्वारा कंपनी के निरीक्षण के दौरान हानि परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित परिसंपत्ति, जिस हद तक उसे कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है, और (ख) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या ऋणी की ओर से किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण वसूल न किए जाने के संभावित खतरे से प्रभावित है।
31 मार्च, 2018	3 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय	अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के लिए एनपीए	12 माह से अधिक अवधि के लिए एनपीए	
और इसके बाद				



- (ii) परिसंपत्ति के वर्गीकरण तथा एनपीए के प्रावधान के प्रयोजनार्थ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं को सरकारी क्षेत्र ऋण से भिन्न ऋणीवार माना जाता है, जिन्हें परियोजनावार आधार पर समझा जाता है, यदि प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से अभिज्ञेय हो और उस परियोजना पर लागू हो।
- (iii) पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुसार भी परियोजना ऋणों का वर्गीकरण अवमानक परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के लेखा के मामले में, यदि परियोजना में वित्तीय बंदी के समय परिकल्पित वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने की तिथि (या पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई के मानदंडों में उल्लिखित अनुमत श्रेसहोल्ड के अंदर संशोधित डीसीसीओ) के अंदर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है तो ऋणीवार के स्थान पर परियोजनावार वर्गीकरण किया जाता है (जैसा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2022 तक छूट प्रदान की गई है)।
- (iv) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संबंध में किश्त / किराया 6 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत की गई है। तथापि, 31 मार्च 2018 से किसी पट्टा परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब यह तीन माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

6.2 मानक परिसंपत्तियों, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों तथा एनपीए के विरुद्ध प्रावधान

6.2.1 ऋणों तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :

क्र. सं.	विवरण	प्रावधान की दर
1.	मानक परिसंपत्ति	0.40 प्रतिशत
2.	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां	5 प्रतिशत
3.	अवमानक परिसंपत्ति	10 प्रतिशत
4.	संदिग्ध परिसंपत्ति परिसंपत्ति का प्रतिभूत अंश एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक तीन वर्ष से अधिक संदिग्ध परिसंपत्तियां जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं हैं जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है	20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 50 प्रतिशत 100 प्रतिशत
5.	हानि परिसंपत्ति यदि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है	100 प्रतिशत

6.2.2 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों पर प्रावधान समय समय पर यथासंशोधित "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016" के पैरा 13 (2) के अनुसार किया जाता है।

6.2.3 पुनर्गठित / पुनर्निर्धारित / पुनः परक्रामित ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान आरबीआई के मानदंडों तथा आरबीआई के विशिष्ट निदेशों के अनुसार किया जाता है।

## 7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

7.1 निम्नलिखित लेनदेन को लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है :

- (i) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय; और  
(ii) विदेशी मुद्रा में ऋण ली गई राशि तथा उधार दी गई राशि।

7.2 लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेखा की समाप्ति की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में निम्नलिखित शेष राशियों को अंतरित किया जाता है :

- (i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं  
(ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां  
(iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों के संबंध में आकस्मिक देयताएं  
(iv) विदेश में अर्जित की गई परंतु भारत में प्रेषित / प्राप्त न की गई आय  
(v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण

- (vi) विदेशी मुद्रा ऋण / उधारियों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय व्यय एवं आय।
- 7.3 लेखांकन मानक (एएस) 11 के पैरा 46क के अनुसरण में विदेशी मुद्रा की दीर्घ अवधि की मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- 8. डेरिवेटिव लेनदेन**
- 8.1 डेरिवेटिव लेनदेन में तुलनपत्र की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने के लिए वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और क्रॉस मुद्रा विकल्प शामिल होते हैं।
- 8.2 ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।
- 8.3 जहां कंपनी ने वायदा संविदा की है या ऐसा लिखत किया है जो सार रूप में वायदा संविदा है, लेनदेन की तिथि को वायदा दर तथा विनिमय दर के बीच अंतर को लेखांकन मानक 11 के अनुसार संविदा की अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।
- 8.4 जो डेरिवेटिव संविदाएं लेखांकन मानक 11 के अंतर्गत शामिल न होकर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के तहत शामिल हैं, उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में मान्य किए जा रहे उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- 9. भारत सरकार की योजनाओं का लेखांकन**
- 9.1 कंपनी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋणों / अनुदानों / सब्सिडी का अंतरण करने के लिए चैनलाइजिंग / नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसी मद में राशि प्राप्त करती है और संगत योजनाओं के अनुसरण में उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।
- 9.1.1 जहां भारत सरकार से निधियां अग्रिम में प्राप्त की जाती हैं, उन्हें तब तक वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि लाभार्थी को भुगतान जारी नहीं कर दिया जाता है।
- 9.1.2 भारत सरकार की ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न शुल्क आदि के कारण आय को यथालागू संबंधित योजना / भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में लेखांकित किया जाता है।
- 10. ब्याज सब्सिडी निधि**
- 10.1 पात्र ऋणग्राहियों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त ब्याज सब्सिडी प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की जाती है और ब्याज की मांगों की संबंधित तिथियों पर ऋण की पात्र अवधि में ऋणग्राहियों को अंतरित की जाती है। ब्याज सब्सिडी निधि में किसी अतिरेक / कमी को संबंधित योजना की समाप्ति पर रिफंड या समायोजित / प्रभार मुक्त किया जाता है।
- 10.2 योजना में निर्दिष्ट दरों पर लाभ एवं हानि के विवरण में डेबिट करके सब्सिडी निधि में बकाया शेष पर ब्याज के साथ वर्ष के अंत में ब्याज सब्सिडी निधि क्रेडिट की जाती है।
- 11. सहायक कंपनियों पर आय / प्राप्ति / व्यय**
- 11.1 सहायक कंपनियों पर किए गए व्यय को "संबंधित सहायक कंपनी से वसूली योग्य राशि" खाते में डेबिट किया जाता है।
- 11.2 मानव दिवसों (कर्मचारियों) के संबंध में व्यय सहायक कंपनियों को आवंटित किए जाते हैं तथा प्रशासनिक ऊपरी व्यय अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।
- 11.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए एसपीवी के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूली योग्य राशि पर ब्याज को कंपनी की नीति के अनुसार राज्य क्षेत्र ऋणी (श्रेणी ए) को परियोजना ऋण / योजना (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखांकित किया जाता है।
- 11.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्ध अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कारपोरेट ऋण के रूप में लगाया जाता है और परस्पर सहमत ब्याज दरों पर इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज दिया जाता है।
- 11.5 कंपनी यूएमपीपी में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को यूएमपीपी के विकास के लिए स्थापित संबंधित सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी यूएमपीपी का परित्याग कर दिया जाता है तो वसूल न होने की सीमा तक प्रावधान करने / बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

## 12. कर्मचारी लाभ

### 12.1 भविष्य निधि, उपदान, पेंशन निधि और सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिए वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त / देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कर्मचारियों को उपदान एवं सेवा निवृत्ति लाभों जैसे कि चिकित्सा लाभ, पुनर्वास लाभ, और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण लेखांकन मानक 15 के अनुसार विमांकिक आधार पर किया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

### 12.2 अन्य कर्मचारी लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना के लिए कंपनी की बाध्यता लेखांकन मानक 15 के अनुसार विमांकिक आधार पर निर्धारित की जाती है तथा प्रावधान किया जाता है।

## 13. आयकर

13.1 आय पर करों के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक 22 के अनुसरण में वर्तमान आयकर समेत आयकर का निर्धारण लागू कर कानूनों तथा आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट के अनुसार किया जाता है (जो अवधि के लिए लेखांकन आय और कराधेय आय के बीच समय के अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाता है)। आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी आस्थगित कर देयताएं या परिसंपत्तियां कर दरों का प्रयोग करके मान्य की जाती हैं जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित की गई हैं या सारवान रूप से अधिनियमित हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य एवं अग्रणीत किया जाता है जहां इस बात की तर्कसंगत रूप से निश्चितता होती है कि पर्याप्त भावी कराधेय आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है।

13.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने यह संकल्प पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि रीवर्स किए जाने के योग्य नहीं है और इस प्रकार यह स्थायी अंतर बन जाता है। कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसरण में उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

### 14. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक 3 में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसरण में नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

### 15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के तहत हस्तगत रोकड़, बैंकों में डिमांड डिपाजिट, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय तथा हस्तगत चेक / ड्राफ्ट / पे आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, नकदी समतुल्य समझती है।

टिप्पणी भाग - ग  
लेखाओं पर अन्य नोट

1. कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के यहां पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।
2. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :
  - 2.1 आकस्मिक देयताएं

(क) गारंटी आदि

(करोड़ रुपए में)

क्र. संख्या	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के	31 मार्च, 2017 की स्थिति के
(i)	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटियां	153.75	190.11
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	-	-
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध लेटर ऑफ कंफर्ट के रूप में ऋणग्राहियों को संवितरण की वकाया प्रतिबद्धताएं	1,694.60	1,640.56
	कुल	1,848.35	1,830.67

(ख) आयकर मांगें

आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल 85.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.53 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त मांग की गई है जिसका विरोध किया जा रहा है। उपर्युक्त मांग में से 5.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.53 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान किया गया है।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने कंपनी को कुल 165.39 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 165.39 करोड़ रुपए) की राहत देने के अपीलीय प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील की है।

इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि देयता को संभाव्य नहीं माना जा रहा है।

(ग) सेवा कर मांगें

सेवा कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल 1.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.51 करोड़ रुपए) की सेवा कर मांग की गई है या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एण्ड एसटी) के उस आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील भी दाखिल की है जिन्होंने 1.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.11 करोड़ रुपए) के सेवा कर की मांग निरस्त कर दिया था। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि देयता को संभाव्य नहीं माना जा रहा है।

2.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार पूंजी खाते के कारण निष्पादित करने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित परंतु प्रावधान न की गई राशि 473.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) है।

3. आयकर विभाग द्वारा अतिरिक्त रूप में मांग की गई (अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई राहत का निवल) और कंपनी द्वारा विरोध के अंतर्गत अदा की गई व प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	118.39\$	95.39
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.58	23.90
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	-	(0.90)
4.	अंत शेष	129.97*	118.39

\*कर निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2015-16 तक से संबंधित है

₹ कर निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक से संबंधित है

4. (क) उन मामलों में जहां 11 फरवरी 2013 से पहले पब्लिक इश्यू हेतु प्रास्पेक्टस फाइल किए गए थे, कंपनी बांडों अथवा डिबेंचरों के लिए पब्लिक इश्यू (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6/3/2001 - सीएलवी दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अनुसार) के लिए 50 प्रतिशत की दर से और परवर्ती पब्लिक इश्यू के लिए 25 प्रतिशत (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली 2014 के अनुसार अपेक्षित) की दर से डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है।
- (ख) कंपनी अपरिवर्तनीय बांड निर्गमों की श्रृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उधारियों का ब्याज चुकता करने में कोई चूक नहीं की है। जहां तक रुपयों में मूल्य वाले अपरिवर्तनीय बांडों का संबंध है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तिथि 31 मार्च 2018 थी।
5. (क) विदेशी मुद्रा व्यय एवं अर्जन :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	258.43	270.32
(ii)	विलीय एवं अन्य प्रभार*	9.03	1.97
(iii)	यात्रा व्यय	0.30	-
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.35	0.29
(ख)	विदेशी मुद्रा में अर्जन	-	-

\*विदहोलिंडिंग कर सहित

(ख) विदेशी मुद्रा देयताएं जो किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट द्वारा या अन्यथा सुरक्षित नहीं की गई हैं :

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	संबंधित मुद्रा में मिलियन	(करोड़ रुपए में)	संबंधित मुद्रा में मिलियन	(करोड़ रुपए में)
अमरीकी डालर	942	6,140.13	581	3,764.80
यूरो	14	114.12	16	108.03
जापानी येन*	43,668	2,685.80	43,668	2,532.85
कुल		8,940.05		6,405.68

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के साथ लेनदेन :

\*इसमें 45 मिलियन अमरीकी डालर / 293.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 45 मिलियन अमरीकी डालर / 291.83 करोड़ रुपए के लिए अमरीकी डालर / रुपया लेग) के लिए एक लेग (अमरीकी डालर / रुपया) के लिए की गई वायदा दर संविदा के माध्यम से आंशिक रूप से सुरक्षित जापानी येन ऋण देयता शामिल है।

(ग) कंपनी उनके कार्यकाल में विदेशी मुद्रा की दीर्घ अवधि की मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को परिशोधित करती है। परिणामतः 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (एफसीएमआईटीडीए) के तहत अपरिशोधित डेबिट शेष 648.65 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष डेबिट शेष 647.56 करोड़ रुपए) है।

(घ) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताओं और परिसंपत्तियों को वर्ष के अंत में एफईडीआई की स्पॉट दर पर अंतरित किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विनिमय दर	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	अमरीकी डालर / रुपया	65.1750	64.8500
(ii)	जापानी येन / रुपया	0.615050	0.580025
(iii)	यूरो / रुपया	80.8075	69.2925

6. लेखांकन मानक 18 की प्रकटन संबंधी आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन :

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

विवरण	अवधि
श्री राजीव शर्मा, सीएमडी और सीईओ	1 अक्टूबर 2016 से
श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	31 जुलाई 2009 से 31 मई 2017 तक

श्री एन वी गुप्ता, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	18 अगस्त 2017 से
श्री सी गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजनाएं)	1 जनवरी 2017 से
श्री डी रवि, निदेशक (वाणिज्यिक)	16 नवंबर 2015 से
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव	1 अप्रैल 2014 से

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	निवेश की तिथि	सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार स्वामित्व का प्रतिशत	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राशि (करोड़ रुपए में)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार राशि (करोड़ रुपए में)
(क)	सहायक कंपनियां (i)					
(i)	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)(ii)	09 अप्रैल, 2008	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(ii)	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल) (इक्विटी शेयर) (iii)	29 जुलाई, 2011 08 दिसंबर, 2011 29 मार्च, 2012 21 मार्च, 2013 18 जून, 2013 07 अक्टूबर, 2013	50,000 44,50,000 4,90,000 2,10,00,000 1,36,00,000 6,04,10,000	100 प्रतिशत	100.00	100.00
(ii)	पीएफसीजीईएल (तरजीही शेयर) (iii)	21 मार्च, 2013 21 जून, 2013 21 अक्टूबर, 2013	8,40,00,000 5,44,00,000 6,16,00,000	100 प्रतिशत	200.00	200.00
(iii)	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीसीएस) (ii)	21 सितंबर, 2011	1,00,000	100 प्रतिशत	0.10	0.10
(iv)	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (iv)	15 अप्रैल, 2008 11 अक्टूबर, 2011	15,000 35,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
	उप- जोड़ (क)				300.20	300.20
(ख)	यूएमपीपी के लिए एसपीवी के रूप में प्रमोट की गई सहायक कंपनियां (v)					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05 सितंबर, 2006	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	05 सितंबर, 2006	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14 सितंबर, 2006	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश की तिथि	सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार स्वामित्व का प्रतिशत	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राशि (करोड़ रुपए में)	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राशि (करोड़ रुपए में)
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31 जनवरी, 2007	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) (vi)	31 मार्च 2008	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	27 जनवरी, 2010	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(vii)	धोगरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	27 जनवरी, 2010	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(viii)	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (टीएमपीएल) (vii)	27 जनवरी, 2010	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30 जुलाई, 2012	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(x)	चेन्नूर इनफ्रा लिमिटेड	24 मार्च, 2014	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इनफ्रा पावर लिमिटेड	27 मार्च, 2014	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xii)	देवघर इनफ्रा लिमिटेड	25 अक्टूबर, 2015	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
XIII.	बिहार इनफ्रा पावर लिमिटेड	26 अक्टूबर, 2015	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27 अक्टूबर, 2015	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इनफ्रा पावर लिमिटेड	05 फरवरी, 2016	50,000	100 प्रतिशत	0.05	0.05
	उप-जोड़ (ख)				0.75	0.75
(ग)	संयुक्त उद्यम कंपनियां (i)					
	एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	21 जनवरी, 2010 26 मार्च, 2013 21 अगस्त 2015 25 अप्रैल, 2016	6,25,000 2,18,75,000 2,50,00,000 9,90,00,000	31.71%	146.50	146.50
	उप-जोड़ (ग)				146.50	146.50
	कुल (viii) (क+ ख+ ग)				447.45	447.45

- (i) लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण तथा लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में अधिकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसरण में वित्तीय विवरण समेकित किए जाते हैं।
- (ii) संबंधित सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद पीएफसीसीएल के साथ पीएफसीसीएएस के विलय का कार्य प्रगति पर है।
- (iii) 9 अगस्त 2016 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति के अधीन कंपनी के साथ पीएफसीसीएल के विलय की योजना को मंजूरी प्रदान की है।
- (iv) पीईसीएपी को स्वेच्छा से बंद करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।
- (v) बोली प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर सफल बोलीदाताओं को उनको सौंपने के इरादे से यूएमपीपी के विकास के लिए भारत सरकार से अधिदेश के तहत एसपीवी के रूप में सहायक कंपनियां निगमित की गईं। लेखांकन मानक 21 के पैरा 11 के अनुसार इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- (vi) विद्युत मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से सीएसपीएल को बंद करने के बारे में सूचना प्रदान की है। संबंधित कार्यवाहियां चल रही हैं।
- (vii) विद्युत मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 जून 2016 के माध्यम से टीएमपीएल को बंद करने के लिए अपने अनुमोदन से अवगत कराया है। संबंधित कार्यवाहियां चल रही हैं।
- (viii) प्रत्येक संस्था के लिए वर्ष के दौरान निवेश की अधिकतम राशि वही है जो वर्ष के अंत में थी।
- (ख) गैर लेखा परीक्षित अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर ईईएसएल (कंपनी की संयुक्त उद्यम संस्था) के संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं तथा पूंजी प्रतिबद्धता में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
	स्वामित्व (प्रतिशत)	31.71	31.71
क	परिसंपत्तियां		
	गैर वर्तमान परिसंपत्तियां	774.52	336.90
	वर्तमान परिसंपत्तियां	769.10	510.19
	कुल	1543.62	847.09
ख	देयताएं		
	गैर वर्तमान देयताएं	570.30	263.59
	वर्तमान देयताएं	770.15	399.32
	कुल	1340.45	662.91
(ग)	आकस्मिक देयताएं	68.65	11.74
(घ)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	83.64	103.95
(ड.)	आय एवं व्यय	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
			31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
	कुल आय	461.78	410.10
	कुल व्यय	438.66	386.08

8. (क) ऋण तथा ऋण की प्रकृति वाले अग्रिम :

(i) संबंधित सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि (उस पर ब्याज सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनियों का नाम	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	12.24	11.10	12.24	11.10
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	182.09	138.93	182.09	138.93
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	5.63	4.95	5.63	4.95
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	133.06	113.60	133.06	113.60
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	91.49	89.07	91.49	89.07
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	7.84	7.12	7.84	7.12
घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	6.71	6.08	6.71	6.11
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.47	9.36	9.47	9.36
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	14.82	10.69	14.82	10.69
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.12	0.11	0.12	0.36
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.03	0.03	0.20
चेन्नूर इनफ्रा लिमिटेड	0.06	0.04	0.06	0.04



सहायक कंपनियों का नाम	31.03.2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
ओडिशा इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.24	0.20	0.24	0.22
बिहार इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.03	0.02	0.05	0.18
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	7.81	4.28	7.81	5.73
देवघर इनफ्रा लिमिटेड	0.25	0.15	0.40	0.15
झारखंड इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.04	0.03	0.04	0.03
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.00	0.00	0.84	0.79
कुल*	471.90	395.76	472.94	398.63

\*यह राशि अग्रिम प्रकृति की है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

(ii) विद्युत क्रेताओं द्वारा प्रदान की गई राशियों तथा अन्य भुगतान योग्य राशियों के संबंध में सहायक कंपनियों को भुगतान योग्य राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनियों का नाम	31.03.2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	6.50	1.06	6.50	6.40
कोस्टल महाराष्ट्र पावर लिमिटेड	67.97	65.50	67.97	65.50
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	92.32	87.66	92.32	87.66
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	82.92	78.26	82.92	78.26
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	75.70	75.70	75.70	75.70
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	27.46	26.30	27.46	26.30
घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	25.98	24.88	25.98	24.88
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	26.94	26.36	26.94	26.36
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	44.50	42.64	45.13	42.64
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.51
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.04	0.04	0.04
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	15.22	14.02	15.22	14.02
कुल	465.51	442.42	466.18	448.27

(iii) सहायक कंपनियों को ऋण के रूप में प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

फर्मों / कंपनियों का नाम	31 मार्च 2018 को बकाया	31 मार्च 2017 को बकाया	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	268.41	252.69	275.06	255.06

(ख) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार किसी भी संबंधित पक्ष ऋणी का कंपनी में कोई इक्विटी निवेश नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

9. एएस-19 के तहत आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न पट्टों के संबंध में नीचे प्रकटन किया गया है :

(क) 1 अप्रैल 2001 के बाद वित्त पट्टा के तहत परिसंपत्ति :

(i) तुलन पत्र की तिथि को पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा प्राप्य न्यूनतम मूल्य का वर्तमान मूल्य और अनाजित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के	31 मार्च, 2017 की स्थिति के
कुल वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (सकल निवेश)	328.15	335.79
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	194.32	194.32
अनाजित वित्तीय आय	133.83	141.47
भविष्य में वसूली के योग्य कुल पट्टा भुगतानों (सकल निवेश) की परिपक्वता प्रोफाइल :		
एक वर्ष से अधिक नहीं	51.84	27.11
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	128.52	107.10
5 वर्ष से अधिक	147.79	201.58
कुल	328.15	335.79
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष से अधिक नहीं	18.04	8.62
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	61.77	43.17
5 वर्ष से अधिक	114.51	142.53
कुल	194.32	194.32

(ii) कंपनी ने 19 जुलाई 2004 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 88.90 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर 88.85 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश 0.44 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.89 करोड़ रुपए) था। 19 जुलाई 2004 से शुरू करके 15 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और 5 वर्ष गौण अवधि के रूप में शामिल हैं। गौण अवधि 19 जुलाई 2014 से प्रभावी हुई है।

(iii) कंपनी ने 18 मई 2004 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 98.44 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश शून्य (पिछले वर्ष 3.45 करोड़ रुपए) था। 18 मई 2004 से शुरू करके 20 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम अन्य 10 वर्ष गौण अवधि के रूप में शामिल हैं। गौण अवधि 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई तथा गौण अवधि के पट्टा किराए के पुनर्भुगतान पर 8 जून 2017 को पूरी हो गई।

(iv) कंपनी ने 9 जून 2005 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 93.51 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश शून्य (पिछले वर्ष 3.74 करोड़ रुपए) था। 19 जून 2005 से शुरू करके 19 वर्ष 11 माह की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और 9 वर्ष 11 माह की गौण अवधि के रूप में शामिल हैं। गौण अवधि 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई तथा गौण अवधि के पट्टा किराए के पुनर्भुगतान पर 9 जून 2017 को पूरी हो गई।

(v) कंपनी ने 18 मई 2011 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2008 में 228.94 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश 327.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 327.71 करोड़ रुपए) था। 01 जनवरी 2012 से शुरू करके 25 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम अन्य 7 वर्ष गौण

अवधि के रूप में शामिल हैं।

(ख) कंपनी के प्रचालन पट्टों में निम्नलिखित शामिल हैं :

कार्यालयों के लिए तथा कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों का प्रबंध पट्टे पर किया गया है और ये सामान्यतया परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं तथा निरस्त किए जा सकते हैं। कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराए में 5.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.61 करोड़ रुपए) पट्टा भुगतान के लिए शामिल है जो कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में वसूलियों का निवल है। कर्मचारियों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों को "टिप्पणी भाग क 16 - कर्मचारी लाभ व्यय" में कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराए के रूप में दर्शाया गया है। कार्यालयों के लिए परिसरों के संबंध में कुल 0.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.50 करोड़ रुपए) के पट्टा भुगतानों को "टिप्पणी भाग क 17 - अन्य व्यय" में कार्यालय किराया के रूप में दर्शाया गया है।

10. भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन

(क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत सब्सिडी :

(i) कंपनी ने वास्तविक पुनर्भुगतान अनुसूची, ऋण स्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए गए बगैर अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97 - पीएफसी दिनांक 23 सितंबर 1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001 - पीएफसी दिनांक 7 मार्च 2003 के माध्यम से भारत सरकार के पत्र के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर सांकेतिक ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त की गई तथा ऋणी को अंतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में रखी गई है। सांकेतिक दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर की वे प्रत्येक ऋण / परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एण्ड एसपी योजना के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 9.64 करोड़ रुपए और 103.09 करोड़ रुपए की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष 8.67 करोड़ रुपए और 93.56 करोड़ रुपए) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि समग्र आधार पर, न कि अलग अलग आधार पर परिकलित की गई और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि परिशोधन अवधि, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर का पुनर्निर्धारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। यदि ब्याज सब्सिडी निधि में कोई अधिकता / कमी होगी तो वह संबंधित योजना के पूरी हो जाने पर लौटाई जाएगी या समायोजित / प्रभारित की जाएगी।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणग्राहियों को अंतरित की जानी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : -

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	109.69	107.47
जोड़ें : अवधि के दौरान प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान जमा किया गया ब्याज	9.32	9.06
परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण ऋणी द्वारा रिफंड	-	-
घटाएं : ऋणग्राहियों को अंतरित की गई ब्याज सब्सिडी	3.01	6.84
: विद्युत मंत्रालय को लौटाई गई ब्याज सब्सिडी :		
(क) 9वीं योजना के विरुद्ध अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
(ख) परियोजना के समय पर चालू न होने के कारण	-	-
(ग) 10वीं योजना के विरुद्ध अनुमानित निवल अतिरिक्त राशि	-	-
अंत शेष	116.00	109.69

(ख) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) :

(i) कंपनी आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए नोडल एजेंसी है।

पात्र ऋणग्राहियों को ऋण देने के लिए आर - एपीडीआरपी के तहत नोडल एजेंसी के रूप में भारत सरकार से प्राप्त राशि का प्रयोग कंपनी को किसी प्रकार के लाभ या हानि के बिना बैंक टू बैंक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार संवितरित परंतु लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान में परिवर्तित न की गई राशि ऋणग्राहियों से प्राप्त होने पर भारत सरकार को ब्याज के साथ देय होगी।

आरएपीडीआरपी योजनाक के तहत ऋणग्राहियों से वसूली योग्य तथा भारत सरकार को देय राशि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 14,645.44 करोड़ रुपए (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 12,749.20 करोड़ रुपए) है।

(ii) कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आरएपीडीआरपी के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन एवं संबद्ध सेवा के लिए आरएपीडीआरपी योजना के तहत नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है। शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए संचयी दावा 850 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा या आर-एपीडीआरपी के भाग क और ख के तहत संभावित परियोजना परिव्यय का 1.7 प्रतिशत, जो भी कम हो, है।

कंपनी द्वारा नोडल एजेंसी शुल्क तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त / प्राप्य कुल राशि 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 301.94 करोड़ रुपए (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 280.72 करोड़ रुपए) है।

(ग) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में आईपीडीएस योजना के प्रचालन एवं कार्यान्वयन के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेंसी की भूमिका का उल्लेख आईपीडीएस योजना में किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ पात्र संस्थाओं को भारत सरकार के अनुदान का प्रशासन शामिल है जिसे आईपीडीएस के दिशानिर्देशों में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन वापस लिया जा सकता है / समय से पहले बंद किया जा सकता है।

31 मार्च 2018 तक पात्र संस्थाओं को प्रदान किए गए भारत सरकार के अनुदान की राशि 5,329.82 करोड़ रुपए (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 2,561.01 करोड़ रुपए) है।

कंपनी निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत या पंचाट लागत, जो भी कम हो, के कुल 0.50 प्रतिशत (जो योजना के अनुसार चरणों में प्रोद्भूत होगा) नोडल एजेंसी शुल्क के लिए पात्र है।

11. (क) जहां तक आरबीआई के ऋण संकेन्द्रण मानदंडों का संबंध है, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 16 जून 2016 के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों की संस्थाओं को एक्सपोजर के संबंध में छूट प्रदान की है। इस प्रकार कंपनी ने केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों की संस्थाओं के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऋण संकेन्द्रण मानदंडों का पालन करना जारी रखा है।

(ख) आरबीआई के पत्र दिनांक 11 जून 2014 के अनुसरण में, हिमालयन क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में पारेषण एवं वितरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 तक विद्युत मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित मानदंडों के अनुसार विनिमित्त किया गया।

तदनुसार, 01 अप्रैल 2017 से आरबीआई के पुनर्गठित मानदंड इन ऋणों में शुरू किए गए किसी भावी पुनर्गठन पर लागू हैं।

12. ऋण परिसंपत्तियां, अन्य परिसंपत्तियां तथा उन पर प्रावधान :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परिसंपत्तियां वर्गीकरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		बकाया मूलधन	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान	बकाया मूलधन	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान	संचित प्रावधान
<b>(क) ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधान</b>							
(i)	स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां	228,107.39	780.43	1,338.27	1,59,382.44	(39.57)	557.84
(ii)	पुनर्संशोधित मानक परिसंपत्तियां	24,104.70*	(952.06)	1,404.17	55,440.62	1,227.03	2,356.23
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	17,350.52	(640.11)	1,735.05	23,751.56	1,887.40	2,375.16
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	8,637.05	944.20	3,652.45	6,677.81	1,986.27	2,708.25
(v)	हानि परिसंपत्तियां	715.10	442.26	715.10	272.84	24.56	272.84
<b>(ख) अन्य परिसंपत्तियां तथा उन पर प्रावधान</b>							
(i)	अन्य परिसंपत्तियाँ - एनपीए	2.51	(13.89)	2.51	16.40	15.39	16.40
	कुल योग	2,78,917.27	560.83	8,847.55	2,45,541.67	5,101.08	8,286.72

\*4,937.59 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में और 19,167.11 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में (पिछले वर्ष 19,445.92 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में और 35,994.70 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में)

13. ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणी द्वारा धोखाधड़ी की गई है; 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 442.26 करोड़ रुपए की बकाया राशि को हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी)।

14. ऋण परिसंपत्तियों के प्रतिभूत / अप्रतिभूत वर्गीकरण का आधार :

(क) ऐसे मामलों में जहां कंपनी प्रमुख अथवा एकमात्र ऋणदाता है, यह ऋण परिसंपत्ति को प्रतिभूत समझेगी यदि चल परियोजना परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक करने की औपचारिकता पूरी की गई हो और ऋण परिसंपत्तियों के लिए परियोजना भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक रेहन रखा गया हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन अपेक्षित होता है, मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रतिभूति की स्थिति अद्यतन की गई हो।

(ख) अन्य सभी मामलों में प्रमुख ऋणदाता से प्राप्त प्रतिभूति की स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

15. पुनर्गठित खातों तथा उन पर किए गए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार	सीडीआर / एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत	अन्य					कुल					
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	क्षति	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	21	2	7	-	30	21	2	7	-	30
		बकाया राशि		55,440.62	15,001.83	4,768.24	-	75,210.69	55,440.62	15,001.83	4,768.24	-	75,210.69
		उस पर प्रावधान		2,356.23	1,500.18	1,662.61	-	5,519.02	2,356.23	1,500.18	1,662.61	-	5,519.02
2	वर्ष के दौरान पुनर्गठित के रूप में वर्गीकृत	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	5	-	-	-	5	5	-	-	-	5
		बकाया राशि		709.42	-	-	-	709.42	709.42	-	-	-	709.42
		उस पर प्रावधान		35.47	-	-	-	35.47	35.47	-	-	-	35.47
3	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	2	(2)	-	-	2	(2)	-	-	-	-
		बकाया राशि		12,016.83	(15,001.83)	-	-	(2,985.00)	12,016.83	(15,001.83)	-	-	(2,985.00)
		उस पर प्रावधान		600.84	(1,500.18)	-	-	(899.34)	600.84	(1,500.18)	-	-	(899.34)
4	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है (ऋण का पूर्व भूगतान सहित)	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	(10)	-	-	-	(10)	(10)	-	-	-	(10)
		बकाया राशि		(34,774.80)	-	-	-	(34,774.80)	(34,774.80)	-	-	-	(34,774.80)
		उस पर प्रावधान		(1,481.84)	-	-	-	(1,481.84)	(1,481.84)	-	-	-	(1,481.84)
5	वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का अवनयन	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	(6)	4	2	-	-	(6)	4	2	-	-
		बकाया राशि		(10,558.39)	9,069.61	2,121.12	-	632.33	(10,558.39)	9,069.61	2,121.12	-	632.33
		उस पर प्रावधान		(448.73)	906.96	424.22	-	882.45	(448.73)	906.96	424.22	-	882.45
6	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्गठित खाते	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वर्ष के दौरान पुनर्गठित संदिग्ध श्रेणी से संदिग्ध श्रेणी में मूवमेंट	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	-	-	(1)	-	(1)	-	-	(1)	-	(1)
		बकाया राशि		-	-	(615.67)	-	(615.67)	-	-	(615.67)	-	(615.67)
		उस पर प्रावधान		-	-	(382.55)	-	(382.55)	-	-	(382.55)	-	(382.55)
8	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित खाते	ऋणग्राहियों की संख्या	शून्य	12	4	8	-	24	12	4	8	-	24
		बकाया राशि		24,104.70	9,069.61	6,697.52	-	39,871.83	24,104.70	9,069.61	6,697.52	-	39,871.83
		उस पर प्रावधान		1,404.17	906.96	2,469.68	-	4,780.81	1,404.17	906.96	2,469.68	-	4,780.81

16. क्षेत्राधिकार वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 जून 2015 के माध्यम से तदर्थ अंतरिम स्टे के मद्देनजर 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एक ऋणी के ऋण खातों के परिसंपत्ति पुनर्गठन को विधिक राय लेने के बाद मानक के रूप में अनुरक्षित किया गया है। तथापि, इस ऋण पर ब्याज को वसूली के आधार पर मान्य किया जा रहा है। तदनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रोद्भूत परंतु वसूले न गए 573.18 करोड़ रुपए के ब्याज / आय को मान्य किया गया है (पिछले वर्ष 413.03 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार इस खाते में प्रावधान 515.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 163.17 करोड़ रुपए) है।

17. लेखांकन मानक 15 के अनुसार प्रकटन :

(क) भविष्य निधि

कंपनी निर्धारित दरों पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि के लिए निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया गया है तथा लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) उपदान

कंपनी की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता है। इसके लिए प्रावधान 20 लाख रुपए प्रति कर्मचारी की अधिकतम राशि के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के वर्षों की कुल संख्या के आधार पर बिमांकिक मूल्यांकन पर किया गया है।

(ग) पेंशन

31 दिसंबर 2017 तक कंपनी की एक स्पष्ट अंशदान पेंशन योजना थी जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता था। निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान मासिक आधार पर प्रदान किया गया है। कंपनी ने 1 जनवरी 2018 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपना ली है।

(घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सिलिंग के अधीन बहिरंग रोगी उपचार की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रावधान बिमांकिक मूल्यांकन पर किया गया है। न्यास को सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कारपस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, कंपनी द्वारा किसी कमी की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ङ.) सेवांत लाभ

सेवांत लाभों में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में व्यवस्थापन शामिल है।

(च) अवकाश

कंपनी कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्ध वेतन अवकाश लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है; जबकि सेवा के दौरान या अलग होने / अधिवर्षिता पर 10 वर्ष से पहले अर्ध वेतन अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश का एक साथ अधिकतम 300 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है।

तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

(छ) उपर्युक्त योजनाएं (घ, ङ. और च) गैर वित्त पोषित हैं तथा बिमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

(ज) लाभ एवं हानि लेखा विवरण, तुलन पत्र में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मान्य किए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)।

(झ) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
मौजूदा सेवा लागत	1.62 (1.82)	1.02 (0.78)	3.54 (2.93)
लाभ बाध्यता पर ब्याज लागत	1.74 (1.66)	1.64 (1.43)	2.37 (2.15)
योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1.93 (-1.84)	-1.45 (-1.01)	0.00 (0.00)
मौजूदा सेवा लागत	10.87	-	-
वर्ष में मान्य निवल बिमांकिक (लाभ) / हानि	-10.80 (-0.23)	5.46 (2.84)	3.65 (2.41)
लाभ एवं हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय*	1.50 (1.41)	6.67 (4.04)	9.56 (7.49)

\*वर्ष के दौरान उपदान, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को आवंटित व्यय में क्रमशः 0.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए), 0.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.43 करोड़ रुपए) और 0.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.29 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

(ii) तुलन पत्र में मान्य की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बाध्यता का वर्तमान मूल्य (i)	25.57 (22.95)	27.81 (21.82)	21.22 (30.68)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ii)	24.07 (21.74)	22.20 (18.15)	0.00 (0.00)
अंतर (ii) - (i)	-1.50 (-1.21)	-5.61 (-3.67)	-21.22 (-30.68)
तुलन पत्र में मान्य की गई निवल परिसंपत्ति / (देयता)	-1.50 (-1.21)	-5.61 (-3.67)	-21.22 (-30.68)



iii) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बाध्यता का वर्तमान मूल्य	22.96 (20.74)	21.82 (17.83)	30.68 (26.89)
व्याज लागत	1.74 (1.66)	1.64 (1.43)	2.37 (2.15)
मौजूदा सेवा लागत	1.62 (1.82)	1.02 (0.78)	3.54 (2.93)
संदल्ल लाभ	-0.82 (-0.98)	-2.36 (-1.09)	-19.02 (-3.70)
मौजूदा सेवा लागत	10.87	-	-
बाध्यता पर निवल विमांकिक (लाभ) / हानि	-10.80 (-0.29)	5.69 (2.87)	3.65 (2.41)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	25.57 (22.95)	27.81 (21.82)	21.22 (30.68)

iv) योजना की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21.74 (20.47)	18.15 (0.00)	0.00 (0.00)
योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1.93 (1.84)	1.45 (1.01)	0.00 (0.00)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1.22 (0.47)	4.07 (17.93)	0.00 (0.00)
संदत्त लाभ	-0.82 (-0.98)	-1.71 (-0.83)	0.00 (0.00)
बिमांकिक लाभ / (हानि)	- (-0.06)	0.24 (0.04)	0.00 (0.00)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	24.07 (21.74)	22.2 (18.15)	0.00 (0.00)

v) पीआरएमएस की चिकित्सा लागत के लिए देयता पर मुद्रास्फीति की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	पीआरएमएस	सेवा एवं ब्याज लागत
लागत में 1 प्रतिशत की वृद्धि	3.21	0.27
लागत में 1 प्रतिशत की कमी	3.09	0.26

vi) वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीआरएमएस और अवकाश एवं पेंशन के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपए, 6.67 करोड़ रुपए, 9.56 करोड़ रुपए तथा 0.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.41 करोड़ रुपए, 4.04 करोड़ रुपए, 7.49 करोड़ रुपए और शून्य) की देयता का प्रावधान किया है। उपर्युक्त राशि में उपदान, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को आवंटित क्रमशः 0.07 करोड़ रुपए, 0.41 करोड़ रुपए और 0.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए, 0.43 करोड़ रुपए और 0.29 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

झ. अन्य कर्मचारी लाभ :

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) के लिए 0.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.21 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित / क्रेडिट करके वर्ष के अंत में किए गए बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लंबी सेवा पुरस्कार (एलएसए) के लिए 0.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। एलएसए में सहायक कंपनियों को आवंटित 0.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रुपए) शामिल है।

ज. (i) योजना की परिसंपत्तियों का ब्यौरा - उपदान

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लागत पर योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	14.11	12.95
(ii)	कॉरपोरेट बांड / डिबेंचर (1)	8.66	7.86
(iii)	अन्य निवेश तथा बैंक शेष	0.78	0.31
	कुल	23.55	21.12

(1) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा 0.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) मूल्य के कंपनी के बांड धारित किए गए हैं।

बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि
डिस्काउंट दर	7.87 प्रतिशत
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर - उपदान	7.94 प्रतिशत
भावी वेतन वृद्धि*	6.00 प्रतिशत

\*बीमांकिक मूल्यांकन में विचार की गई भावी वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखा जाता है।

(II) योजना की परिसंपत्तियों का ब्यौरा - पीआरएमएस

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लागत पर योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	10.11	8.07
(ii)	कॉरपोरेट बांड / डिबेंचर	10.46	8.54
(iii)	अन्य निवेश तथा बैंक शेष	1.14	0.97
	कुल	21.71	17.58

बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि
डिस्काउंट दर	7.87 प्रतिशत
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर - पीआरएमएस	7.76 प्रतिशत
भावी वेतन वृद्धि*	6.00 प्रतिशत

\*बीमांकिक मूल्यांकन में विचार की गई भावी वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखा जाता है।

(ट) प्रतिनियुक्ति / अनुसमर्थन आधार पर पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों (अर्थात् उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कर्मचारी लाभ) को कर्मचारी लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

(ठ) अन्य प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

उपदान*	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	25.57	22.95	20.74	19.36	17.98
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	24.07	21.74	20.47	19.14	17.12
सरप्लस / (घाटा)	(1.50)	(1.21)	(0.27)	(0.21)	(0.86)
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	9.27	1.38	1.09	1.10	0.31

योजना की परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.00	(0.06)	0.02	0.09	0.26
--	------	--------	------	------	------

\*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उपदान मद में अंशदान 3.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.16 करोड़ रुपए) है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान योजना की परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल 1.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.79 करोड़ रुपए) है। इसके अलावा योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल का निर्धारण कई लागू कारकों पर विचार करके किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित योजना परिसंपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजना की परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक प्रतिफल शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

पीआरएमएस*	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	27.81	21.82	17.83	14.58	11.75
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	22.20	18.15	-	-	-
सरप्लस / (घाटा)	(5.61)	(3.67)	(17.83)	(14.58)	(11.75)
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(6.46)	(1.34)	(2.36)	(2.11)	(1.54)
योजना की परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.24	0.03	-	-	-

\*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीआरएमएस मद में अंशदान 5.62 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.97 करोड़ रुपए) है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान योजना की परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल 1.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.04 करोड़ रुपए) है। इसके अलावा योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल का निर्धारण कई लागू कारकों पर विचार करके किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित योजना परिसंपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजना की परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक प्रतिफल शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

अवकाश	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	21.22	30.68	26.89	23.42	20.66
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(4.75)	(1.04)	(2.18)	(1.18)	(2.63)

(करोड़ रुपए में)

एलएसए	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5.30	4.99	4.74	4.49	4.04
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(0.25)	1.18	1.10	0.67	0.46

(करोड़ रुपए में)

ईआरएस	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1.67	1.63	1.50	1.24	1.24
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.31	0.52	0.02	0.38	0.46

(करोड़ रुपए में)

सकल भत्ता	31,मार्च,2018	31 मार्च 2017	31,मार्च,2016	31,मार्च,2015	31,मार्च,2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	0.20	0.13	0.11	0.10	0.09
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01

## 18. कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी :

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए 'कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी' के अनुसरण में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 100.20 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त सीएसआर व्यय के कारण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है। किए गए व्यय के आधार पर 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में 118.18 करोड़ रुपए की राशि प्रभाषित की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कंपनी द्वारा खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	149.21	166.15
पिछले वर्ष से अग्रणीत राशि	100.20	102.16
खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि	249.41	268.31
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	118.18	168.11
अप्रयुक्त राशि	131.23	100.20

(ग) सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18			वित्त वर्ष 2016-17		
		भुगतान की गई या निस्तारित	अभी तक भुगतान नहीं किया गया है	कुल	भुगतान की गई या निस्तारित	अभी तक भुगतान नहीं किया गया है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(ii क)	स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	60.27	-	60.27	112.52	0.20	112.72
(ii ख)	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	26.45	-	26.45	30.32	-	30.32
(ii ग)	पर्यावरणीय संपोषणीयता (सोलर एप्लीकेशन / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	27.12	-	27.12	20.93	0.76	21.69

(iiघ)	खेल	0	-	0	0.10	-	0.10
(iiड.)	अन्य	2.18	-	2.18	1.02	-	1.02
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक व्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लिए अपेक्षित कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित है	2.16	-	2.16	2.02	0.24	2.26
	कुल (ii)	<b><u>118.18</u></b>	-	<b><u>118.18</u></b>	<b><u>166.91</u></b>	<b><u>1.20</u></b>	<b><u>168.11</u></b>
	कुल योग (i) और (ii)			<b><u>118.18</u></b>			<b><u>168.11</u></b>

संख्या विवरण कुल

(घ) लेखांकन मानक (एएस) 18 - संबंधित पक्ष प्रकटन के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन का ब्यौरा - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ड.) एएस-29 के अनुसार वर्ष के दौरान सीएसआर प्रावधान में मूवमेंट को अलग से टिप्पणी भाग ग - 19 में दर्शाया गया है।

19. लेखांकन मानक - 29 के तहत अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटन नीचे दिया गया है (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं) :

(करोड़ रुपए में)

के लिए प्रावधान	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक अधिशेष (1)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	उलटाव (4)	31 मार्च 2018 को अंत शेष 5 = (1+2-3-4)
सीएसआर	100.20 (102.16)	-	-	100.20	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	(79.20)	(-)	(79.20)	(-)	(-)
प्रस्तावित कारपोरेट लाभांश कर	(16.12)	(-)	(16.12)	(-)	(-)
अंतरिम लाभांश	1,320.04 (-)	2,059.26 (1,320.04)	3,379.30 (-)	(-)	(1,320.04)
अंतरिम लाभांश पर कारपोरेट लाभांश कर	67.18 (-)	419.22 (268.73)	471.16 (201.55)	15.24 (-)	(67.18)

20. 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन (टिप्पणी - भाग ख) जिनका वित्तीय प्रभाव है, निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	लेखांकन की महत्वपूर्ण नीति		संशोधन	पीबीटी पर प्रभाव [वृद्धि / (कमी)]
	सं.	शीर्षक		
1.	2.4	आय / व्यय की मान्यता	दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ऋणों पर उसके कार्यकाल के दौरान व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए अंतःस्थापित किया गया।	120.64
2.	6.2	मानक परिसंपत्तियों, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों तथा एनपीए के विरुद्ध प्रावधान करना।	आरबीआई के मानदंडों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान की दर 0.35 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत की गई है।	(114.05)
			आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान की दर 4.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई है।	(180.79)
			परिष्पण एवं वितरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालयन क्षेत्र एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं से भी संबंधित पुनर्गठित परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता से संबंधित नीति को आरबीआई के पुनर्गठन मानदंडों के अनुसार संरिखित किया गया है।	(67.83)
3.	7	विदेशी मुद्रा लेनदेन	केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण के मामले में विनिमय दर में अंतर को व्याज विभेद निधि लेखा - केएफडब्ल्यू में इसे अंतरित करने की पिछली नीति के विरुद्ध लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।	(1.51)
कुल				(243.54)



21. परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है :

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी कार्यकाल (वर्ष में)	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
1.	भवन	60	5 प्रतिशत
2.	ईडीपी उपकरण		
2ए	सर्वर एवं नेटवर्क	6	5 प्रतिशत
2बी	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइसों अर्थात् डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि	3	5 प्रतिशत
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	5	5 प्रतिशत
3ए	सेल फोन	2	5 प्रतिशत
4.	फर्नीचर और फिक्सचर	10	5 प्रतिशत
5.	वाहन (कार)	8	5 प्रतिशत
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां	5	-

लिखित मूल्य पद्धति का प्रयोग करके ऊपर क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लिखित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है तथा कंपनी द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके अमूर्त परिसंपत्तियों को परिशोधित किया गया है। इसके अलावा सेलफोन के लिए उपयोगी जीवनकाल के बारे में कंपनी का अनुमान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में निर्धारित अवधि से कम है और अन्य सभी मदों के लिए उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार है।

22. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कंपनी की कोई बकाया देयता नहीं है।

23. लीजहोल्ड भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता है क्योंकि यह शाश्वत लीज है।

24. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत आवश्यकता के अनुसार, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए 0.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.58 करोड़ रुपए) देय हुए थे जिसे जमा किया गया। इसके अलावा दावेदारों द्वारा अंतरण की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण 2.63 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 2.03 करोड़ रुपए) का भुगतान नहीं हुआ।

25. वर्ष के दौरान कंपनी ने 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार शेष राशि की पुष्टि करने के लिए ऋणग्राहियों को पत्र भेजे हैं। उक्त शेष राशि के 99.12 प्रतिशत के लिए पुष्टि प्राप्त हुई है तथा 2291.39 करोड़ रुपए के लिए पुष्टि की प्रतीक्षा है।

26. लेखांकन मानक 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं की स्थिति नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (+)		
(i) आयकर अधिनियम के तहत कटौती के अयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	15.33	17.30
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)		
(i) मूल्यह्रास	0.80	0.19
(ii) पट्टा आय	(66.64)	(66.00)
(iii) परिशोधन	(0.31)	(0.24)
(iv) परिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(135.61)	(100.76)
(v) डेरिवेटिव के विरुद्ध बैंक से प्राप्त निवल एमटीएम	(55.70)	(101.00)
(vi) उधारियों पर अपरिशोधित व्यय	(58.77)	-
निवल आस्थगित कर देयताएं (-) / परिसंपत्तियां (+)	(300.90)	(250.51)

27. प्रति शेयर अर्जन पर लेखांकन मानक 20 के अनुपालन में प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी एवं तनुकृत) नीचे दी गई है :

विवरण	31,मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान
अंश गणक के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	5,855.22	2,126.39

हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (बुनियादी)	264,00,81,408	264,00,81,408
बकाया स्टॉक विकल्पों का तनुकृत प्रभाव	-	-
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (तनुकृत)	264,00,81,408	264,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (बुनियादी) (रुपए में)	22.18	8.05
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (रुपए में)	-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (तनुकृत) (रुपए में)	22.18	8.05

28. (क) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी का प्रतिशत	प्रति इक्विटी शेयर (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर पूंजी का प्रतिशत	प्रति इक्विटी शेयर (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	60 प्रतिशत (1)	6.00	1,584.05	50 प्रतिशत	5.00	1,320.04
द्वितीय अंतरिम लाभांश	18 प्रतिशत (2)	1.80	475.21	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कुल लाभांश	78 प्रतिशत	7.80	2,059.26	50 प्रतिशत	5.00	1,320.04

(1) निदेशक मंडल ने 3 नवंबर 2017 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में घोषणा की तथा तथा 23 नवंबर 2017 को भुगतान किया गया।

(2) निदेशक मंडल ने 26 फरवरी 2018 को आयोजित अपनी 370वीं बैठक में घोषणा की तथा तथा 19 मार्च 2018 को भुगतान किया गया।

(ख) अनिवासी शेयर धारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांशों की मद में विदेशी मुद्रा में कोई राशि नहीं भेजी है तथा इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि किस हद तक लाभांश की मद में विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण, यदि कोई हो, अनिवासी शेयर धारकों द्वारा / की ओर से किया गया है। अनिवासी शेयर धारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा किए गए / देय लाभांशों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
वर्ष जिससे लाभांश संबंधित है	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	4,573	3,343	5,237	एनए	एनए	एनए
उनके द्वारा धारित 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या	39,29,13,189	41,32,25,284	38,37,17,025	एनए	एनए	एनए
लाभांश की सकल राशि (करोड़ रुपए में)	235.75	206.61	69.07	एनए	एनए	एनए

29. अन्य मुख्य वित्तीय पैरामीटर :

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
ऋण इक्विटी अनुपात	5.76	5.55
निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)	39,860.67	36,470.21

30. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारत परिसंपत्तियां तथा पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) नीचे दिए गए हैं :

मद	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i) पूंजी निधि - क टीयर 1 (करोड़ रुपए में)	36,476.79	33,454.83
- ख टीयर 2 (करोड़ रुपए में)	6,470.46	6,369.90
(ii) तुलन पत्र में शामिल न की गई मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारत परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)	2,14,881.19	2,06,567.92
(iii) सीआरएआर	19.99 प्रतिशत	19.28 प्रतिशत
(iv) सीआरएआर - टीयर 1 पूंजी	16.98 प्रतिशत	16.20 प्रतिशत

(v)	सीआरएआर - टियर 2 पूंजी	3.01 प्रतिशत 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान	3.08 प्रतिशत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान
(vi)	टीयर 2 पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटेड ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	-	-
(vii)	शाश्वत ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए में)	-	-

31. आरबीआई के मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन - व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016

(क) लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियां

कृपया टिप्पणी भाग ख देखें

(ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए कृपया टिप्पणी भाग ग - 30 देखें

(ग) निवेश

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(1)	निवेशों का मूल्य		
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	2,680.68	3,680.94
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	344.32	89.81
	(ख) भारत के बाहर	-	-
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	2,336.36	3,591.13
	(ख) भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का मूवमेंट		
	(i) प्रारंभिक शेष	89.81	97.32
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	254.51	86.59
	(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का बढ़ा खाता / प्रतिलेखन	-	94.10
	(iv) अंत शेष	344.32	89.81

(घ) डेरिवेटिव

I. ऋण देयताओं के संबंध में वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का सांकेतिक मूलधन	13,781.48	6,813.10
(ii)	हानियां जो होंगी यदि समकक्ष पक्ष करारों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं	180.81	299.87
(iii)	स्वैप करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	-	-
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	167.60	299.87

II. कंपनी किसी विनिमय व्यापारित ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव की धारक नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)। III. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटन :

(क) विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंध (सीआरएम) नीति स्थापित की है। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

(ख) कंपनी रुपया एवं विदेशी मुद्रा देयता में ब्याज / विनिमय दर के बचाव के लिए डेरिवेटिव अर्थात

मूलधन केवल स्वैप, ब्याज दर स्वैप, विकल्प एवं वायदा संविदा करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंध समिति विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करती है।

- (ग) ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। इनको आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव पर मार्गदर्शन टिप्पणी / लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेखांकित किया जाता है। उल्लिखित बाजार स्थिति के निशान वे हैं जो काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा सूचित किए गए हैं।
- (घ) डेरिवेटिव लेनदेन पर संगत लेखांकन नीति के लिए कृपया टिप्पणी भाग ख - 8 देखें। IV. ऋण देयताओं के संबंध में डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटन :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	बचाव के लिए डेरिवेटिव (सांकेतिक मूलधन) (1)	9,729.73	13,781.48	2,107.63	6,813.10
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिह्नित (एमटीएम)				
	(क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	2.78	180.81	0.00	299.87
(ख)	देयता (-एमटीएम)	226.18	13.21	68.41	0.00
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बचाव रहित एक्सपोजर (2)	8,940.05	7,391.86	6,405.68	6,296.24

- (1) ब्याज दर डेरिवेटिव में 5634.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6164.60 करोड़ रुपए) की रुपया देयता पर डेरिवेटिव शामिल हैं।
- (2) इसमें 293.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 291.83 करोड़ रुपए के यूएसडी / जेपीवाई को शामिल करते हुए) के लिए एक लेग (यूएसडी / आईएनआर) के लिए की गई वायदा दर संविदा के माध्यम से आंशिक रूप से सुरक्षित की गई जेपीवाई ऋण देयता शामिल है।

(ड.) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

- I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेनदेन नहीं किया है तथा 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकरण की मद में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।
- II. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण / परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।
- III. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई आवंटन लेनदेन नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)।
- IV. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

(च) परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिसंपत्ति देयता प्रबंध परिपक्वता पैटर्न :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	30/31 दिन तक	1 से अधिक और 2 माह तक	2 से अधिक और 3 माह तक	3 से अधिक और 6 माह तक	6 से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
डिपॉजिट (1)	532.95	-	-	-	-	-	-	-	532.95
अग्रिम (2)	4,485.03	688.44	3,905.59	7,909.22	12,684.38	42,719.38	47,703.98	1,58,577.76	2,78,673.77
निवेश (3)	-	-	-	-	1,070.76	-	-	1,265.60	2,336.36
उधारियां (4)	1,275.80	2,805.00	7,345.70	12,457.70	13,056.65	69,867.71	37,178.05	67,628.47	2,11,615.08
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	240.96	240.96
विदेश मुद्रा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
देयताएं	4.67	-	5.93	-	2,348.39	5,174.02	8,024.53	2,702.55	18,260.08

- (1) बैंकों में साविध जमा
- (2) रुपया ऋण परिसंपत्तियां
- (3) प्रावधान का निवल
- (4) रुपया देयताएं

(छ) प्रकटीकरण

- I. कंपनी ने अचल संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं किया है।
- II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार राशि	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कारपस का निवेश अनन्य रूप से कारपोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय तरजीही शेयरों में निवेश सहित) में निवेश न किया गया हो;	1,874.53	1,874.79
(ii)	शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को स्पष्ट आधार पर शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं अर्थात् जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की यूनिटों से अग्रिम राशि पूरी तरह कवर नहीं होती है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,700.47	2,772.39
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि / पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों से संबंधित सभी जोखिम	6.15	6.15
	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम	4,581.15	4,653.33

III. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्त पोषण का ब्यौरा : कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल ऋणी सीमा (एसजीएल) / समूह ऋणी

सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा : कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एकल ऋणी / समूह ऋणी सीमा के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है।

V. अप्रतिभूत अग्रिम :

अग्रिमों की कुल राशि जिनके विरुद्ध राइट्स, लाइसेंस / प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

- (ज) वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण : शून्य
- (झ) आरबीआई तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई तथा अन्य विनियामकों द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।
- (ञ) क्रेडिट रेटिंग
- (क) वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधिक रेटिंग	अल्पावधिक रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ है।

(ख) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी को आवंटित दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी-	स्टेबल
2.	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एण्ड	बीबीबी-	स्टेबल
3.	मूडीज	बीएए3	स्टेबल

(ट) अवधि, पूर्व अवधि की मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में कृपया लाभ एवं हानि विवरण के अंतर्गत क्रमशः टिप्पणी भाग क-18 और टिप्पणी भाग ग-20 देखें।

(ठ) परिस्थितियां जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई है

कृपया टिप्पणी भाग ग-16 देखें

(ड) कंपनी लेखांकन मानक - 21 एवं 27 के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। कृपया इस संबंध में लेखाओं पर टिप्पणियों का भाग ग-7 (क) देखें।

(ढ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	254.51	(7.51)
एनपीएस के लिए प्रावधान	732.46	3,913.62
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	780.43	(39.57)
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां	(952.06)	1227.03
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,421.34	3,074.30

(ण) आरक्षित निधियों से आहरण द्वारा गिरावट

कृपया टिप्पणी भाग क - 2 - आरक्षित एवं आधिक्य देखें।

(त) जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और एनपीए का संकेन्द्रण

(क) जमा राशियों का संकेन्द्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) - कंपनी जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों को कुल अग्रिम	1,62,724.45	1,53,506.95
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों को अग्रिमों का प्रतिशत	58.34 प्रतिशत	62.60 प्रतिशत

(ग) ऋण जोखिमों का संकेन्द्रण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों / ग्राहकों को कुल ऋण जोखिम	2,37,469.89	2,40,892.19
ऋणग्राहियों / ग्राहकों पर कंपनी के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों / ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	53.90 प्रतिशत	56.23 प्रतिशत

(घ) एनपीए का संकेन्द्रण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
चार शीर्ष एनपीए खातों में कुल बकाया राशि	12,326.29	22,667.83

(ड.) क्षेत्रवार एनपीए :

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल एनपीए का प्रतिशत 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 12.50 प्रतिशत) है।

(थ) ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में एनपीए का मूवमेंट

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (प्रतिशत)	7.55	10.55
(ii)	एनपीए का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	30,702.21	7,519.04
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,477.99	24,573.14
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	19,477.53	1,389.97
	(घ) अंत शेष	26,702.67	30,702.21
(iii)	निवल एनपीए का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	25,345.96	6,061.02
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,451.96	20,536.64
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	17,197.85	1,251.70
	(घ) अंत शेष	20,600.07	25,345.96
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	5,356.25	1458.02
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,026.02	4,036.50
	(ग) अधिक प्रावधानों का बढ़ा खाता / प्रतिलेखन	2,279.67	138.27
	(घ) अंत शेष	6,102.60	5,356.25

- (द) संयुक्त उद्यमों या सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्ति नहीं है।  
 (ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की तुलन पत्र के बाहर की सूची के लिए कृपया टिप्पणी भाग ग - 7(क) (ख) देखें।  
 (न) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
(क)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

32. प्रमुख निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 के पैरा 18 के अनुसरण में यथालागू प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 को राशि		31 मार्च, 2017 को राशि	
		बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1)	देयता स्लाइड कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया व्याज शामिल है :				
	(क) डिबेंचर : प्रतिभूत	20,401.58	0.00	20,109.87	0.00
	: अप्रतिभूत	1,76,033.95	0.00	1,70,800.80	0.00
	(ख) (i) रुपया सावधि ऋण	10,525.00	0.00	2,000.00	0.00
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	15,653.08	0.00	7,276.58	0.00
	(ग) वाणिज्यिक पेपर	0.00	0.00	-	0.00
	(घ) अल्पावधिक ऋण	-	0.00	2,400.79	0.00
	परिसंपत्ति स्लाइड	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन	
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा (उनसे भिन्न जो नीचे (3) में शामिल हैं) (प्रावधानों का निवल) :			168,251.79	
	(क) प्रतिभूत	1,83,404.95			
	अप्रतिभूत	89,590.21		72,039.40	
(3)	पट्टा परिसंपत्तियों एवं किराए पर लिए गए स्टॉक और एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा (प्रावधानों का निवल) :				
	(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :				
	(क) वित्तीय पट्टा	174.89		194.32	
(4)	निवेशों का ब्यौरा (प्रावधानों का निवल)				
	वर्तमान निवेश				
1.	उद्धरित				



		(i) शेयर						
		(क) इक्विटी	1,070.76				1,071.02	
2.		अनुद्धरित						
		(i) शेयर						
		(क) इक्विटी	-				254.51	
		दीर्घावधिक ऋण						
1.		उद्धरित						
		(i) शेयर						
		(क) इक्विटी	12.00				12.00	
		(ii) डिबेंचर एवं बांड	800.00				1800.00	
2.		अनुद्धरित						
		(i) शेयर						
		(क) इक्विटी	247.45				247.45	
		(ख) तरजीह	200.00				200.00	
		(ii) एसआईवी फंड की यूनिटें	6.15				6.15	
(5)	उपर्युक्त (2) और (3) में यथा वित्त पोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूहवार वर्गीकरण : (प्रावधान के लागू मानदंडों के अनुसार)							
श्रेणी			प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)			प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)		
			प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.	संबंधित पक्ष							
	(क)	सहायक कंपनी	0.00	557.63	557.63	0.00	496.18	496.18
	(ख)	अन्य संबंधित पक्ष	0.03	0.49	0.52	0.40	0.46	0.50
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न		1,83,579.81	89,032.09	2,72,611.90	168,446.07	71,542.76	2,39,988.83
		कुल	1,83,579.84	89,590.21	2,73,170.05	1,68,446.11	72,039.40	2,40,485.51
(6)	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घावधिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण							
श्रेणी			31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
			बाजार मूल्य / ब्यौरा\$ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों की निवल)		बाजार मूल्य / ब्यौरा\$ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों की निवल)	
1.	संबंधित पक्ष							
	(क)	सहायक कंपनियां	416.55	300.95		437.91	300.95	
	(ख)	समान समूह में कंपनियां	166.78	146.50		183.86	146.50	
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न							
	(i)	उद्धरित	2,030.92	1,882.76		3,170.10	2,883.02	
	(ii)	अनुद्धरित	342.70	6.15		331.47	260.66	
		कुल	2,956.95	2,336.36		4,123.34	3,591.13	
(7)	अन्य सूचना							
		विवरण	राशि (31 मार्च, 2018 को)		राशि (31 मार्च, 2017 को)			
(i)	सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां							
	(क)	संबंधित पक्षों से भिन्न	26,705.18		30,718.61			
(ii)	निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां							
	(क)	संबंधित पक्षों से भिन्न	20,600.07		25,345.95			
	(iii)	कर्ज के बदले में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)	341.10		341.10			
.इनकारात्मक ब्यौरा मूल्य के मामले में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है								

33. आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निदेशक मंडल तथा प्रबंध संरचना के संबंध में अपनाई गई पद्धति के अनुसरण में व्यवसाय के सेगमेंट की पहचान की जाती है। कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करना है जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट माना जाता है। अतः सेगमेंट की रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
34. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
35. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए, आवश्यक होने पर पिछली अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

(मनोहर बलवानी)  
कंपनी सचिव

हस्ता/-

(एन बी गुप्ता)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

हस्ता/-

(राजीव शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 01411N

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 000458N

हस्ता/-

(सीए एम के अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या - 014956

हस्ता/-

(सीए भूपेंद्र सिंह)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या - 092867

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 31 मई, 2018

## सेवा में, सदस्यगण, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेडसमेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद इसमें "होलिडिंग कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (होलिडिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "ग्रुप" कहा गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार तुलन पत्र और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे इसके बाद इसमें "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) का सारांश शामिल है।

### समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद इसमें "अधिनियम" कहा गया है) की आवश्यकताओं के अनुसार होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसरण में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो ग्रुप एवं इसकी संयुक्त उद्यम संस्था की वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित रोकड़ प्रवाह की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। ग्रुप में शामिल कंपनियों और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने एवं पता लगाने के लिए समुचित लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में समुचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगाना तथा ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, उसे लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल उपरोक्त अनुसार होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा, समेकित विवरण तैयार करने में लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने तथा ऐसे वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए उन्हें कारगर ढंग से परिचालित करने में किया जा सके, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी बड़ी गलत बयानी से मुक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हों।

### लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की है। लेखा परीक्षा संचालित करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा के मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने हैं।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 10 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखा परीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा परीक्षा में निष्पादक प्रक्रियाएं भी शामिल होती होती हैं ताकि समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और प्रकटनों के

बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। जोखिम के ऐसे मूल्यांकनों को अंजाम देते समय लेखा परीक्षक होल्डिंग कंपनी की तैयारी और संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करता है ताकि समेकित वित्तीय विवरणों के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए परिस्थितियों के अनुसार लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया अपनाई जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता तथा समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमें लेखा परीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए, और अन्य लेखा परीक्षकों के नीचे 'अन्य मामले' संबंधी पैराग्राफ के उप पैरा (क) में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

## राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना को इस प्रकार अपेक्षित ढंग से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आम तौर पर लेखांकन के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 को ग्रुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की समेकित स्थिति और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित लाभ तथा उनके समेकित नकदी प्रवाह के बारे में सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

## अन्य मामले

(क) हमने 4 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2018 को 919.20 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, 151.38 करोड़ रुपए का कुल राजस्व और 86.44 करोड़ रुपए का निवल नकदी प्रवाह उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें सौंपी है और समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों के संदर्भ में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अंतर्गत उक्त सहायक कंपनियों के संबंध में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी विचार किया है, जिसकी वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2018 को 1,511.35 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, 461.78 करोड़ रुपए का कुल राजस्व और 62.17 करोड़ रुपए का निवल नकदी प्रवाह उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए दर्शाया गया है, जिस पर समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है। हमें ये वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा सौंपे गए हैं और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय जहां तक यह इस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था से संबंधित है, पूरी तरह ऐसे गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार ये वित्तीय विवरण ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में हमारी राय और अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं के बारे में नीचे दी गई हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में, जहां तक अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता का प्रश्न है, संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं के बारे में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 3 की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों / प्रबंधन द्वारा दी गई रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि कंपनी ने उक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानूनी रूप से अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए रखी गई संबद्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ.) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप धारा 2 के प्रावधान गुप एवं इसकी संसुक्त उद्यम संस्था पर लागू नहीं हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं।

(च) गुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन सक्षमता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'क' में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

- i. समेकित वित्तीय विवरण गुप और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित अदालती मामलों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों में भाग-ग 'लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियां' की टिप्पणी संख्या 3(ख), 3(ग) एवं 4 देखें;
- ii. गुप और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घावधिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई सारवान पूर्वानुमानित हानिथी;
- iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित निधि के अंतरण में गुप और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था ने कोई देरी की है।

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हाथ से	के हाथ से
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए एम के अग्रवाल	सीए भूपेंद्र सिंह
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867
दिनांक : 25 मई, 2018	
स्थान: नई दिल्ली	

समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित हमारी समदिनांकित रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप रा 3 के खंड के (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए और के समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के संयोग में, हमने उक्त तिथि को पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे इसके बाद इसमें "होल्लिंग कंपनी" कहा गया है), उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था जो भारत में कंपनियों के रूप में निगमित हैं, के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व

होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उसे बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय का सुचारु और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू किए। इनमें संबद्ध कंपनियों की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और अनुवेदन, लेखांकन के रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

### लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय जाहिर करने की है। इन वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 10 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'मार्गदर्शन टिप्पणी' (मार्गदर्शन टिप्पणी) और लेखांकन मानकों के अनुसार की है इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नैतिकता की आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखा परीक्षा करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरण स्थापित एवं अनुरक्षित हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सारवान मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणियों के तहत यह अपेक्षित है कि ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो सारवान कमजोरी मौजूद है, का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालन कारगरता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयान बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा यह विश्वास है कि हमें लेखा परीक्षा संबंधी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों को नीचे अन्य मामले संबंधी पैराग्राफ में वर्णित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) ऐसे रिकार्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनेदेन का रिकार्ड आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति की अपेक्षा के अनुसार रखा गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनाधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

नियंत्रणों के विफल होने या प्रबंधन द्वारा अनुचित उल्लंघन होने की आशंका सहित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सारवान गलत बयानी हो सकती है और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 को कारगर ढंग से प्रचालित थे,

जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणियों में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित मानदंड पर आधारित थे।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत 3 सहायक कंपनियों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनगत सक्षमता के बारे में हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के लेखा परीक्षकों की समनुरूप रिपोर्टों पर आधारित है, ऐसी संस्थाओं की आईएफसी रिपोर्ट के अभाव में हम होल्लिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर निर्भर रहे हैं। हमारी राय में, गुप और इसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के समेकित वित्तीय विवरण के लिए इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है।



कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या : 000458N
के हाथ से	
हस्ता/-	हस्ता/-
सीए एम के अग्रवाल	सीए भूपेंद्र सिंह
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867
दिनांक : 25 मई, 2018	
स्थान: नई दिल्ली	

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 मई 2018 के माध्यम से ऐसा किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है।

हमने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है परंतु इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड, पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्डों की वरणात्मक जांच तक सीमित है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण निकलकर नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या उसमें कुछ जोड़ा जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से तथा के लिए

हस्ता/-

(विक्रम डी मुरुगराज)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य,

लेखा परीक्षा बोर्ड - III

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 19 जुलाई, 2018

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन L65910DL1986GOI024862 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
क इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयरधारकों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी	क-1	2,640.08		2,640.08	
(ख) आरक्षित एवं आधिक्य	क-2		40,201.74		36,844.91
		1.66	37,56	4.83	34,20
(2) गैर वर्तमान देयताएं					
(क) दीर्घावधिक ऋण	क-3				
प्रतिभूत		13,691.52		20,106.17	
अप्रतिभूत		1,78,362.96	1,92,054.48	1,54,997.19	1,75,103.36
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	ग-26		296.16		247.55
(ग) अन्य दीर्घावधिक देयताएं	क-4		5,931.40		6,143.07
(घ) दीर्घावधिक प्रावधान	क-5		2,252.45		2,667.16
(3) वर्तमान देयताएं					
(क) अल्पावधिक ऋण	क-3				
प्रतिभूत		172.82		2,543.48	
अप्रतिभूत		6,953.28		0.00	
(ख) व्यापार की संदेय राशियाँ					
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		0.00		0.00	
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न ऋणदाताओं का कुल बकाया देय		389.29		120.55	
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं					
(ii) दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-3				
प्रतिभूत		7,050.94		3.70	
अप्रतिभूत		24,078.90		25,342.20	
(iii) अन्य अल्पावधिक देयताएं	क-4	8,052.26		8,592.95	
(घ) अल्पावधिक प्रावधान	क-5	741.31	47,438.80	1,928.55	38,531.43
कुल			2,88,175.03		2,59,537.48
ख परिसंपत्तियां					
(1) गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
(क) अचल परिसंपत्तियाँ	क-6				
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		526.52		393.03	
घटाएं : संचित मूल्यह्रास		162.34	364.18	97.87	295.16
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		14.99		9.62	
घटाएं : संचित परिशोधन		8.99	6.00	8.40	1.22
(iii) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ			411.88		105.44
(ख) कुल - वर्तमान निवेश	क-7				
व्यापार		76.04		19.50	
अन्य		800.00	876.04	1,800.00	1,819.50
(ग) दीर्घावधिक ऋण	क-8				
प्रतिभूत		1,56,427.91		1,38,911.54	
अप्रतिभूत		79,033.76	2,35,461.67	62,026.71	2,00,938.25
(घ) अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ	क-9				
(i) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 12 माह तक से अधिक)		111.65		152.17	
(ii) अन्य		5,900.77	6,012.42	5,575.04	5,727.21
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां					
(क) वर्तमान निवेश	क-10	1,070.78		1,325.67	
(ख) व्यापार की प्राप्य राशियां	क-19				
6 माह से अधिक		228.74		166.03	

		अन्य		156.56		113.53	
--	--	------	--	--------	--	--------	--

विवरण		टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
(ग)	नकदी एवं बैंक शेष	क-11	780.54		3,792.83	
(घ)	अल्पावधिक ऋण	क-8				
	प्रतिभूत		6,351.65		1,490.49	
	अप्रतिभूत		4,815.36		4,412.41	
(ङ.)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
(i)	दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	क-8				
	प्रतिभूत		21,467.78		28,659.49	
	अप्रतिभूत		5,126.66		5,045.28	
(ख)	अन्य	क-9	5,044.77	45,042.84	5,644.97	50,650.70
	कुल			2,88,175.03		2,59,537.48

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

भाग ख लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियां

भाग ग भाग (क) से भाग (ग) के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हस्ता/- (मनोहर बलवानी कंपनी सचिव	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ता/- (एन बी गुप्ता) निदेशक (वित्त) डीआईएन - 00530741	हस्ता/- (राजीव शर्मा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन - 00973413
--	--	--

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 01411एन	फर्म पंजीकरण संख्या 000458 एन
हस्ता/-	हस्ता/-
एम के अग्रवाल	भूपेंद्र सिंह
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867
दिनांक : 25 मई, 2018	
स्थान : नई दिल्ली	

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन L65910DL1986GOI024862 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
I.	प्रचालनों से राजस्व					
	ब्याज	क-12	25,870.01		26,333.11	
	परामर्श / सलाह सेवाएं		179.25		181.44	
	अन्य प्रचालन आय		604.62		648.51	
	अन्य वित्तीय सेवाएं		322.30	26,976.18	318.10	27,481.16
II.	अन्य आय					
	अन्य आय	क-13		269.15		130.13
III.	कुल आय (I+II)			27,245.33		27,611.29
IV.	व्यय					
	वित्त लागत	क-14		17,541.41		16,767.64
	उधार लेने पर व्यय	क-15		28.45		26.58
	कर्मचारी लाभ व्यय	क-16		192.78		133.24
	प्रावधान	सी 12		570.02		5,112.33
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	क-10		254.56		(7.41)
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	क-6		70.47		40.82
	सीएसआर व्यय	ग-18		120.10		167.64
	अन्य व्यय	क-17		107.02		105.29
	पिछली अवधि की मदें (निवल)	क-18		1.04		1.47
	कुल व्यय			18,885.85		22,347.60
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)			8,359.48		5,263.69
VI.	आपवादिक मदें			0.00		0.00
VII.	असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (V-VI)			8,359.48		5,263.69
VIII.	असाधारण मदें			0.00		0.00
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			8,359.48		5,263.69
X.	कर व्यय					
	(1) वर्तमान कर					
	वर्तमान वर्ष			2,464.74		3,121.71
	पिछले वर्ष			0.4		(0.47)
		2				
	(2) आस्थगित कर देयता (+) / परिसंपत्ति (-)	ग-26		50.21		(93.65)
XI.	सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (हानि) (IX - X)			5,844.11		2,236.10
XII.	10 रुपए प्रत्येक के सम मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर अर्जन	ग-27				
	(1) बुनियादी (रुपए)			22.14		8.47
	(2) तनुकृत (रुपए)			22.14		8.47

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

भाग ख लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियां

भाग ग भाग (क) से भाग (ग) के अंतर्गत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हस्ता/-  
(मनोहर बलवानी)

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
हस्ता/-  
(एन बी गप्ता)

हस्ता/-  
(राजीव शर्मा)

कंपनी सचिव

निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनीचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या 000458N
के हाथ से	के हाथ से
हस्ता/-	हस्ता/-
एम के अग्रवाल	भूपेंद्र सिंह
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867
दिनांक : 25 मई, 2018	
स्थान : नई दिल्ली	



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन L65910DL1986GOI024862 31 मार्च,, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित  
नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी भाग	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
	कर तथा असाधारण मद पूर्व निवल लाभ		8,359.48	5,263.69
	जोड़ें : निम्नलिखित के लिए समायोजन -			
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)		0.42	0.16
	निवेशों की बिक्री पर लाभ	क-13	(0.78)	(0.50)
	मूल्यहास / परिशोधन (पिछली अवधि का मूल्यहास सहित)	क-6	70.38	41.04
	जीरो कूपन बांडों और कमर्शियल पेपर्स का परिशोधन		(66.41)	99.49
	विदेशी मुद्रा अंतरण हानि		245.45	221.48
	डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	क-14	132.45	(178.15)
	निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		254.56	(7.41)
	प्रावधान	सी 12	570.02	5,112.33
	निवेश पर लाभांश	क-13	(65.47)	(90.38)
	सीएसआर व्यय		0.00	166.15
	ब्याज सब्सिडी निधि		6.31	2.22
	आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए प्रावधान		0.14	0.69
	प्रतिवेधित अतिरिक्त देयताएं एवं प्रावधान	क-13	(164.93)	(0.12)
	सेवानिवृत्ति लाभ / अन्य कल्याण व्यय / मजदूरी में संशोधन के लिए प्रावधान		73.00	19.03
	प्राप्त ब्याज		(25.15)	(22.54)
	भुगतान किया गया ब्याज		29.91	15.79
	आस्थगित कर व्यय		0.34	0.23
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		9,419.72	10,643.20
	वढोतरी / कमी :			
	ऋण परिसंपत्तियां (निवल)		(33,440.08)	(7,377.60)
	अन्य परिसंपत्तियां		(159.71)	(4,749.27)
	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा	क-2(ग)(vi)	(1.09)	84.46
	देयताएं एवं प्रावधान		(455.51)	6,496.07
	असाधारण मदों से पूर्व नकदी प्रवाह		(24,636.67)	5,096.86
	असाधारण मदें		0.00	0.00
	कर पूर्व प्रचालनों से नकद अंतःप्रवाह / बहिर्प्रवाह		(24,636.67)	5,096.86
	अदा किया गया आयकर		(2,661.28)	(3,370.01)
	आयकर रिफंड		1.83	68.61
	प्रचालन की गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		(27,296.12)	1,795.46
II.	निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
	मूर्त / अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री / समायोजन		0.30	0.10
	मूर्त / अमूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	क-6	(140.92)	(124.36)
	विकास एवं सीडब्ल्यूआईपी के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी	क-6	(295.31)	(57.01)
	सहायक कंपनियों में निवेश		0.00	(0.64)
	प्राप्त ब्याज		23.25	22.28
	निवेश पर लाभांश / ब्याज		65.38	90.38
	अन्य निवेशों की खरीद / बिक्री		959.24	(597.67)
	पूंजी अग्रिम		(1.43)	(0.17)
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		610.51	(667.09)

III.	वित्त पोषण की गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
	इक्विटी शेयरों का निर्गम		0.00		31.39
	बांडों का निर्गम (प्रीमियम सहित) (निवल)		4,046.30		18,570.20
	दीर्घावधिक ऋणों की उगाही (निवल)		8,893.27		(8,781.10)
	विदेशी मुद्रा ऋण (निवल)		9,584.90		(2,559.98)
	भुगतान किया गया ब्याज		(29.91)		(15.73)
	कमर्शियल पेपर (निवल)		7,030.00		(5,350.00)
	सावधि जमा राशियों के विरुद्ध ऋण / कार्यकारी पूंजी मांग ऋण / ओडी / सीसी / लाइन ऑफ क्रेडिट (निवल)		(2,385.07)		356.70
	दावा रहित बांड (निवल)		3.41		(3.32)
	दावा रहित लाभांश (निवल)		1.20		(0.29)
	पिछले वर्ष के अंतिम लाभांश का भुगतान		0.00		(79.20)
	वर्तमान वर्ष के अंतरिम लाभांश का भुगतान*		(2,505.30)		0.00
	कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान		(487.21)		(218.35)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			24,151.59	1,950.32
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / कमी			(2,534.02)	3,078.69
	जोड़ें : वित्त वर्ष के शुरू में नकदी एवं नकदी समतुल्य			3,224.34	145.65
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य			690.32	3,224.34
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य का ब्यौरा :	क-11			
(i)	चालू खातों में शेष :				
	भारतीय रिजर्व बैंक में		0.02		0.02
	अनुसूचित बैंकों में		157.35	157.37	151.18
					151.20
(ii)	हस्तगत चेक			0.00	0.00
(iii)	डाक प्राधिकरण के साथ अग्रदाय			0.00	0.00
(iv)	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (3 माह तक की मूल परिपक्वता)			532.95	3,073.14
	उप जोड़ (I)			690.32	3,224.34
	वर्ष के अंत में निर्धारित एवं अन्य नकदी एवं बैंक शेष का ब्यौरा	क-11			
(i)	निर्धारित शेष :				-
(क)	बांड, लाभांश आदि पर ब्याज के भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		0.00		458.41
(ख)	आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी				
	अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		0.00		0.00
	बैंकों में मियादी जमा - डिबेंचरों के मोचन के लिए (मूल परिपक्वता 3 माह तक)		0.00	0.00	458.41
(ii)	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक परंतु 12 माह तक)			74.73	110.08
	उप जोड़ (II)			74.73	568.49
	वर्ष के अंत में कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य (I+II)			765.05	3,792.83

\*31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 1320.04 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश प्रावधान में से 874 करोड़ रुपए भारत सरकार को अदा किए गए अग्रिम के विरुद्ध समायोजित किए गए हैं तथा शेष 446.04 करोड़ रुपए का भुगतान वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया है।

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 145.84 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 113.81 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

हस्ता/-  
(मनोहर बलवानी  
कंपनी सचिव

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
(एन वी गुप्ता)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

हस्ता/-  
(राजीव शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 01411एन	फर्म पंजीकरण संख्या 000458 एन
के हाथ से	के हाथ से
हस्ता/-	हस्ता/-
एम के अग्रवाल	भूपेंद्र सिंह
भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867
दिनांक : 25 मई, 2018	
स्थान: नई दिल्ली	

टिप्पणी : भाग क - 1

समेकित शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
क	अधिकृत :		
	10 रुपए प्रत्येक के सममूल्य के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रत्येक के सममूल्य के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	कुल	10,000.00	10,000.00
ख	जारी, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
	10 रुपए प्रत्येक के सममूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपए प्रत्येक के सममूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 2,64,00,81,408 इक्विटी शेयर)	2,640.08	2,640.08
	कुल	2,640.08	2,640.08

टिप्पणियां :

- वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर जारी किया है और न ही किसी शेयर की पुनः खरीद की है।
- कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं तथा प्रत्येक शेयर का सम मूल्य 10 रुपए है। इक्विटी शेयरधारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और वे शेयरधारकों की बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात के अनुसार वोट देने के हकदार हैं।
- 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार विमोच्य तरजीही शेयर शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।
- वर्ष के दौरान ईएसओपी योजना के तहत कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया है।
- कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक पर सूचना :

धारकों का नाम		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
भारत के राष्ट्रपति	शेयर धारण का प्रतिशत	65.92	66.35
	धारित शेयरों की संख्या	1,74,02,16,107	1,75,16,31,394
भारतीय जीवन बीमा निगम	शेयर धारण का प्रतिशत	5.96	8.65
	धारित शेयरों की संख्या	15,74.76,305	22,82.52,101

- वर्ष के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित 1,14,15,287 इक्विटी शेयर भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) को अंतरित किया है।
- तुलन पत्र की तिथि से ठीक पिछले 5 वर्षों की अवधि के लिए बोनस शेयर के रूप में आवंटित किए गए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी संबंधी सूचना :

विवरण	जारी किए गए शेयरों की संख्या	जारी करने का वर्ष
10 रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों का राइट्स इश्यू जो 1:1 के अनुपात में वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप मूल्य पर जारी किए	1,32,00,40,704	2016-17

टिप्पणी : भाग क - 2

समेकित आरक्षित निधि एवं आधिक्य

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
(क)	प्रतिभूति प्रीमियम खाता				
	प्रारंभिक शेष	2,776.54		4,096.58	
	घटाएं : बोनस निर्गम के लिए उपयोग	0.00	2,776.54	1,320.04	2,776.54
(ख)	डिबेंचर मोचन आरक्षित (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 5(क) देखें)				
	प्रारंभिक शेष	1,448.71		1,172.56	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	294.17		312.55	
	घटाएं : उपयोग के कारण आधिक्य को अंतरित	0.00	1,742.88	36.40	1,448.71
(ग)	अन्य				
(i)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiia) (ग) के तहत खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व				
	प्रारंभिक शेष	3,014.69		2,547.14	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण	372.10	3,386.79	467.55	3,014.69
(ii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत वित्त वर्ष 1996-97 तक सृजित विशेष आरक्षित		599.85		599.85
(iii)	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत वित्त वर्ष 1997-98 से सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	14,325.30		12,512.36	
	जोड़ें : वर्ष के लिए आधिक्य से अंतरण	1,595.07		1,812.97	
	घटाएं : आधिक्य में अंतरण*	0.01	15,920.36	0.03	14,325.30
(iv)	(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आई सी के तहत सांविधिक रिजर्व				
	प्रारंभिक शेष	16.98		10.95	
	जोड़ें : वर्ष के लिए आधिक्य से अंतरण	6.37	23.35	6.03	16.98
(v)	सामान्य आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	5,438.69		5,364.34	
	जोड़ें : वर्ष के लिए आधिक्य से अंतरण	1,000.00		0.00	
	जोड़ें : अभिलाभ - डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में परिवर्तन	0.00	6,438.69	74.35	5,438.69
(vi)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 6(ग) देखें)				
	प्रारंभिक शेष	(647.56)		(739.74)	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	(1.09)	(648.65)	92.18	(647.56)
(vii)	व्याज विभेद निधि - केएफडब्ल्यू आरक्षित				
	प्रारंभिक शेष	0.00		0.00	
	जोड़ें : आधिक्य से अंतरण (निवल)^	57.90	57.90	0.00	0.00
(घ)	आधिक्य				
	प्रारंभिक शेष	7,241.55		9,144.25	
	जोड़ें : वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	5,844.11		2,236.10	
	घटाएं : रिजर्व में अंतरण				
	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viiia) (ग) के तहत खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व	372.10		467.55	
	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित में अंतरण	1,595.07		1,812.97	
	- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 - आई सी के तहत सांविधिक रिजर्व में अंतरण	6.37		6.03	
	डिबेंचर मोचन आरक्षित को अंतरित	294.17		312.55	
	सामान्य आरक्षित को अंतरित	1,000.00		0.00	
	व्याज विभेद आरक्षित - केएफडब्ल्यू ऋण (निवल)^ को अंतरित	57.90		0.00	
	घटाएं : लाभांश एवं कॉरपोरेट लाभांश कर				
	अंतरित लाभांश (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 28(क))	2,059.26		1,320.04	

	दिखें)				
	अंतरिम लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	414.59		268.73	
	प्रस्तावित कॉरपोरेट लाभांश कर	6.28		0.00	
	वर्ष के दौरान समायोजन				
	जोड़ें : उपयोग के कारण डिबेंचर मोचन आरक्षित से अंतरण	0.00		36.40	
	जोड़ें : वर्तमान अवधि के दौरान समायोजन**	(15.98)		2.72	
	जोड़ें : आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विशेष आरक्षित से/में अंतरण	0.01	7,263.95	0.03	7,231.63
	जोड़ (क)+ (ख) +(ग) +(घ)#		37,561.66		34,204.83

\* कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर विवरणी के अनुसार दावा की गई कटौती से मैच करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अंतरित

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 38.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 41.07 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

\*\*इसमें पिछले वर्ष में समेकन के लिए प्रयुक्त लाभ एवं हानि के गैर लेखा परीक्षित विवरण पर लाभ एवं हानि के लेखा परीक्षित विवरण के समायोजन के विरुद्ध ईईएसएल के संबंध में 9.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.68 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

^1.51 करोड़ रुपए के उपयोग के कारण आधिक्य को अंतरित (पिछले वर्ष शून्य)

टिप्पणी : भाग क - 3

समेकित उधारियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
(क) दीर्घावधिक ऋण						
I. प्रतिभूत						
बांड						
इंफ्रास्ट्रक्चर बांड (टिप्पणी संख्या I देखें)	40.94	243.38	284.32	3.70	281.06	284.76
कर मुक्त बांड (टिप्पणी संख्या II देखें)	0.00	12,275.11	12,275.11	0.00	12,275.11	12,275.11
अन्य कराधेय बांड (टिप्पणी संख्या III देखें)	7,010.00	880.88	7,890.88	0.00	7,550.00	7,550.00
पूजी अभिलाष कर छूट बांड (टिप्पणी संख्या IV देखें)	0.00	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (I)	7,050.94	13,691.52	20,742.46	3.70	20,106.17	20,109.87
II. अप्रतिभूत						
(क) बांड						
अन्य बांड / डिबेंचर (टिप्पणी संख्या V एवं VI देखें)	21,705.00	1,47,985.37	1,69,690.37	24,155.40	1,41,836.65	1,65,992.05
सबार्डिनेटेड बांड (टिप्पणी संख्या VII देखें)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00
विदेशी मुद्रा नोट्स (टिप्पणी संख्या VIII देखें)	0.00	2,607.00	2,607.00	1,167.30	0.00	1,167.30
उप जोड़ (क)	21,705.00	1,54,392.37	1,76,097.37	25,322.70	1,45,636.65	1,70,959.35
(ख) विदेशी मुद्रा ऋण						
विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) (टिप्पणी संख्या IX देखें)	36.10	331.79	367.89	19.50	288.19	307.69
बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) (टिप्पणी संख्या X देखें)	0.00	12,462.05	12,462.05	0.00	7,072.35	7,072.35
विदेशी मुद्रा ऋण (बैंकों से एफसीएनआर(बी)) (टिप्पणी संख्या XI देखें)	2,337.80	651.75	2,989.55	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)	2,373.90	13,445.59	15,819.49	19.50	7,360.54	7,380.04
(ग) रुपया सावधि ऋण						
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (टिप्पणी संख्या XII एवं XIII देखें)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00
उप जोड़ (ग)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	2,000.00	2,000.00
उप जोड़ (II)	24,078.90	1,78,362.96	2,02,441.86	25,342.20	1,54,997.19	1,80,339.39
(ख) अल्पावधिक ऋण						
I. प्रतिभूत						
सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	0.00	0.00	0.00	2,400.79	0.00	2,400.79
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (टिप्पणी संख्या XIV देखें)	172.82	0.00	172.82	142.69	0.00	142.69
उप जोड़ (I)	172.82	0.00	172.82	2,543.48	0.00	2,543.48
II. अप्रतिभूत						
कमर्शियल पेपर (टिप्पणी संख्या XV देखें)	6,924.74	0.00	6,924.74	0.00	0.00	0.00
रुपया सावधि ऋण (बैंकों से) (टिप्पणी संख्या XVI देखें)	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (II)	6,953.28	0.00	6,953.28	0.00	0.00	0.00
कुल योग (क + ख) #	38,255.94	1,92,054.48	2,30,310.42	27,889.38	1,75,103.36	2,02,992.74

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 774.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 404.70 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणियां :-

I. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया अवसंरचना बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉन्ड सीरीज	आवंटन की तिथि	ब्याज दर प्रतिवर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	उन्मोचन की तिथि	मोचन का ब्यौरा	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
1	अवसंरचना बांड 86 सी सीरीज	30 मार्च, 2012	8.72 प्रतिशत	0.87	30 मार्च, 2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के	100 प्रतिशत
2	अवसंरचना बांड 86 डी सीरीज	30 मार्च, 2012	8.72 प्रतिशत	2.40	30 मार्च, 2027	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
3	अवसंरचना बांड 86 ए सीरीज	30 मार्च, 2012	8.43 प्रतिशत	7.39	30 मार्च, 2022	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के	100 प्रतिशत
4	अवसंरचना बांड 86 बी सीरीज	30 मार्च, 2012	8.43 प्रतिशत	15.47	30 मार्च, 2022	आवंटन की तिथि से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इंफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
5	अवसंरचना बांड (2011-12) सीरीज-I	21 नवंबर, 2011	8.50 प्रतिशत	21.85	21 नवंबर, 2021	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर	100 प्रतिशत
6	अवसंरचना बांड (2011-12) सीरीज-II	21 नवंबर, 2011	8.50 प्रतिशत	36.34	21 नवंबर, 2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।	प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
7	अवसंरचना बांड (2010-11) सीरीज-I	31 मार्च, 2011	8.30 प्रतिशत	49.95	31 मार्च, 2021	आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	100 प्रतिशत
8	अवसंरचना बांड (2010-11) सीरीज-2	31 मार्च, 2011	8.30 प्रतिशत	109.11	31 मार्च, 2021	आवंटन की तिथि से 10 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।	कंपनी के 3,090.80 करोड़ रुपए के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
9	अवसंरचना बांड (2011-12) सीरीज-III	21 नवंबर, 2011	8.75 प्रतिशत	3.23	22 नवंबर, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय।	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
10	अवसंरचना बांड (2011-12) सीरीज-IV	21 नवंबर, 2011	8.75 प्रतिशत	8.83	22 नवंबर, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को तथा एक दिन वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को वार्षिक संचयी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सममूल्य पर मोचनीय।		100 प्रतिशत
11	अवसंरचना बांड (2010-11) सीरीज-3	31 मार्च, 2011	8.50 प्रतिशत	6.13	1 अप्रैल, 2018	बांड धारकों द्वारा विकल्प अपनाए जाने की स्थिति में, आवंटन की तिथि से 7 वर्षों में पड़ने वाली किसी तिथि को सममूल्य पर मोचनीय; अन्यथा आवंटन की तिथि से 15 वर्षों में पड़ने	जंगपुरा, नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम प्रभार के साथ 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के 3,090.80 करोड़ रुपए के विशिष्ट बही ऋण पर प्रभार द्वारा	100 प्रतिशत





26	कर मुक्त बांड सीरीज 95 ए	29 नवंबर, 2012	7.38 प्रतिशत	100.00	29 नवंबर, 2027	चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार। ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, अंतर्निहित प्रतिभूति के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियां / ऋण परिसंपत्तियां।	100 प्रतिशत
27	कर मुक्त बांड सीरीज 94 ए	22 नवंबर, 2012	7.38 प्रतिशत	25.00	22 नवंबर, 2027		
28	कर मुक्त बांड (2011-12) ट्रांचे - I - सीरीज II	1 फरवरी, 2012	8.30 प्रतिशत	1,280.58	1 फरवरी, 2027	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
29	कर मुक्त बांड सीरीज 80 ए	25 नवंबर, 2011	8.16 प्रतिशत	209.34	25 नवंबर, 2026	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
30	कर मुक्त बांड सीरीज 79 ए	15 अक्टूबर, 2011	7.75 प्रतिशत	217.99	15 अक्टूबर, 2026		
31	कर मुक्त बांड 2015-16 एसआर-1ए	17 अक्टूबर, 2015	7.11 प्रतिशत	75.09	17 अक्टूबर, 2025	कंपनी का कुल बही ऋण (ऐसे बही ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित है) जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
32	कर मुक्त बांड 2015-16 एसआर-1ए	17 अक्टूबर, 2015	7.36 प्रतिशत	79.35	17 अक्टूबर, 2025		
33	कर मुक्त बांड सीरीज 136	17 जुलाई, 2015	7.16 प्रतिशत	300.00	17 जुलाई, 2025	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
34	कर मुक्त बांड (2013-14) - सीरीज 2 क	16 नवंबर, 2013	8.18 प्रतिशत	325.07	16 नवंबर, 2023	कंपनी का कुल बही ऋण (ऐसे बही ऋणों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित है) जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
35	कर मुक्त बांड (2013-14) - सीरीज 2 क	16 नवंबर, 2013	8.43 प्रतिशत	335.47	16 नवंबर, 2023		
36	कर मुक्त बांड सीरीज 107 ए	30 अगस्त, 2013	8.01 प्रतिशत	113.00	30 अगस्त, 2023	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
37	कर मुक्त बांड (2012-13) ट्रांचे - II - सीरीज I	28 मार्च, 2013	6.88 प्रतिशत	50.93	28 मार्च, 2023	कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)	100 प्रतिशत
38	कर मुक्त बांड (2012-13) ट्रांचे - II - सीरीज I	28 मार्च, 2013	7.38 प्रतिशत	45.23	28 मार्च, 2023		
39	कर मुक्त बांड (2012-13) ट्रांचे - I - सीरीज I	4 जनवरी, 2013	7.19 प्रतिशत	189.57	4 जनवरी, 2023	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
40	कर मुक्त बांड (2012-13) ट्रांचे - I - सीरीज I	4 जनवरी, 2013	7.69 प्रतिशत	153.18	4 जनवरी, 2023		
41	कर मुक्त बांड सीरीज 95 ए	29 नवंबर, 2012	7.22 प्रतिशत	30.00	29 नवंबर, 2022	चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार। ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, अंतर्निहित प्रतिभूति के साथ कंपनी की सभी वर्तमान एवं	100 प्रतिशत

42	कर मुक्त बांड सीरीज 94 ए	29 नवंबर, 2012	7.21 प्रतिशत	255.00	22 नवंबर, 2022	भावी प्राप्य राशियां / ऋण परिसंपत्तियां।	
43	कर मुक्त बांड (2011-12) ट्रांचे - I - सीरीज I	1 फरवरी, 2012	8.20 प्रतिशत	2,752.55	01 फरवरी, 2022	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर पहले ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है)।	100 प्रतिशत
44	कर मुक्त बांड सीरीज 80 ए	25 नवंबर, 2011	8.09 प्रतिशत	334.31	25 नवंबर, 2021	गुंडी, चेन्नई में स्थित अचल संपत्ति पर प्रथम समरूप प्रभार के साथ वर्तमान एवं भावी प्राप्य राशियों के प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत (ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन्हें वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इफ्रा बांड के निर्गम के लिए विशेष रूप से प्रभारित किया गया है)।	100 प्रतिशत
45	कर मुक्त बांड सीरीज 79 ए	15 अक्टूबर, 2011	7.51 प्रतिशत	205.23	15 अक्टूबर, 2021		
		कुल		12,275.11			

III. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया अन्य कराधेय बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉन्ड सीरीज	आवंटन की तिथि	ब्याज दर प्रतिवर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	मोचन की तिथि	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
46	एसटीआरपीपी सी 20,00,000 रुपए प्रत्येक की 1250 यूनिटें)	20 सितंबर, 2016	8.07 प्रतिशत	79.28	20 सितंबर, 2023	वर्तमान एवं भावी दोनों स्टॉक एवं प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
47	सीरीज -II	18 जुलाई, 2017	7.80 प्रतिशत	142.70	18 जुलाई, 2022	वर्तमान एवं भावी दोनों स्टॉक एवं प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
48	एसटीआरपीपी बी 10,00,000 रुपए प्रत्येक की 1250 यूनिटें)	20 सितंबर, 2016	8.07 प्रतिशत	39.63	20 सितंबर, 2021	वर्तमान एवं भावी दोनों स्टॉक एवं प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
49	सीरीज -IV	29 जनवरी, 2018	8.29 प्रतिशत	39.64	28 मई, 2021	वर्तमान एवं भावी दोनों स्टॉक एवं प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत
50	कराधेय बांड सीरीज 112 सी	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2021	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
51	एसटीआरपीपी ए 10,00,000 रुपए प्रत्येक की 1250	20 सितंबर, 2016	8.07 प्रतिशत	39.63	20 मार्च, 2020	वर्तमान एवं भावी दोनों स्टॉक एवं प्राप्य राशियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत।	100 प्रतिशत

यूनिट)							
52	कराधेय बांड सीरीज 112 ख	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2020	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
53	कराधेय बांड सीरीज 113	03 मार्च, 2014	9.69 प्रतिशत	2,240.00	03 मार्च, 2019	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
54	कराधेय बांड सीरीज 112 ए	31 जनवरी, 2014	9.70 प्रतिशत	270.00	31 जनवरी, 2019	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
55	कराधेय बांड सीरीज 109	07 अक्टूबर, 2013	9.81 प्रतिशत	4,500.00	07 अक्टूबर, 2018	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
		कुल		7,890.88			

IV. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया पूंजी अभिलाभ कर मुक्त बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

51	पीएफसी पूंजी अभिलाभ बांड सीरीज 1 (2017-18)	राशि (करोड़ रुपए में)	प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूति की सीमा
	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सममूल्य पर 5.25 प्रतिशत मोचनीय	292.15	ऐसी प्राप्य राशियों को छोड़कर जिन पर कंपनी द्वारा पहले से ही विशिष्ट प्रभार सृजित किया गया है, कंपनी की कुल प्राप्य राशियों पर प्रथम समरूप प्रभार, जो लेनदेन के दस्तावेजों के तहत / अनुसरण में बांड धारकों और/या अन्यो को भुगतान / पुनर्भुगतान योग्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं व्यय तथा किसी भी प्रकार के अन्य धन सहित बांडों के भुगतान / पुनर्भुगतान की सीमा तक सीमित है।	100 प्रतिशत
	कुल	292.15		

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार जीरो कूपन बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

बांड सीरीज	अंकित मूल्य (करोड़ रुपए में)	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
जीरो कूपन अप्रतिभूत कराधेय बांड 2022-XIX सीरीज (231.55 करोड़ रुपए के अपरिशोधित ब्याज का निवल) 231.55 करोड़ रुपए)	750.00	30 दिसंबर, 2022	518.45

VI. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कराधेय बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बांड सीरीज	कूपन रेट	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 1930	192.70
2	सीरीज 66-सी	8.85 प्रतिशत	15 जून, 1930	633.00
3	सीरीज 118-बी-III	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2029	460.00
4	सीरीज 103	8.94 प्रतिशत	25 मार्च, 2028	2,807.00
5	सीरीज 102-ए(III)	8.90 प्रतिशत	18 मार्च, 2028	403.00
6	सीरीज 101-बी	9.00 प्रतिशत	11 मार्च, 2028	1,370.00
7	सीरीज 172	7.74 प्रतिशत	29 जनवरी, 2028	850.00
8	सीरीज 171	7.62 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2027	5,000.00
9	सीरीज 170 बी	7.65 प्रतिशत	22 नवंबर, 2027	2,001.00
10	सीरीज 169 बी	7.30 प्रतिशत	07 अगस्त, 2027	1,500.00
11	सीरीज 168 बी	7.44 प्रतिशत	11 जून, 2027	1,540.00
12	सीरीज 155	7.23 प्रतिशत	05 जनवरी, 2027	2,635.00
13	सीरीज 152	7.55 प्रतिशत	25 सितंबर, 2026	4,000.00
14	सीरीज 151 बी	7.56 प्रतिशत	16 सितंबर, 2026	210.00
15	सीरीज 77-बी	9.45 प्रतिशत	01 सितंबर, 2026	2,568.00
16	सीरीज 150 बी	7.63 प्रतिशत	14 अगस्त, 2026	1,675.00
17	सीरीज 76-बी	9.46 प्रतिशत	01 अगस्त, 2026	1,105.00
18	सीरीज 147	8.03 प्रतिशत	02 मई, 2026	1,000.00
19	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2025	192.70
20	सीरीज 141-बी	8.40 प्रतिशत	18 सितंबर, 2025	1,000.00
21	सीरीज 66-बी	8.75 प्रतिशत	15 जून, 2025	1,532.00
22	सीरीज 65	8.70 प्रतिशत	14 मई, 2025	1,337.50
23	सीरीज 130-सी	8.39 प्रतिशत	19 अप्रैल, 2025	925.00
24	सीरीज 64-III	8.95 प्रतिशत	30 मार्च, 2025	492.00
25	सीरीज 131-सी	8.41 प्रतिशत	27 मार्च, 2025	5,000.00
26	सीरीज 63-III	8.90 प्रतिशत	15 मार्च, 2025	184.00
27	सीरीज 128	8.20 प्रतिशत	10 मार्च, 2025	1,600.00
28	सीरीज 62-बी	8.80 प्रतिशत	15 जनवरी, 2025	1,172.60
29	सीरीज 126	8.65 प्रतिशत	04 जनवरी, 2025	5,000.00
30	सीरीज 125	8.65 प्रतिशत	28 दिसंबर, 2024	2,826.00
31	सीरीज 61	8.50 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2024	351.00
32	सीरीज 124-सी	8.48 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2024	1,000.00
33	सीरीज 120-ए	8.98 प्रतिशत	08 अक्टूबर, 2024	961.00
34	सीरीज 120-बी	8.98 प्रतिशत	08 अक्टूबर, 2024	950.00
35	सीरीज 118-बी-II	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2024	460.00
36	सीरीज 117-बी	9.37 प्रतिशत	19 अगस्त, 2024	855.00
37	सीरीज 57-सी	8.60 प्रतिशत	07 अगस्त, 2024	866.50
38	सीरीज 85-डी	9.26 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2023	736.00
39	सीरीज 102-ए-(II)	8.90 प्रतिशत	18 मार्च, 2023	403.00
40	सीरीज 102-बी	8.87 प्रतिशत	18 मार्च, 2023	70.00
41	सीरीज 100-बी	8.84 प्रतिशत	04 मार्च, 2023	1,310.00
42	सीरीज 176ए	7.99 प्रतिशत	20 दिसंबर, 2022	1,295.00
43	सीरीज 170 बी	7.35 प्रतिशत	22 नवंबर, 2022	800.00

44	सीरीज 92-सी	9.29 प्रतिशत	21 अगस्त, 2022	640.00
45	सीरीज 169 बी	7.10 प्रतिशत	08 अगस्त, 2022	3,395.00
46	सीरीज 91-बी	9.39 प्रतिशत	29 जून, 2022	2,695.20
47	सीरीज 168 ए	7.28 प्रतिशत	10 जून, 2022	1,950.00
48	सीरीज 88-सी	9.48 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2022	184.70
49	सीरीज 154	7.27 प्रतिशत	22 दिसंबर, 2021	1,101.00
50	सीरीज 124-बी	8.55 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2021	1,200.00
51	सीरीज 123-सी	8.66 प्रतिशत	27 नवंबर, 2021	200.00
52	सीरीज 153	7.40 प्रतिशत	30 सितंबर, 2021	1,830.00
53	सीरीज 78-बी	9.44 प्रतिशत	23 सितंबर, 2021	1,180.00
54	सीरीज 151 ए	7.47 प्रतिशत	16 सितंबर, 2021	2,260.00
55	सीरीज 150ए	7.50 प्रतिशत	16 अगस्त, 2021	2,660.00
56	सीरीज 76-ए	9.36 प्रतिशत	01 अगस्त, 2021	2,589.40
57	सीरीज 115-III	9.20 प्रतिशत	07 जुलाई, 2021	700.00
58	सीरीज 75-सी	9.61 प्रतिशत	29 मई, 2021	2,084.70
59	सीरीज 74	9.70 प्रतिशत	09 जून, 2021	1,693.20
60	सीरीज 28	8.85 प्रतिशत	31 मई, 2021	600.00
61	सीरीज 146	8.05 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2021	300.00
62	सीरीज 73	9.18 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2021	1,000.00
63	सीरीज 175	7.75 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2021	600.00
64	सीरीज 173 बी	7.73 प्रतिशत	05 अप्रैल, 2021	1,325.00
65	सीरीज 173ए	7.73 प्रतिशत	12 मार्च, 2021	505.00
66	सीरीज -III	8.15 प्रतिशत	10 फरवरी, 2021	63.42
67	सीरीज 72-बी	8.99 प्रतिशत	15 जनवरी, 2021	1,219.00
68	सीरीज 71	9.05 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2020	192.70
69	सीरीज 70	8.78 प्रतिशत	15 नवंबर, 2020	1,549.00
70	सीरीज 141-ए	8.46 प्रतिशत	18 सितंबर, 2020	1,000.00
71	सीरीज 163	7.50 प्रतिशत	17 सितंबर, 2020	2,435.00
72	सीरीज 140-बी	8.36 प्रतिशत	04 सितंबर, 2020	1,250.00
73	सीरीज 138	8.45 प्रतिशत	10 अक्टूबर, 2020	1,000.00
74	सीरीज 137	8.53 प्रतिशत	24 जुलाई, 2020	2,700.00
75	सीरीज 68-बी	8.70 प्रतिशत	15 जुलाई, 2020	1,424.00
76	सीरीज 167	7.30 प्रतिशत	30 जून, 2020	1,560.00
77	सीरीज 165	7.42 प्रतिशत	26 जून, 2020	3,605.00
78	सीरीज 66-ए	8.65 प्रतिशत	15 जून, 2020	500.00
79	सीरीज 166	7.46 प्रतिशत	05 जून, 2020	1,180.00
80	सीरीज 149	8.04 प्रतिशत	30 मई, 2020	100.00
81	सीरीज 159	7.05 प्रतिशत	15 मई, 2020	2,551.00
82	सीरीज 65	8.70 प्रतिशत	14 मई, 2020	1,337.50
83	सीरीज 131-बी	8.38 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2020	1,350.00
84	सीरीज 130-बी	8.42 प्रतिशत	18 अप्रैल, 2020	200.00
85	सीरीज 157	6.83 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2020	2,000.00
86	सीरीज 85-सी	9.30 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2020	79.50
87	सीरीज 64-II	8.95 प्रतिशत	30 मार्च, 2020	492.00
88	सीरीज 87-डी	9.42 प्रतिशत	20 मार्च, 2020	650.80
89	सीरीज 63-II	8.90 प्रतिशत	15 मार्च, 2020	184.00
90	सीरीज 100-ए	8.86 प्रतिशत	04 मार्च, 2020	54.30
91	सीरीज 127	8.36 प्रतिशत	26 फरवरी, 2020	4,440.00

92	सीरीज 99-बी	8.82 प्रतिशत	20 फरवरी, 2020	733.00
93	सीरीज 176ए	7.53 प्रतिशत	20 जनवरी, 2020	1,500.00
94	सीरीज 62-ए	8.70 प्रतिशत	15 जनवरी, 2020	845.40
95	सीरीज 61	8.50 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2019	351.00
96	सीरीज 124-ए	8.52 प्रतिशत	09 दिसंबर, 2019	1,220.00
97	सीरीज 123-बी	8.65 प्रतिशत	28 नवंबर, 2019	836.00
98	सीरीज 60-बी	1YINCMTBMK+179 bps (चल दर)	20 नवंबर, 2019	925.00
99	सीरीज 122	8.76 प्रतिशत	07 नवंबर, 2019	1,000.00
100	सीरीज 121-बी	8.96 प्रतिशत	21 अक्टूबर, 2019	1,100.00
101	सीरीज 59-बी	8.80 प्रतिशत	15 अक्टूबर, 2019	1,216.60
102	सीरीज 119-बी	9.32 प्रतिशत	17 सितंबर, 2019	1,591.00
103	सीरीज 118-बी-I	9.39 प्रतिशत	27 अगस्त, 2019	460.00
104	सीरीज 57-बी	8.60 प्रतिशत	07 अगस्त, 2019	866.50
105	सीरीज 115-II	9.15 प्रतिशत	07 जुलाई, 2019	100.00
106	सीरीज 135-बी	8.50 प्रतिशत	29 जून, 2019	1,500.00
107	सीरीज 174	7.80 प्रतिशत	07 जून, 2019	3,300.00
108	सीरीज 148	7.95 प्रतिशत	13 मई, 2019	1,915.00
109	सीरीज 145	7.85 प्रतिशत	15 अप्रैल, 2019	2,928.00
110	सीरीज 143	8.12 प्रतिशत	28 फरवरी, 2019	700.00
111	सीरीज 98-III	8.72 प्रतिशत	08 फरवरी, 2019	324.00
112	सीरीज 82-सी	9.70 प्रतिशत	15 दिसंबर, 2018	2,060.00
113	सीरीज 52-सी	11.25 प्रतिशत	28 नवंबर, 2018	1,950.60
114	सीरीज 142-बी	8.00 प्रतिशत	22 अक्टूबर, 2018	1,000.00
115	सीरीज 51-सी	11.00 प्रतिशत	15 सितंबर, 2018	3,024.40
116	सीरीज 140-ए	8.28 प्रतिशत	04 सितंबर, 2018	1,930.00
117	सीरीज 139-सी	8.17 प्रतिशत	18 अगस्त, 2018	800.00
118	सीरीज 49-बी	10.85 प्रतिशत	11 अगस्त, 2018	428.60
119	सीरीज 161	6.90 प्रतिशत	16 जुलाई, 2018	1,850.00
120	सीरीज 162	6.90 प्रतिशत	16 जुलाई, 2018	1,060.00
121	सीरीज 48-सी	10.55 प्रतिशत	15 जुलाई, 2018	259.70
122	सीरीज 135-ए	8.40 प्रतिशत	29 जून, 2018	1,210.00
123	सीरीज 130-ए	8.40 प्रतिशत	19 जून, 2018	1,175.00
124	सीरीज 129-ए	8.29 प्रतिशत	13 जून, 2018	980.00
125	सीरीज 129बी	8.29 प्रतिशत	13 जून, 2018	100.00
126	सीरीज 47-सी	9.68 प्रतिशत	09 जून, 2018	780.70
127	सीरीज 134-बी	8.39 प्रतिशत	28 मई, 2018	1,500.00
128	सीरीज 132-बी	8.09 प्रतिशत	16 मई, 2018	200.00
129	सीरीज 131-ए	8.34 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2018	100.00
130	सीरीज 132-ए	8.03 प्रतिशत	09 अप्रैल, 2018	272.00
			कुल*	1,69,171.92

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, 5.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.60 करोड़ रुपए) के बांड पीएफसी लिमिटेड एंजलाई प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा धारित हैं और 0.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) पीएफसी लिमिटेड एंजलाई ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा धारित हैं।

#### VII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अप्रतिभूत सवार्डिनेटेड बांडों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉन्ड सीरीज	कूपन रेट	उन्मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सवार्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	9.70 प्रतिशत	21 फरवरी, 2024	2,000.00

2	सबार्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	9.65 प्रतिशत	13 जनवरी, 2024	1,000.00
3	सबार्डिनेटेड टियर II ऋण बांड	8.19 प्रतिशत	14 जनवरी, 2023	800.00
			कुल	3,800.00

**VIII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा नोट्स का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	3.75 प्रतिशत यूएसडी ग्रीन बांड 2027	3.75 प्रतिशत	06 दिसंबर, 2027	2,607.00
			कुल	2,607.00

**IX. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	विवरण	राशि(करोड़ रुपए में)
1	एडीबी ऋण - जिस पर 6एम यूएसडी लिबोर + 0.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चल ब्याज देय है जो हर साल 15 मार्च एवं 15 सितंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 15 सितंबर, 2036 को देय होगी	30.94
2	केएफडब्ल्यू I ऋण - जिस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 जून एवं 31 दिसंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 जून, 2035 को देय होगी	53.04
3	एएफडी ऋण - जिस पर 37,19,016 यूरो के लिए 1.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और 12,05,674 यूरो के लिए 2.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 अप्रैल एवं 31 अक्टूबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 अप्रैल, 2030 को देय होगी।	12.59
4	एडीबी (नया ऋण) - जिस पर 6एम यूएसडी लिबोर + 0.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चल ब्याज देय है जो हर साल 15 अप्रैल एवं 15 अक्टूबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 15 अक्टूबर, 2028 को देय होगी	587.36
5	क्रेडिट नेशनल फाइनेंस - जिस पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 जून एवं 31 दिसंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 जून, 2028 को देय होगी	61.08
6	केएफडब्ल्यू I ऋण - जिस पर 1.96 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से नियत ब्याज देय है जो हर साल 30 जून एवं 30 दिसंबर को छमाही किस्तों में देय है। आखिरी किस्त 30 जून, 2026 को देय होगी।	122.88
	कुल	367.89

टिप्पणी : एडीबी (नया ऋण) के मामले में एडीबी द्वारा रीसेट के समय चर रिबेट की पेशकश की गई है।



**X. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से बकाया सिंडीकेटेड विदेशी मुद्रा ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	एसएलएन XXIII	6एम यूएसडी लिबोर + 0.65 प्रतिशत	22 मार्च, 2023	1,629.38
2	एसएलएन XXII	6एम यूएसडी लिबोर + 0.70 प्रतिशत	28 फरवरी, 2023	1,629.37
3	एसएलएन XXI	6एम यूएसडी लिबोर + 0.70 प्रतिशत	12 दिसंबर, 2022	1,955.25
4	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	04 नवंबर, 2022	895.27
5	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	08 नवंबर, 2021	895.27
6	एसएलएन XXIV-(III)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	24 सितंबर, 2021	977.62
7	एसएलएन XXIV-(II)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	26 मार्च, 2021	977.62
8	एसएलएन XVIII	6एम जेपीवाई लिबोर + 0.75 प्रतिशत	06 नवंबर, 2020	895.27
9	एसएलएन XXIV-(I)	6एम यूएसडी लिबोर + 0.75 प्रतिशत	28 सितंबर, 2020	977.62
10	एसएलएन XVI	6एम यूएसडी लिबोर + 1.55 प्रतिशत	04 दिसंबर, 2019	1,629.38
			कुल	12,462.05

**XI. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों से बकाया एफसीएनआर (बी) ऋणों ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	आईसीआईसीआई बैंक एफसीएनआर(बी)	3एम यूएसडी लिबोर + 1.95 प्रतिशत	26 अप्रैल, 2019	651.75
2	एसबीआई एफसीएनआर(बी)	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	28 मार्च, 2019	1,629.38
3	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी) - II	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	22 फरवरी, 2019	201.32
4	बैंक ऑफ बडौदा एफसीएनआर(बी) - I	3एम यूएसडी लिबोर + 1.70 प्रतिशत	15 फरवरी, 2019	507.10
			कुल	2,989.55

**XII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया रुपया मियादी ऋणों (बैंकों से) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	विजया बैंक	7.90 प्रतिशत	13 मार्च, 2023	1,000.00
2	एचडीएफसी बैंक	7.95 प्रतिशत	30 सितंबर, 2020	750.00
3	आंध्रा बैंक	7.90 प्रतिशत	30 सितंबर, 2019	277.07
4	आंध्रा बैंक	7.90 प्रतिशत	29 सितंबर, 2019	1,722.93
5	विजया बैंक	7.90 प्रतिशत	05 सितंबर, 2019	1,000.00
6	इलाहाबाद बैंक	7.85 प्रतिशत	28 मई, 2019	2,000.00
7	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85 प्रतिशत	30 अप्रैल, 2019	2,000.00
8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7.85 प्रतिशत	19 अप्रैल, 2019	1,000.00
			कुल	9,750.00

**XIII. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया रुपया मियादी ऋणों (वित्तीय संस्थाओं से) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	वित्तीय संस्था का नाम	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7.70 प्रतिशत	30 सितंबर, 2019	775.00

**XIV. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया प्रतिभूत रुपया अल्पावधिक ऋणों (बैंकों से) का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - ट्रेच II	7.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष (3 माह एमसीएलआर)	27 मार्च, 2019	74.51
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - ट्रेच I	7.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष (3 माह एमसीएलआर)	26 मार्च, 2019	15.86
3	एचडीएफसी बैंक - ट्रांचे III	7.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष (3 माह एमसीएलआर)	27 फरवरी, 2019	15.86
4	आईसीआईसीआई बैंक - ट्रांचे IV	8.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	25 दिसंबर, 2018	6.34
5	आईसीआईसीआई बैंक - ट्रांचे III	8.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	10 दिसंबर, 2018	9.51
6	आईसीआईसीआई बैंक - ट्रांचे II	8.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	28 सितंबर, 2018	25.37
7	आईसीआईसीआई बैंक - ट्रांचे I	8.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	21 सितंबर, 2018	6.34
8	एचडीएफसी बैंक - ट्रांचे II	8.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	03 जुलाई, 2018	3.17
9	एचडीएफसी बैंक - ट्रांचे I	8.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष (1 वर्ष एमसीएलआर)	30 जून, 2018	15.86
			कुल	172.82

**XV. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया कमर्शियल पेपर का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	ऋण	31 मार्च, 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि(करोड़ रुपए में)
1	सीपी सीरीज 90	6.65 प्रतिशत	10 अगस्त, 2018	1,925.00
2	सीपी सीरीज 94	7.00 प्रतिशत	25 जून, 2018	2,000.00
3	सीपी सीरीज 93बी	7.40 प्रतिशत	15 जून, 2018	1,100.00
4	सीपी सीरीज 85	6.80 प्रतिशत	15 मई, 2018	1,105.00
5	सीपी सीरीज 93ए	7.30 प्रतिशत	27 अप्रैल, 2018	900.00
	घटाएं - अपरिशोधित वित्तीय प्रभार*			(105.26)
			कुल	6,924.74

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कमर्शियल पेपर पर अपरिशोधित वित्तीय प्रभार 105.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) है

**XVI. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों से अप्रतिभूत रुपया मियादी ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च 2018 को ब्याज दर प्रतिवर्ष	पुनर्भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1	सीटीबीसी बैंक	7.99 प्रतिशत प्रतिवर्ष (3 माह के एमआईबीओआर से संबद्ध)	26 फरवरी, 2019	12.68
2	इंडसइंड बैंक	8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष (3 माह के एमआईबीओआर से संबद्ध)	25 जून, 2018	15.86
			कुल	28.54

टिप्पणी : भाग क - 4

समेकित अन्य दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक देयताएं

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
i.	भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी निधि (भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 10(क) (ii) देखें)	1.95	114.05	116.00	3.59	106.10	109.69
ii.	ब्याज विभेद निधि - केएफडब्ल्यू\$	0.00	0.00	0.00	0.00	63.88	63.88
iii.	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिम / उनको देय राशि (उस पर देय ब्याज सहित) भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 8(क)(ii) देखें	190.13	268.88	459.01	192.28	249.04	441.32
iv.	अन्य बांड (देय राशि - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः येवित बांड)*						
(क)	मूलधन	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
(ख)	प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	38.21	0.00	38.21	38.21	0.00	38.21
	उप जोड़ (I)	230.29	,382.93	5,613.22	234.08	5419.02	5653.10
V.	प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज :						
	बांडों पर	7,320.79	141.87	7,462.66	7,226.02	288.23	7,514.25
	ऋणों पर	66.35	0.00	66.35	32.42	0.00	32.42
	उप जोड़ (II)	7,387.14	141.87	7,529.01	7,258.44	288.23	7,546.67
vi.	अदत्त / दावारहित						
	बांड	3.93	0.00	3.93	0.52	0.00	0.52
	बांडों पर ब्याज	14.10	0.00	14.10	14.17	0.00	14.17
	लाभांश	2.63	0.00	2.63	1.43	0.00	1.43
	उप जोड़ (III)	20.66	0.00	20.66	16.12	0.00	16.12
vii.	अन्य	414.17	406.60	820.77	1,084.31	435.82	1,520.13
	उप जोड़ (IV)	414.17	406.60	820.77	1,084.31	435.82	1,520.13
	कुल योग (I+II+III+IV)#	8,052.26	5,931.40	13,983.66	8,052.26	6,143.07	14,736.02

## संख्या विवरण

\$ व्याज विभेद निधि - केएफडब्ल्यू, जर्मनी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर वर्तमान वर्ष में केएफडब्ल्यू को व्युत्क्रमित किया गया है

\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अन्य अप्रतिभूत कराधेय बांडों का व्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बॉन्ड सीरीज	आवंटन की तिथि	कूपन दर	मोचन की तिथि	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	पीएफसी बांड सीरीज 164-भारत सरकार से पूर्णतः चुकता बांड	22मार्च, 2017	7.75 प्रतिशत	22 मार्च, 2027	2,000.00
2.	पीएफसी बांड सीरीज 160-भारत सरकार से पूर्णतः चुकता बांड	20 फरवरी, 2017	7.60 प्रतिशत	20 फरवरी, 2027	1,465.00
3.	पीएफसी बांड सीरीज 158-भारत सरकार से पूर्णतः चुकता बांड	20 जनवरी, 2017	7.18 प्रतिशत	20 जनवरी, 2027	1,335.00
4.	पीएफसी बांड सीरीज 156-भारत सरकार से पूर्णतः चुकता बांड	11 जनवरी, 2017	7.10 प्रतिशत	11 जनवरी, 2027	200.00
	कुल				5,000.00

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 168.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 139.29 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 5

समेकित प्रावधान - दीर्घावधिक एवं अल्पावधिक

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल	अल्पावधिक	दीर्घावधिक	कुल
I.	कर्मचारी लाभ						
	कर्मचारियों का आर्थिक पुनर्वास	0.18	1.49	1.67	0.17	1.46	1.63
	छुट्टी नकदीकरण	1.39	20.74	22.13	1.81	29.42	31.23
	कर्मचारी कल्याण व्यय	6.35	4.91	11.26	3.98	4.92	8.90
	उपदान / अधिवर्षिता निधि	1.57	0.45	2.02	1.29	0.19	1.48
	प्रस्तावित वेतन संशोधन	50.92	0.00	50.92	9.94	0.00	9.94
	बोनस / प्रोत्साहन	14.56	0.00	14.56	6.63	0.00	6.63
	उप जोड़	74.97	27.59	102.56	23.82	35.99	59.81
II.	अन्य						
	आयकर (निवल)	12.42	0.00	12.42	0.24	12.05	12.29
	विवाद के अधीन मांगों के लिए कर के लिए प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 4 देखें)	0.00	129.97	129.97	0.00	118.39	118.39
	सीएसआर व्यय (भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 18 देखें)	0.00	0.00	0.00	100.22	0.00	100.22
	मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क)(i) देखें)	411.43	929.22	1,340.65	100.05	459.88	559.93
	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क)(ii) देखें)	241.65	1,165.67	1,407.32	317.00	2,040.85	2,357.85
	अंतरित लाभांश (भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 28(क) देखें)	0.00	0.00	0.00	1,320.04	0.00	1,320.04
	अंतरिम लाभांश पर कॉरपोरेट लाभांश कर	0.00	0.00	0.00	67.18	0.00	67.18
	प्रस्तावित कारपोरेट लाभांश कर	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़	666.34	2,224.86	2,891.20	1,904.73	2,631.17	4,535.90
	कुल योग#	741.31	2,252.45	2,993.76	1,928.55	2,667.16	4,595.71

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 14.61 करोड़ रुपए (पिछले अवधि 0.74 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 6

समेकित अचल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास						निवल ब्लाक	
	01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धियां / समायोजन	कटौतियां / समायोजन	31 मार्च 2018 को अंत शेष	01 अप्रैल, 2017 को प्रारंभिक शेष	01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए	समायोजन	पिछली अवधि के समायोजन	बही से बेची गई / बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियों पर	31 मार्च 2018 को अंत शेष	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
I. मूर्त परिसंपत्तियां*:												
स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां												
भूमि (फ्रीहोल्ड)	3.38	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38
भूमि (लीजहोल्ड)***	37.87	0.00	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.87	37.87
बिल्डिंग	24.92	0.00	0.00	24.92	10.43	0.70	0.00	0.00	0.00	11.13	13.79	14.49
ईडीपी उपकरण	17.77	4.42	2.16	20.03	14.40	3.43	0.01	0.00	1.99	15.85	4.18	3.37
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	294.52	133.43	4.25	423.70	65.21	64.69	0.57	0.00	3.89	126.58	297.12	229.31
फर्नीचर और फिक्सचर	9.78	1.90	0.18	11.50	7.39	0.65	0.01	0.00	0.10	7.95	3.55	2.39
वाहन	0.20	0.00	0.00	0.20	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.16	0.04	0.06
लीजहोल्ड सुधार	4.59	0.33	0.00	4.92	0.30	0.46	0.00	0.00	0.09	0.67	4.25	4.29
कुल #	393.03	140.08	6.59	526.52	97.87	69.95	0.59	0.00	6.07	162.34	364.18	295.16
पिछला वर्ष	256.20	140.12	3.29	393.03	59.18	39.88	1.62	0.22	3.03	97.87	295.16	
II. अमूर्त परिसंपत्तियां*#:												
खरीदे गए सॉफ्टवेयर	9.62	5.37	0.00	14.99	8.40	0.52	0.07	0.00	0.00	8.99	6.00	1.22
पिछला वर्ष	8.90	0.72	0.00	9.62	7.44	0.94	0.01	0.01	0.00	8.40	1.22	
III. अन्य #:												
विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूँजी कार्य प्रगति पर	105.44	575.19	268.75	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.88	105.44
	105.44	575.19	268.75	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.88	105.44
पिछला वर्ष	46.63	216.74	157.92	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44	

\*(भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 21 देखें)

\*\*वित्त वर्ष 2017-18 के निवल ब्लॉक में संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में पिछले वर्ष में समेकन के लिए प्रयुक्त गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के समायोजन के विरुद्ध 15.11 करोड़ रुपए शामिल हैं।

\*\*\*(भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 23 देखें)

#निवल ब्लॉक में संयुक्त उद्यम संस्था के 714.54 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 335.76 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

## टिप्पणी - भाग क - 7

### समेकित गैर वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
दीर्घावधिक ऋण				
(क) व्यापार निवेश (अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त - जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)				
I. इक्विटी लिखत (उद्धृत)				
- लागत पर मूल्यांकित				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	1,20,00,000	12.00	1,20,00,000	12.00
II. इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)*				
- लागत पर मूल्यांकित (घटाएं : ह्रास, यदि कोई हो, अस्थायी से भिन्न)				
पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	32,20,000	3.22	32,20,000	3.22
घटाएं : ह्रास के लिए प्रावधान		3.22		3.22
दीर्घावधिक ऋण		57.14		0.60
सहायक कंपनियों (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 2.1 देखें)	7,50,000	0.75	7,50,000	0.75
III. अन्य (अनुद्धृत)*				
केएसके इनवेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की निधि "स्माल इज ब्यूटीफुल" की यूनिटें**	61,52,200	6.15	61,52,200	6.15
उप जोड़		76.04		19.50
(ख) अन्य निवेश - बांड (उद्धृत) (अंकित मूल्य 10,00,000 रुपए प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त - जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)				
आंध्रा बैंक के 8000 (पिछले वर्ष : देना बैंक के 10,000 बांड और आंध्रा बैंक के 8000 बांड)	8,000	800.00	18,000	1800.00
उप जोड़		800.00		1,800.00
कुल योग#		876.04		1819.50



टिप्पणियां :

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सकल उद्धृत निवेश		
वही मूल्य	812.00	1,812.00
बाजार मूल्य***	904.88	1,912.08
सकल अनुद्धृत निवेश		
वही मूल्य	6.15	6.90
मूल्य में कटौती के लिए सकल प्रावधान	3.22	3.22

\*अनुद्धृत निवेश होने के कारण बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

\*\*31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनएवी 10.17 रुपए प्रति यूनिट (31 मार्च, 2017 को 10.24 रुपए प्रति यूनिट) है। एनएवी में उतार-चढ़ाव को अस्थायी माना जाता है।

\*\*\*आंध्रा बैंक के 8000 बांड एनएसई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं, तथापि, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार एनएसई प्लेटफार्म पर बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है और 31 मार्च, 2018 तक बाजार में बांडों का व्यापार नहीं हुआ है। तदनुसार, उपर्युक्त बांडों के अंकित मूल्य को बाजार मूल्य माना गया है।

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 57.14 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

**टिप्पणी : भाग क - 8**  
**समेकित ऋण\***

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार					
	वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल		वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल	
(क) दीर्घावधिक												
I. प्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जेवी ऋणग्राहियों तथा राज्य सरकारों को रुपया मियादी ऋण (आरटीएल)	14,344.07		1,28,465.16		1,42,809.23		18,725.71		91,918.09		1,10,643.80	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल	1,935.12		11,476.35		13,411.47		6,648.19		23,034.61		29,682.80	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को विदेशी मुद्रा ऋण	0.00		0.00		0.00		5.03		0.00		5.03	
क्रेता ऋण	118.58		1,372.38		1,490.96		67.48		1,376.96		1,444.44	
ऋणग्राहियों को पट्टा विल्ट पोषण	0.00		0.00		0.00		8.62		185.70		194.32	
उपकरण विनिर्माताओं को आरटीएल	66.03	16,463.80	857.77	1,42,171.66	923.80	1,58,635.46	18.95	25,473.98	870.05	1,17,385.41	889.00	1,42,859.39
(ख) अन्य												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को आरटीएल - एनपीए	311.41		4,704.48		5,015.89		2,323.18		21,064.92		23,388.10	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	32.18	279.23	500.58	4,203.90	532.76	4,483.13	328.58	1,994.60	2,134.66	18,930.26	2,463.24	20,924.86
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल - एनपीए	6,579.02		11,362.84		17,941.86		1,689.43		3,237.05		4,926.48	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	1,971.38	4,607.64	1,469.14	9,893.70		14,501.34	527.87	1,161.56	708.42	2,528.63		3,690.19
					3						1,	
					440.52						236.29	
ऋणग्राहियों को पट्टा विल्ट पोषण**	18.04		176.28		194.32		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	1.80	16.24	17.63	158.65	19.43	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल - एनपीए	201.75		0.00		201.75		58.70		134.48		193.18	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	100.88	100.87	0.00	0.00	100.88	100.87	29.35	29.35	67.24	67.24	96.59	96.59
उप जोड़ I		21,467.78		1,56,427.91		1,77,895.69		28,659.49		1,38,911.54		1,67,571.03
II. अप्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकारों को रुपया मियादी ऋण (आरटीएल)#	4,040.49		63,821.72		67,862.21		3,602.66		57,954.91		61,557.57	
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल	539.68		14,464.39		15,004.07		1,127.87		3,413.96		4,541.83	
क्रेता ऋण#	62.03	4,642.20	74.97	78,361.08	137.00	83,003.28	72.35	4,802.88	70.17	61,439.04	142.52	66,241.92
(ख) अन्य												
राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत निगमों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य	0.00		0.00		0.00		269.33		373.83		643.16	

	सरकारों को आरटीएल - एनपीए#												
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93	242.40	127.20	246.63	154.13	489.03
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को आरटीएल - एनपीए	1,518.78		1,058.62		2,577.40		369.85		828.95		1,198.80	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	1,060.82	457.96	697.54	361.08	1,758.36	819.04	369.85	0.00	828.95	0.00	1,198.80	0.00
	स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को एफसीएल - एनपीए	39.23		0.00		39.23		0.00		61.91		61.91	
	घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00	61.91	0.00	61.91	0.00
	उप जोड़ II		5,100.16		78,722.16		83,822.32		5,045.28		61,685.67		66,730.95
	कुल क (I+II)		26,567.94		2,35,150.07		2,61,718.01		33,704.77		2,00,597.21		2,34,301.98

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार						31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार					
	मौजूदा परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल		वर्तमान परिपक्वताएं (12 माह)		गैर वर्तमान		कुल	
I बांड												
I अप्रतिभूत बांड												
राज्य विद्युत निगमों से बांड / डिबेंचर		0.00		311.60		311.60		0.00		311.60		311.60
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बांड / डिबेंचर - एनपीए***	29.44		0.00		29.44		0.00		29.44		29.44	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	2.94	26.50	0.00	0.00	2.94	26.50	0.00	0.00	0.00	29.44	0.00	29.44
कुल ख		26.50		311.60		338.10		0.00		341.04		341.04
(ग) अल्पावधिक												
I प्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य विद्युत निगमों को कार्यकारी पूंजी ऋण		6,123.12		0.00		6,123.12		1,467.91		0.00		1,467.91
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण		212.46		0.00		212.46		22.58		0.00		22.58
(ख) अन्य												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण - एनपीए	17.86		0.00		17.86		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	1.79	16.07	0.00	0.00	1.79	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ I		6,351.65		0.00		6,351.65		1,490.49		0.00		1,490.49
II. अप्रतिभूत ऋण												
(क) अच्छा माना गया												
राज्य विद्युत बोर्डों तथा राज्य विद्युत निगमों को कार्यकारी पूंजी ऋण#		4,275.55		0.00		4,275.55		3,750.39		0.00		3,750.39
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण		38.67		0.00		38.67		516.73		0.00		516.73
(ख) अन्य												
स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कार्यकारी पूंजी ऋण - एनपीए	364.89		0.00		364.89		0.00		0.00		0.00	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	36.49	328.40	0.00	0.00	36.49	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य ऋण - एनपीए^	345.47		0.00		345.47		290.58		0.00		290.58	
घटाएं : आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	172.73	172.74	0.00	0.00	172.73	172.74	145.29	145.29	0.00	0.00	145.29	145.29
उप जोड़ II		4,815.36		0.00		4,815.36		4,412.41		0.00		4,412.41
कुल ग (I + II)		11,167.01		0.00		11,167.01		5,902.90		0.00		5,902.90
कुल योग (क+ख+ग)\$		37,761.45		2,35,461.67		2,73,223.12		39,607.67		2,00,938.25		2,40,545.92

\*\*\* (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 12(क) देखें)

\*\*\* (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9(क)(i) देखें)

# संबंधित राज्य

सरकारों द्वारा

24,335.12

करोड़ रुपए (पिछले वर्ष

23,353.40

करोड़ रुपए)

का प्रत्याभूत ऋण

\*\*\* निर्गम के अधीन बांड

(वर्तमान वर्ष के दौरान

एनपीए के रूप में वर्गीकृत)

\$ इसमें संयुक्त उद्यम संस्था का शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शेयर शामिल है।

^ राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई काउंटर गारंटी



\*शामिल है :

विवरण	31 मार्च, 2018 को शेष	31 मार्च, 2017 को शेष
केएमपी को दिए गए ऋण एवं अग्रिम (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7(ख) देखें)	0.52	0.51

\*\*इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 17.22 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो प्रतिभूति के रूप में दिए गए हैं और प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी - भाग क - 10

समेकित वर्तमान निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
दीर्घावधिक ऋण						
(क) इक्विटी लिखत (उद्धृत) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य पूर्णतः प्रदत्त) - लागत के निम्नतर स्तर या बाजार मूल्य पर श्रेणी के लिए मूल्यांकित						
पीजीसीआईएल (लागत कीमत 52 रुपए प्रति शेयर)	3,89,349	2.02		4,39,349	2.28	
आरईसी लिमिटेड (लागत कीमत 52.50 रुपए प्रति शेयर)	95,904	0.50		95,904	0.50	
कोल इंडिया लिमिटेड (लागत कीमत 358.58 रुपए प्रति शेयर)	1,39,64,530	500.74		1,39,64,530	500.74	
एनएचपीसी लिमिटेड (लागत कीमत 21.78 रुपए प्रति शेयर)	26,05,42,051	567.50		26,05,42,051	567.50	
घटाएं : इक्विटी लिखतों पर ह्रास के लिए प्रावधान (उद्धृत)		0.00	1,070.76		0.00	1,071.02
ख इक्विटी लिखत (ऋणी कंपनियों) (अनुद्धृत) (10 रुपए प्रत्येक का अंकित मूल्य पूर्णतः प्रदत्त) - टिप्पणी भाग - ख - लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों के पैरा 7.2 के अनुसरण में मूल्यांकित						
श्री महेश्वर हाइड्रिल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीए ऋणी)	13,18,46,779	66.10		13,18,46,779	66.10	
घटाएं : इक्विटी लिखतों (अनुद्धृत) पर ह्रास के लिए प्रावधान		66.10	0.00		66.10	0.00
जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड*	27,5000,000	275.00		27,5000,000	275.00	
घटाएं : इक्विटी लिखतों पर ह्रास के लिए प्रावधान (अनुद्धृत)		275.00	0.00		20.49	254.51
(ग) इक्विटी लिखत (अनुद्धृत)						
*** (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 2.1 देखें)	1,70,000	0.17		2,40,000	0.24	
घटाएं : ह्रास के लिए प्रावधान		0.15	0.02		0.10	0.14
कुल #			1,070.78			1,325.67

विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सकल उद्धृत निवेश		
बही मूल्य	1,070.76	1,071.02
बाजार मूल्य	1,126.04	1,258.02
सकल अनुद्धृत निवेश		
बही मूल्य	0.02	254.65
मूल्य में कटौती के लिए सकल प्रावधान	341.25	86.59

\*वर्तमान वर्ष के दौरान ऋणी को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।  
 #इसमें संयुक्त उद्यम संस्था का शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शेयर शामिल है।



टिप्पणी - भाग क - 11

समेकित नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
क	नकद और नकद समतुल्य				
	(i) चालू खातों में शेष :				
	भारतीय रिजर्व बैंक में	0.02		0.02	
	अनुसूचित बैंकों में	157.35	157.37	151.18	151.20
	(ii) हस्तगत चेक		0.00		0.00
	(iii) डाक प्राधिकरण के साथ अग्रदाय		0.00		0.00
	(iv) अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा (3 माह तक मूल परिपक्वता)		532.95		3,073.14
	उप- जोड़ (क)		690.32		3,224.34
ख	निर्धारित शेष :				
	(i) बॉन्ड, लाभांश आदि पर ब्याज के भुगतान के लिए अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		11.04		458.41
	(ii) आईपीडीएस / आर-एपीडीआरपी अनुसूचित बैंकों में चालू खातों में शेष		4.45		0.00
	उप-जोड़ (ख)		15.49		458.41
(ग)	अन्य बैलेंस				
	(i) अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक परंतु 12 माह तक)		74.73		110.08
	उप-जोड़ (ग)		74.73		110.08
	कुल योग (क) + (ख)+(ग)		780.54		3,792.83

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 132.98 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 117.21 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 12

प्रचालनों से समेकित राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
I	ब्याज			
	ऋणों पर ब्याज	26,252.88		26,650.50
	घटाएं : ऋणग्राहियों को समय पर भुगतान के लिए रिबेट	381.78		316.98
	घटाएं : सीओडी पश्चात समय से भुगतान पर रिबेट	7.81	25,863.29	22.39
	पट्टा आय		6.72	21.98
	उप जोड़ (I)		25,870.01	26,333.11
II.	परामर्श / सलाह सेवाएं			
	परामर्श कार्य से आय		179.25	179.91
	सिंडीकेशन और डिबेंचर ट्रस्टी शुल्क		0.00	1.53
	उप जोड़ (II)		179.25	181.44
III	अन्य प्रचालन आय			
	अतिरिक्त निधियों से आय		56.70	112.37
	बांडों पर ब्याज		196.80	196.64
	सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		18.19	12.54
	माल की बिक्री		332.79	326.72
	अन्य		0.14	0.24
	उप जोड़ (III)		604.62	648.51
IV	अन्य वित्तीय सेवाएं			
	ऋणों पर पुनर्भुगतान प्रीमियम		179.10	201.77
	ऋणों पर अग्रिम शुल्क		46.03	38.80
	प्रबंध, एजेंसी और गारंटी शुल्क		64.53	48.96
	ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार		2.25	5.17
	भारत सरकार की योजनाओं के कारण शुल्क :			
	नोडल एजेंसी शुल्क - आर-एपीडीआरपी	0.65		2.24
	नोडल एजेंसी शुल्क - आईपीडीएस	29.74	30.39	21.16
	उप जोड़ (IV)		322.30	318.10
	कुल योग (I) + (II) + (III) + (IV) #		26,976.18	27,481.16

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 451.73 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 403.52 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 13  
समेकित अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
लाभांश आय*	65.38	95.73
अन्य	24.84	22.11
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.03
मौजूदा निवेशों की बिक्री पर लाभ	0.78	0.50
आयकर रिफंड पर ब्याज	4.78	3.88
विविध आय	8.35	7.62
प्रतिलेखित अतिरिक्त देयताएं एवं प्रावधान	165.02	0.26
कुल #	269.15	130.13

\*म्युचुअल फंड से 6.63 करोड़ रुपए की लाभांश आय शामिल है (पिछले वर्ष 5.34 करोड़ रुपए)।

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 10.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.31 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 14  
समेकित वित्तीय लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
I.	ब्याज				
	बांडों पर	16,054.78		15,592.33	
	ऋणों पर	334.25		355.46	
	ब्याज सब्सिडी फंड पर भारत सरकार	9.32		9.06	
	कामर्सियल पेपर पर वित्तीय प्रभार	482.71		389.72	
	स्वैप प्रीमियम (निवल)	(34.95)	16,846.11	(23.42)	16,323.15
II.	अन्य प्रभार				
	प्रतिबद्धता एवं एजेंसी शुल्क	1.13		0.79	
	गारंटी, सूचीबद्धता एवं न्यास शुल्क	3.42		3.38	
	विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्रबंध शुल्क	4.29		0.01	
	बैंक / अन्य प्रभार	0.00		0.00	
	माल की खरीद	267.23		265.68	
	प्रत्यक्ष उपरिव्यय	34.18		35.88	
	सहायक कंपनियों से प्राप्त अग्रिमों पर अदा किया गया ब्याज	5.93	316.18	6.35	312.09
III	निवल लेनदेन / लेनदेन विनिमय हानि (+) / लाभ (-)		246.67		310.55
IV	डरिवेटिव्स के उचित मूल्य में निवल परिवर्तन - हानि (+) / लाभ (-)		132.45		(178.15)
	कुल (I + II + III + IV) #		17,541.41		16,767.64

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 329.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 314.01 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 15  
समेकित ऋण व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
अनुप्रयोग धन पर व्याज	0.03	0.00
क्रेडिट रेटिंग शुल्क	4.96	4.65
अन्य निर्गम व्यय	15.76	14.04
स्टॉप ड्यूटी शुल्क	7.70	7.89
कुल #	28.45	26.58

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 0.28 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 16  
समेकित कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	152.23	98.02
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	19.70	15.76
कर्मचारी कल्याण	15.08	13.36
कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराया (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9(ख) देखें)	5.77	6.10
कुल #	192.78	133.24

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 12.70 करोड़ रुपए (पिछले अवधि 7.73 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी : भाग क - 17

समेकित अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
कार्यालय किराया (भाग ग - लेखाओं पर अन्य समेकित टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 9(ख) देखें)	6.97	4.99
विद्युत एवं जल प्रभार	2.09	1.85
बीमा	0.26	0.27
मरम्मत एवं अनुरक्षण	12.52	5.96
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2.41	2.14
यात्रा एवं वाहन	18.52	12.87
डाक खर्च, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन	2.60	2.41
व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	2.85	3.76
विविध व्यय*	48.37	62.91
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.42	0.19
निवेश के निस्तारण पर हानि	0.00	0.98
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक*	0.96	0.70
सेवा कर	1.44	2.60
दर एवं कर	1.88	3.25
वस्तु एवं सेवा कर	5.45	0.00
पीएमसी में अंशदान (विद्युत मंत्रालय)	0.28	0.41
कुल #	107.02	105.29

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 27.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 28.51 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

\*टिप्पणी :

विविध व्यय में शामिल हैं :		
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.05	0.07
विज्ञापन	5.90	8.25
सदस्यता एवं अभिदान	0.99	1.11
मनोरंजन	1.84	1.12
सम्मेलन एवं बैठक व्यय	3.48	2.95
सुरक्षा व्यय	2.92	1.63
प्रशिक्षण	1.88	1.68
ईडीपी व्यय	3.75	3.05
व्यवसाय संवर्धन / संबद्ध व्यय	1.97	2.02
आयकर पर ब्याज	0.00	0.69
2) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं :		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.47	0.44
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.10	0.08
अन्य प्रमाणन सेवाएं	0.38	0.19
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.01	0.01

टिप्पणी - भाग क - -18

पिछली अवधि की समेकित मदें (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
पिछली अवधि के व्यय :				
ब्याज एवं अन्य प्रभार	0.00		0.24	
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय - अन्य	1.05		0.78	
ह्रास	(0.02)	1.03	0.22	1.24
घटाएं : पिछली अवधि की आय :				
ब्याज आय	0.00		(0.19)	
अन्य आय	(0.01)	(0.01)	(0.04)	(0.23)
कुल #		1.04		1.47

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 0.06 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी - भाग क - -19

व्यापार से प्राप्य समेकित राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
जिस तिथि को भुगतान के लिए नियत हैं, उससे 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार से प्राप्य सकल राशि				
(क) प्रतिभूत, अच्छा माना गया;	0.00		0.00	
(ख) अप्रतिभूत, अच्छा माना गया;	228.74		166.03	
(ग) संदिग्ध	10.68		7.50	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	10.68		7.50	
उप जोड़ (I)		228.74		166.03
अन्य ऋण				
(क) प्रतिभूत, अच्छा माना गया;	0.00		0.00	
(ख) अप्रतिभूत, अच्छा माना गया;	156.56		113.53	
(ग) संदिग्ध	0.00		0.24	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.00		0.24	
उप जोड़ (II)		156.56		113.53
कुल #		385.30		279.56

#इसमें संयुक्त उद्यम संस्था के 373.28 करोड़ रुपए (पिछले अवधि 274.68 करोड़ रुपए) के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणी - भाग क - 20

अतिरिक्त सूचना - सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्ति माइनस कुल देयता		लाभ / हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)	समेकित लाभ / हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	6
मूल सहायक कंपनियां				
भारतीय				
1. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	0.65 प्रतिशत	260.443	0.48 प्रतिशत	28.335
2. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	0.35 प्रतिशत	139.457	0.97 प्रतिशत	56.553
3. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	0.02 प्रतिशत	8.550	0.01 प्रतिशत	0.382
4. पावर इन्फ्रस्ट्रक्चर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	0.00 प्रतिशत	0.001	0.00 प्रतिशत	(0.000)
उप जोड़ (क)	1.02 प्रतिशत	408.450	1.46 प्रतिशत	85.268
विदेशी				
लागू नहीं				
सभी सहायक कंपनियों में आधे से कम अधिकार				
लागू नहीं				
सहयोगी (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
लागू नहीं				
संयुक्त उपक्रम (इक्विटी विधि के अनुसार आनुपातिक समेकन / निवेश के अनुसार)				
भारतीय				
1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.10 प्रतिशत	38.193	0.16 प्रतिशत	9.200
उप जोड़ (ख)	0.10 प्रतिशत	38.193	0.16 प्रतिशत	9.200
विदेशी				
लागू नहीं				
कुल	1.11 प्रतिशत	446.643	1.62 प्रतिशत	94.468

टिप्पणी : इसमें लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियों के भाग ग की टिप्पणी संख्या 2.1 में उल्लेख के अनुसार एसपीवी के रूप में बनाई गई सहायक कंपनियां शामिल नहीं हैं।



एओसी 1 (सहायक कंपनियां - एसपीवी)

फार्म एओसी 1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में) सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण

भाग "क" : सहायक कंपनियां - एसपीवी

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सहायक कंपनी / एसपीवी का नाम (लेखा परीक्षित)	अधिग्रहण / निगमन की तिथि	रिपोर्टिंग अवधि	शेयर पूंजी	आरक्षित एवं आधिक्य	कुल परिसंपत्तियाँ	कुल देयताएं	निवेश	टर्नओवर	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कर पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारण का प्रतिशत
1	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	10 फरवरी, 2006	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0024)	21.8889	21.8413	-	-	-	-	-	-	100
2	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	10 फरवरी, 2006	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0021)	5.6845	5.6366	-	-	-	-	-	-	100
3	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	01 मार्च, 2006	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	0.0044	66.9237	66.8693	-	-	0.0001	0.0000	0.0001	-	100
4	उडीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	24 अगस्त, 2006	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.1255)	1,144.0954	1,144.1709	-	-	-	0.0002	(0.0002)	-	100
5	कॉस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	09 जनवरी, 2007	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	0.0321	223.5943	223.5122	-	-	-	-	-	-	100
6	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	21 मई, 2008	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0035)	31.4750	31.4285	-	-	-	-	-	-	100
7	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	22 मई, 2008	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0033)	25.2218	25.1751	-	-	-	-	-	-	100
8	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	17 अप्रैल, 2009	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0015)	21.9944	21.9459	-	-	-	-	-	-	100
9	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	26 अप्रैल, 2012	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0039)	18.2437	18.1976	-	-	-	-	-	-	100
10	चेय्यूर इनफ्रा लिमिटेड	21 जनवरी, 2014	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0037)	0.1229	0.0766	-	-	-	-	-	-	100
11	ओडिशा इनफ्रा पावर लिमिटेड	23 जनवरी, 2014	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0046)	0.2984	0.2530	-	-	-	-	-	-	100
12	देवघर इनफ्रा लिमिटेड	30 जून, 2015	01 अप्रैल,		(0.0034)	0.3197	0.2731	-	-	-	-	-	-	100

			2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500										
13	बिहार इनफ्रा पावर लिमिटेड	30 जून, 2015	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0034)	0.1148	0.0683	-	-	-	-	-	-	100
14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	09 जुलाई, 2015	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0028)	45.5620	45.5148	-	-	0.0001	0.0000	0.0001	-	100
15	झारखंड इनफ्रा पावर लिमिटेड	10 दिसंबर, 2015	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0040)	0.0900	0.0440	-	-	-	-	-	-	100
16	बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	09 सितंबर, 2013	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0562)	0.0186	0.0248	-	-	(0.0062)	-	(0.0062)	-	100
17	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (गैर लेखा परीक्षित)	09 सितंबर, 2013	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0500)	0.0211	0.0211	-	-	(0.0471)	-	(0.0471)	-	100
18	महेन्द्रगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	23 दिसंबर, 2014	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0562)	0.0213	0.0275	-	-	(0.0619)	-	(0.0619)	-	100

सं.	सहायक कंपनी / एसपीवी का नाम (लेखा परीक्षित)	अधिग्रहण / निगमन की तिथि	रिपोर्टिंग अवधि	हिस्सा पूंजी	आरक्षित एवं आधिक्य	कुल परिसंपत्तियाँ	कुल देयताएं	निवेश	टर्नओवर	कराधान पूर्व लाभ	कराधान के लिए प्रावधान	कर पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभों का प्रतिशत	शेयर धारण का प्रतिशत
19	साउथ - सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18 फरवरी, 2015	01 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0500	(0.0551)	0.0113	0.0164	-	-	(0.0064)	-	(0.0064)	-	100
20	शोंगटोंग - करचम - बांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जनवरी, 2017	13 जनवरी, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0100	(0.0019)	2.1182	2.1101	-	-	(0.0019)	-	(0.0019)	-	100
21	बीजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	13 जनवरी, 2017	13 जनवरी, 2017 - 31 मार्च, 2018	0.0100	(0.0019)	0.2999	0.2919	-	-	(0.0019)	-	(0.0019)	-	100

#### टिप्पणी :

1. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।
2. टर्नओवर को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
3. सभी एसपीवी प्रचालन पूर्व चरण में हैं तथा अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
4. फतेहगढ़ - भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड और गोवा - टमनार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसी लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) को वर्ष के दौरान हस्तांतरित किया गया है।
5. बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, महेंद्रगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और साउथ - सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) समापन की प्रक्रिया में हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)	(एन बी गुप्ता)	(राजीव शर्मा)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन - 00530741	डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 000458N
	हस्ता/-	हस्ता/-
	(एम के अग्रवाल)	(भूपेंद्र सिंह)
स्थान : नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
दिनांक : 25 मई, 2018	सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867

एओसी 1 (सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम)

फार्म एओसी 1 (जारी)

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण

भाग - क सहायक कंपनियां

(राशि करोड़ रुपए में)

(क)	सहायक कंपनियां	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईल)	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीसीएस )	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी)
1	को समाप्त वर्ष के लिए सूचना 1	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018
2	अधिग्रहण / निगमन की तिथि	25 मार्च, 2008	30 मार्च, 2011	18 जुलाई, 2011	11 अक्टूबर 2011
3	शेयर पूंजी	0.05	300.00	0.10	0.05
4	आरक्षित एवं आधिक्य	192.51	114.73	8.55	0.00
5	कुल परिसंपत्तियां	229.07	694.53	8.66	0.05
6	कुल देयताएं	36.51	279.80	0.01	0.00
7	निवेश	0.02	0.00	0.00	0.00
8	टर्नओवर 2	60.45	73.94	0.00	0.00
9	कराधान पूर्व लाभ	45.56	44.14	0.56	0.00
10	कराधान के लिए प्रावधान	17.23	12.31	0.18	0.00
11	कर पश्चात लाभ	28.33	31.83	0.38	0.00
12	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	शेयरधारण का प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

टिप्पणी :

1. सभी सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग अवधि होलिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के समान है।
2. टर्नओवर को प्रचालनों से आय समझा जाता है।
3. पीईसीएपी स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है।
4. कंपनी की कोई विदेशी सहायक कंपनी नहीं है।

**भाग "ख" : सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम**

**सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण**

**(राशि करोड़ रुपए में)**

(ख)	संयुक्त उद्यमों का नाम	एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र तिथि	31 मार्च, 2017
2	तिथि जिसको संयुक्त उद्यम का अधिग्रहण किया गया	10 दिसंबर, 2009
3	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा संयुक्त उद्यमों के धारित शेयर	
	शेयरों की संख्या	146,500,000
	संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	146.50
	शेयर धारण की सीमा (प्रतिशत में)	31.71 प्रतिशत
4	महत्वपूर्ण प्रभाव होने के ढंग के बारे में विवरण	प्रमोटर होने के कारण 1
5	संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
6	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारण पर आरोप्य निवल मूल्य 2	178.12
7	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
	i) समेकन में विचारित	9.20
	ii) समेकन में विचारित न की गई	एनए

टिप्पणी :

1. पीएफसी, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल और आरईसीएल द्वारा ईईएसएल को संयुक्त रूप से प्रान्तत किया गया है।
2. 31 मार्च, 2017 को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित आईजीएएपी वित्तीय विवरणों के अनुसार राशि

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(मनोहर बलवानी)	(एन बी गुप्ता)	(राजीव शर्मा)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन - 00530741	डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मित्रोच्चा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 000458N
	हस्ता/-	हस्ता/-
	(एम के अग्रवाल)	(भूपेंद्र सिंह)
स्थान : नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
दिनांक : 25 मई, 2018	सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867

समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम संस्था और सहयोगी से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :

- (i) कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21 - समेकित वित्तीय विवरण के अनुसरण में अंतः समूह शेष और अंतः समूह लेनेदेन को पूरी तरह हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर संयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभों या हानियों को अप्राप्त दिखाया गया है।
- (ii) संयुक्त उद्यम संस्था के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 27 - संयुक्त उद्यमों में अधिकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसरण में अप्राप्त लाभों या हानियों के आनुपातिक शेयर को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को एक साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर आनुपातिक समेकन विधि का प्रयोग करके संयोजित किए गए हैं।
- (iii) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनेदेन तथा अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं और यथा संभव उसी ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं जिस तरह कंपनी के अगल वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल उसे छोड़कर जिसका लेखाओं पर टिप्पणियों में अन्यथा उल्लेख किया जाता है।
- (iv) सहयोगियों के मामले में, जहां कंपनी सीधे या सहायक कंपनियों के माध्यम से परोक्ष रूप से 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी की धारक है, सहयोगियों में निवेश को लेखांकन मानक (एएस) 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसरण में इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया गया है।

(ख) सहायक कंपनियों एवं सहयोगियों में निवेश जो समेकित नहीं है, का लेखांकन नीति संख्या 7 इंप्रा के अनुसार किया गया है।

(ग) लेखांकन की अन्य महत्वपूर्ण नीतियां

1. (क) वित्तीय लेखा तैयार करने का आधार

भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसरण में प्रोड्युवन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित लागू विनियामक मानदंड / दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार का संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक तथा प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

(ख) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि को निर्दिष्ट परिसंपत्तियों, देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की मात्राएं रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक आकलनों एवं अनुमानों की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकसम्मत एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2. आय / व्यय की मान्यता

2.1 आय और व्यय (नीचे उल्लिखित को छोड़कर) को प्रोड्युवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।

- 2.1.1 लागू आरबीआई निदेशों के अनुसार, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों पर आय उसकी प्राप्ति के वर्ष में मान्य की जाती है तथा ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में मान्य किसी अप्राप्त आय का व्युत्क्रम किया जाता है।
- 2.1.2 कार्बन क्रेडिट शीर्ष के तहत आय उस वर्ष में लेखांकित की जाती है जिसमें यह कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है।
- 2.1.3 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, कार्पोरेट निकायों के शेयरों तथा म्यूचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय की गणना रोकड़ आधार पर की जाती है। परंतु यह कि कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है जब कारपोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में ऐसे लाभांश की घोषणा की गई हो और भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो।
- 2.2 ऋणग्राहियों द्वारा समय से भुगतान पर रिबेट को समूची देय राशि समय पर प्राप्त हो जाने पर लेखांकित किया जाता है।
- 2.3 वाणिज्यिक पेपरों, जीरो कूपन बांडों (डीप डिस्काउंट बांडों) पर डिस्काउंट / वित्तीय प्रभार / ब्याज तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारियों के तहत बांडों पर डिस्काउंट उसके कार्यकाल की अवधि में आनुपातिक आधार पर परिशोधित किया जाता है।
- 2.4 दीर्घ अवधि के विदेशी मुद्रा के ऋणों के सिलसिले में व्यवस्था शुल्क को ऋण की अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में परिशोधित किया जाता है।
- 2.5 शेयरों के निर्गम पर व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।
- 2.6 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, कारपोरेट निकायों के बांडों एवं डिबेंचरों से आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, परंतु यह कि इन लिखतों पर ब्याज दर पहले से निर्धारित होती है और ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जाती है न कि एरियर में।
- 2.7 ऋणग्राही के खातों में वसूलियां ऋण करारों के अनुसार विनियोजित की जाती हैं।
- 2.8 लेखा के स्वाभाविक शीर्षों में 5000 रुपए तक पूर्वदत्त व्यय प्रभारित किया जाता है।
- 2.9 परामर्श सेवा से आय को संबंधित परामर्श संविदा की शर्तों के अनुसार समग्र कार्यक्षेत्र के संबंध में आनुपातिक आधार पर निष्पादित किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति के बारे में प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखांकित किया गया है।
- 2.10 अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) (कंपनी के विशेष प्रयोजन वाहन) / स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास के लिए सलाह एवं पेशेवर सेवाओं का शुल्क सफल बोलीदाता को परियोजना अंतरित करने पर ही देय होता है और तदनुसार ऐसे अंतरण के समय ही लेखांकित किया गया है।
- 2.11 आईटीपी एवं यूएमपीपी के लिए अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों से बिक्री आय को तब लेखांकित किया जाता है जब प्राप्त होती है।
- 2.12 माल की बिक्री से राजस्व को ग्राहकों को डिलीवरी के समय मान्य किया जाता है।
- 2.13 राज्य में डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम पर विज्ञापन / जागरूकता पर किए गए व्यय को उस संबंधित राज्य के लिए एलईडी बल्बों के कुल निर्धारित वितरण के मुकाबले में वर्तमान वर्ष में वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष राशि परवर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित करने के लिए अग्रणीत की गई है। इसी तरह डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान पर किए गए व्यय को डीईएलपी / उजाला कार्यक्रम के तहत एलईडी बल्बों के कुल निर्धारित वितरण के मुकाबले में वर्तमान वर्ष में कुल वितरित एलईडी बल्बों के अनुपात में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष राशि परवर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित करने के लिए अग्रणीत की गई है।

### 3. प्रारंभिक व्यय

पीएफसीसीएस के मामले में, इसके गठन से संबंधित प्रारंभिक व्यय को वर्ष जिसमें यह किया गया है, में पूरी तरह बट्टे खाते डाला गया है।

### 4. मूर्त परिसंपत्तियां / मूल्यहास

4.1 मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है, सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें बही मूल्य के निचले स्तर या निवल वसूलनीय मूल्य पर दर्शाया जाता है।

4.2 मूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि को अनुमोदित बिलों के आधार पर या ऐसे मामलों में संविदाओं के अनुसार किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य पर पूंजीकृत किया जा रहा है जहां अंतिम बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है / अनुमोदित नहीं हुआ है।

4.3 निम्नलिखित को छोड़कर, मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्ति की मूल लागत पर प्रदान किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 में प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल में लिखित मूल्य विधि\* के अनुसार समय समय पर अनुमानित अवशेष मूल्य को उसमें से घटाया जाता है :

परिसंपत्तियों का स्वरूप	परिसंपत्तियों का कार्यकाल
सेल फोन (1)	2 वर्ष
ईएससीओ परियोजनाएं (2)	परियोजना अवधि
लीजहोल्ड सुधार (3)	पट्टा अवधि (ईईएसएल के मामले में) पट्टा अवधि या उनका उपयोगी कार्यकाल, जो भी कम हो (पीएफसीसीएस के मामले में)
आवसायीय परिसंपत्तियां	3 वर्ष (ईईएसएल के मामले में)

\*ईईएसएल द्वारा सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके मूल्यहास प्रदान किया जाता है

(1) कंपनी, पीएफसीसीएस, पीएफसीसीएस, पीएफसीसीएस (कंपनी की सहायक कंपनियां) और ईईएसएल (कंपनी के संयुक्त उद्यमों में से एक) द्वारा उपयोगी कार्यकाल 2 वर्ष के रूप में लिया गया है।

(2) ईईएसएल द्वारा लिया गया उपयोगी कार्यकाल

(3) पट्टा अवधि सुधारों को सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

4.4 वर्ष के दौरान 5000 रुपए तक की लागत वाली खरीदी गई मूर्त परिसंपत्तियों की मदों का पूर्णतः मूल्यहास किया जाता है।

4.5 पट्टे पर लिए गए परिसरों में लगाए गए फर्नीचर एवं अन्य फिक्स्ड परिसंपत्तियों पर किए गए पूंजी व्यय को लागत पर मान्य किया जाता है और मूर्त फिक्स्ड परिसंपत्तियों के तहत पट्टा सुधार के रूप में दर्शाया जाता है।

### 5. पूंजी कार्य प्रगति पर

आशयित प्रयोग के लिए तैयार हो जाने तक परियोजना पर विशेष रूप से आरोप्य प्रशासनिक एवं सामान्य उपरिब्वय व्यय को चिन्हित किया जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।

### 6. अमूर्त परिसंपत्तियां / परिशोधन

4.1 साफ्टवेयर जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों को संचित परिशोधन घटाते हुए अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है तथा कंपनी द्वारा 5 वर्ष के रूप में परिसंपत्तियों के अनुमानित कार्यकाल में सीधी रेखा विधि के तहत परिशोधन किया जाता है।

पीएफसीसीएस के मामले में, अनुमानित कार्यकाल 3 वर्ष है।

### 7. निवेश



- 7.1 आरबीआई के लागू निदेशों के अनुसार, निम्नतर लागत या बाजार मूल्य पर उद्धृत मौजूदा निवेशों का श्रेणीवार मूल्य निर्धारण किया जाता है।
- 7.2 गैर निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्ति के रूपांतरण के कारण किसी ऋणग्राही कंपनी में धारित अनुद्धृत इक्विटी शेयरों को वर्तमान निवेश समझा जाता है तथा ऐसे इक्विटी शेयरों का मूल्य 1 रुपए पर निर्धारित किया जाता है। इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में हास को 'वर्तमान निवेश' श्रेणी में धारित किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य में वृद्धि के विरुद्ध प्रतिलुलित नहीं किया जाता है।
- 7.3 दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी को छोड़कर, के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है जहां मूल्य में वृद्धि होती है या यदि कटौती का कारण अब मौजूद नहीं है।

## 8. परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

### 8.1 परिसंपत्ति वर्गीकरण का आधार

ऋणों तथा अन्य ऋण सुविधाओं तथा पट्टा परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है अर्थात :

8.1.1 मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्ति का अभिप्राय ऐसी परिसंपत्ति से है जिसके संबंध में मूलधन या ब्याज के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में किसी चूक की परिकल्पना नहीं होती है तथा जो किसी समस्या का खुलासा नहीं करती है या जिसमें व्यवसाय करने से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं होता है।

8.1.2 (i) नीचे उल्लेख के अनुसार किसी परिसंपत्ति को गैर निष्पादक परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाता है तथा उसे अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्ति के रूप में उप वर्गीकृत किया जाता है :

	एनपीए (पट्टा परिसंपत्तियों को छोड़कर ऋण परिसंपत्तियां)	एनपीए उप वर्गीकरण (पट्टा परिसंपत्तियों सहित सभी ऋण परिसंपत्तियां)		
		अवमानक	संदिग्ध	हानि
31 मार्च, 2017	4 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय	अधिक से अधिक 14 माह की अवधि के लिए एनपीए	14 माह से अधिक अवधि के लिए एनपीए	(क) कंपनी या इसके आंतरिक अथवा बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा या आरबीआई द्वारा कंपनी के निरीक्षण के दौरान हानि परिसंपत्ति के रूप में चिह्नित परिसंपत्ति, जिस हद तक उसे कंपनी द्वारा बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है, और (ख) ऐसी परिसंपत्ति जो प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या ऋणग्राही की ओर से किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण वसूल न किए जाने के संभावित खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।
31 मार्च, 2018 और इसके बाद	3 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय	अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के लिए एनपीए	12 माह से अधिक अवधि के लिए एनपीए	

(ii) परिसंपत्ति के वर्गीकरण तथा एनपीए के प्रावधान के प्रयोजनार्थ, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं को सरकारी क्षेत्र ऋण से भिन्न ऋणग्राहीवार माना जाता है, जिन्हें परियोजनावार आधार पर समझा जाता है, यदि प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से अभिज्ञेय हो और उस परियोजना पर लागू हो।

(iii) पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई के मानदंडों के अनुसार भी परियोजना ऋणों का वर्गीकरण अवमानक परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के लेखा के मामले में, यदि परियोजना में वित्तीय बंदी के समय परिकल्पित वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने की तिथि (या पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई के मानदंडों में उल्लिखित अनुमत श्रेसहोल्ड के अंदर संशोधित डीसीसीओ) के अंदर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है तो ऋणग्राहीवार के स्थान पर परियोजनावार वर्गीकरण किया जाता है (जैसा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2022 तक छूट प्रदान की गई है)।

(iv) कोई पट्टा परिसंपत्ति, जिसके संबंध में किश्त / किराया 6 माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत की गई है। तथापि, 31 मार्च 2018 से किसी पट्टा परिसंपत्ति को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाता है जब यह तीन माह या अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

## 8.2 मानक परिसंपत्तियों, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों तथा एनपीए के विरुद्ध प्रावधान

8.2.1 ऋणों तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :

क्र. सं.	विवरण	प्रावधान की दर
1.	मानक परिसंपत्ति	0.40 प्रतिशत
2.	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां	5 प्रतिशत
3.	अवमानक परिसंपत्ति	10 प्रतिशत
4.	संदिग्ध परिसंपत्ति परिसंपत्ति का प्रतिभूत अंश एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक तीन वर्ष से अधिक संदिग्ध परिसंपत्तियां जो ऐसी प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं हैं जिस पर कंपनी का वैध अधिकार है	20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 50 प्रतिशत 100 प्रतिशत
5.	हानि परिसंपत्ति यदि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है	100 प्रतिशत

8.2.2 किराया खरीद और पट्टा परिसंपत्तियों पर प्रावधान समय समय पर यथासंशोधित "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016" के पैरा 13 (2) के अनुसार किया जाता है।

8.2.3 पुनर्गठित / पुनर्निर्धारित / पुनः परक्रामित ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान आरबीआई के मानदंडों तथा आरबीआई के विशिष्ट निदेशों के अनुसार किया जाता है।

8.3 जहां तक पीएफसीजीईएल का संबंध है, ऋणों एवं अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के मानदंड आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार हैं।

8.4 पीएफसीसीएल के मामले में, संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है जिसमें विशिष्ट देयों की संग्रहणीयता, लोखिम की आशंका एवं सामान्य कारक जो देयों का निस्तारण करने की ग्राहकों की सामर्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, तथा राशि जो कम से कम 2 वर्ष के लिए बकाया है, की वसूलनीयता के बारे में प्रबंधन का आकलन शामिल हैं। ऐसी राशियों को बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब ऐसे प्रावधान के प्रत्येक मामले में बोर्ड का अनुमोदन लेने के बाद प्रावधान की तिथि से 3 साल की अवधि के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए विचार किया जाता है, जहां वसूली की संभावना शून्य होती है।

## 9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

9.1 निम्नलिखित लेनदेन को लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है :

(i) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय; और

(ii) विदेशी मुद्रा में ऋण ली गई राशि तथा उधार दी गई राशि।

9.2 लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेखा की समाप्ति की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में निम्नलिखित शेष राशियों को अंतरित किया जाता है :

(i) विदेशी मुद्रा ऋण देयताएं

- (ii) विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते में रखी गई निधियां
- (iii) विदेशी बैंकों में दी गई गारंटियों के संबंध में आकस्मिक देयताएं
- (iv) विदेश में अर्जित की गई परंतु भारत में प्रेषित / प्राप्त न की गई आय
- (v) विदेशी मुद्रा में मंजूर किए गए ऋण
- (vi) विदेशी मुद्रा ऋण / उधारियों पर प्रोद्भूत परंतु अदेय व्यय एवं आय।

9.3 लेखांकन मानक (एएस) 11 के पैरा 46क के अनुसरण में विदेशी मुद्रा की दीर्घ अवधि की मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को उनकी शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। आईएसएल के ममाले में, विनिमय दर में ऐसे अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

## 10. डेरिवेटिव लेनदेन

10.1 डेरिवेटिव लेनदेन में तुलनपत्र की परिसंपत्तियों या देयताओं का बचाव करने के लिए वायदा, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा मुद्रा और क्रॉस मुद्रा विकल्प शामिल होते हैं।

10.2 ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए।

10.3 जहां कंपनी ने वायदा संविदा की है या ऐसा लिखत किया है जो सार रूप में वायदा संविदा है, लेनदेन की तिथि को वायदा दर तथा विनिमय दर के बीच अंतर को लेखांकन मानक 11 के अनुसार संविदा की अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

10.4 जो डेरिवेटिव संविदाएं लेखांकन मानक 11 के अंतर्गत शामिल न होकर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के तहत शामिल हैं, उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में मान्य किए जा रहे उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

## 11. भारत सरकार की योजनाओं का लेखांकन

11.1 कंपनी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋणों / अनुदानों / सब्सिडी का अंतरण करने के लिए चैनलाइजिंग / नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। कंपनी ऐसी मद में राशि प्राप्त करती है और संगत योजनाओं के अनुसरण में उसे पात्र संस्थाओं को संवितरित करती है।

11.1.1 जहां भारत सरकार से अग्रिम में निधियां प्राप्त की जाती हैं, उसे तब तक वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि लाभार्थी को भुगतान जारी नहीं किया जाता है।

11.1.2 भारत सरकार की ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न शुल्क आदि के कारण आय को यथालागू संबंधित योजना / भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में लेखांकित किया जाता है।

## 12. ब्याज सब्सिडी निधि

12.1 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से पात्र लाभार्थियों के लिए त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आधार पर प्राप्त ब्याज सब्सिडी प्राप्त होने पर ब्याज सब्सिडी निधि में क्रेडिट की जाती है और ब्याज की मांगों की संबंधित तिथियों पर ऋण की पात्र अवधि में ऋणग्राहियों को अंतरित की जाती है। ब्याज सब्सिडी निधि में किसी अतिरेक / कमी को संबंधित योजना की समाप्ति पर रिफंड या समायोजित / प्रभार मुक्त किया जाता है।

12.2 योजना में निर्दिष्ट दरों पर लाभ एवं हानि के विवरण में डेबिट करके सब्सिडी निधि में बकाया शेष पर ब्याज के साथ वर्ष के

अंत में ब्याज सब्सिडी निधि क्रेडिट की जाती है।

13. सहायक कंपनियों पर आय / प्राप्ति / व्यय

- 13.1 सहायक कंपनियों पर किए गए व्यय को "संबंधित सहायक कंपनी से वसूली योग्य राशि" खाते में डेबिट किया जाता है।
- 13.2 मानव दिवसों (कर्मचारियों) के संबंध में व्यय सहायक कंपनियों को आवंटित किए जाते हैं तथा प्रशासनिक ऊपरी व्यय अनुमानित आधार पर सहायक कंपनियों को प्रभाजित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष व्यय संबंधित सहायक कंपनियों के नाम में डाले जाते हैं।
- 13.3 सहायक कंपनियों (अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए एसपीवी के रूप में प्रोन्नत की गई) से वसूली योग्य राशि पर ब्याज को कंपनी की नीति के अनुसार राज्य क्षेत्र ऋणग्राही (श्रेणी ए) को परियोजना ऋण / योजना (उत्पादन) के लिए लागू ब्याज दर पर लेखांकित किया जाता है।
- 13.4 विद्युत क्रेताओं से प्रतिबद्ध अग्रिम के रूप में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त राशि को कंपनी में अंतर कारपोरेट ऋण के रूप में लगाया जाता है और परस्पर सहमत ब्याज दरों पर इन ऋणों के अप्रयुक्त भाग पर ब्याज दिया जाता है।

13.5 कंपनी यूएमपीपी में विकास कार्य के लिए व्यय करती है। किए गए व्यय को यूएमपीपी के विकास के लिए स्थापित संबंधित सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है। जब विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी यूएमपीपी का परित्याग कर दिया जाता है तो वसूल न होने की सीमा तक प्रावधान करने / बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जाता है।

#### 14. कर्मचारी लाभ

##### 14.1 भविष्य निधि, उपदान, पेंशन निधि और सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिए वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त / देय अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कर्मचारियों को उपदान एवं सेवा निवृत्ति लाभों जैसे कि चिकित्सा लाभ, पुनर्वासि लाभ, और सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन भत्ता के लिए कंपनी की बाध्यता का निर्धारण लेखांकन मानक 15 के अनुसार विमांकिक आधार पर किया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

##### 14.2 अन्य कर्मचारी लाभ

बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, सेवा पंचाट योजना के लिए कंपनी की बाध्यता लेखांकन मानक 15 के अनुसार विमांकिक आधार पर निर्धारित की जाती है तथा प्रावधान किया जाता है।

#### 15. आयकर

15.1 आय पर करों के लिए लेखांकन पर लेखांकन मानक 22 के अनुसरण में वर्तमान आयकर समेत आयकर का निर्धारण लागू कर कानूनों तथा आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट के अनुसार किया जाता है (जो अवधि के लिए लेखांकन आय और कराधेय आय के बीच समय के अंतरों के कर प्रभावों को दर्शाता है)।

आस्थगित कर प्रभार या ऋण और तत्संबंधी आस्थगित कर देयताएं या परिसंपत्तियां कर दरों का प्रयोग करके मान्य की जाती हैं जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित की गई हैं या सारवान रूप से अधिनियमित हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य एवं अग्रणीत किया जाता है जहां इस बात की तर्कसंगत रूप से निश्चितता होती है कि पर्याप्त भावी कराधेय आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है।

15.2 चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने यह संकल्प पारित किया है कि उसका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से निकासी का कोई इरादा नहीं है इसलिए इस तरह की विशेष आरक्षित निधि रीवर्स किए जाने के योग्य नहीं है और इस प्रकार यह स्थायी अंतर बन जाता है। कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसरण में उक्त आरक्षित निधि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं करती है।

#### 16. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक 3 में निर्धारित परोक्ष विधि के अनुसरण में नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है।

#### 17. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी के तहत हस्तगत रोकड़, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय तथा हस्तगत चेक / ड्राफ्ट / पे आर्डर शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से

तीन माह या कम है), उच्च तरल निवेश जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं, और जो मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं, नकदी समतुल्य समझती है।

### भाग ग - लेखाओं पर समेकित अन्य टिप्पणियां

1. कंपनी सरकारी कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण (जमा स्वीकार न करने वाली या धारण न करने वाली) गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के यहां पंजीकृत है। कंपनी के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।
2. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम संस्था के लेखाओं का समेकन प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है :

सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम संस्थाओं का नाम	निगमन का देश	निम्नलिखित तिथि को शेयर धारण का अनुपात		लेखाओं की स्थिति एवं लेखांकन अवधि
		31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	
				01.04.2017 – 31.03.2018
सहायक कंपनियां :				
पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)(i)	भारत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लेखा परीक्षित
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पीएफसीजीईएल) (ii)	भारत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लेखा परीक्षित
पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीसीएएस) (i)	भारत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लेखा परीक्षित
पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीईसीएपी) (iii)	भारत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	लेखा परीक्षित
संयुक्त उद्यम संस्थाएं :				
एनर्जी एफिसियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)	भारत	31.71 प्रतिशत	31.71 प्रतिशत	गैर लेखा परीक्षित

(i) संबंधित सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद, पीएफसीसीएल के साथ पीएफसीसीएएस के विलय का कार्य प्रगति पर है

(ii) 9 अगस्त 2016 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 सितंबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति के अधीन कंपनी के साथ पीएफसीजीईएल के विलय की योजना को मंजूरी प्रदान की है।

(iii) पीईसीएपी को स्वेच्छा से बंद करने का निर्णय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

2.1 नीचे यथाउल्लिखित सहायक कंपनियों (भारत में निगमित) के वित्तीय विवरण लेखांकन मानक 21 के पैरा 11 के संदर्भ में समेकित नहीं हैं, जो यह कहता है कि ऐसी सहायक कंपनी का समेकन नहीं किया जाना चाहिए जिसका नियंत्रण अस्थायी आधार पर वांछित है क्योंकि सहायक कंपनी को केवल इसलिए अधिग्रहीत एवं धारित किया गया है कि बोली प्रक्रिया पूर्ण होने पर उसे सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश की तिथि	निम्नलिखित तिथि को शेयर धारण का अनुपात		राशि (करोड़ रुपए में)	
			31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	सहायक कंपनियां :					
(i)	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	05 सितंबर, 2006	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(ii)	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	05 सितंबर, 2006	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(iii)	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	14 सितंबर, 2006	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(iv)	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	31 जनवरी, 2007	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(v)	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	31 मार्च, 2008	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(vi)	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	27 जनवरी, 2010	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(vii)	घोगरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी	27 जनवरी, 2010	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05

	लिमिटेड					
(viii)	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड**	27 जनवरी, 2010	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(ix)	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	30 जुलाई, 2012	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(x)	चेयूर इनफ्रा लिमिटेड	24 मार्च, 2014	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xi)	ओडिशा इनफ्रा पावर लिमिटेड	27 मार्च, 2014	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xii)	देवघर इनफ्रा लिमिटेड	25 अगस्त, 2015	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
XIII.	बिहार इनफ्रा पावर लिमिटेड	26 अगस्त, 2015	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xiv)	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	27 अगस्त, 2015	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
(xv)	झारखंड इनफ्रा पावर लिमिटेड	05 फरवरी, 2016	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
	कुल				0.75	0.75

\*विद्युत मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 जनवरी 2017 के माध्यम से सीएसपीएल को बंद करने के बारे में सूचना प्रदान की है। संबंधित कार्यवाहियां चल रही हैं।

\*\*विद्युत मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 जून 2016 के माध्यम से टीएएमपीएल को बंद करने के लिए अपने अनुमोदन से अवगत कराया है। संबंधित कार्यवाहियां चल रही हैं।

बोली प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर उनको सफल बोलीदाता को सौंपने के उद्देश्य से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के लिए भारत सरकार के अधिदेश के तहत विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में उपर्युक्त सहायक कंपनियों निगमित की गई हैं।

इसके अलावा, स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास के लिए सृजित 6 सहायक कंपनियों (पीएफसीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व वाली 8 सहायक कंपनियों में 2 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सफल बोलीदाताओं को अंतरित की गई हैं) को बोली प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर उनको सफल बोलीदाता को सौंपने के उद्देश्य से धारित किया जा रहा है :

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निवेश की तिथि	सफल बोलीदाता को सौंपने की तिथि	निम्नलिखित तिथि को शेयर धारण का अनुपात		राशि (करोड़ रुपए में)	
				31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	सहायक कंपनियां :						
1.	फतेहगढ़ - भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड (i)	31 जनवरी, 2017	14 मार्च, 2018	-	100 प्रतिशत	-	0.01
2.	गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	21 फरवरी, 2017	14 मार्च, 2018	-	100 प्रतिशत	-	0.01
3.	श्रीजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 फरवरी, 2017	--	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.01	0.01
4.	शोंगटोंग करचम - वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	21 फरवरी, 2017	-	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.01	0.01
5.	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (ii)	21 अगस्त, 2013	-	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
6.	बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (ii)	21 अगस्त, 2013	-	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
7.	महेंद्रगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (ii)	23 दिसंबर, 2014	-	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
8.	साउथ - सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (ii)	18 फरवरी, 2015	-	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0.05	0.05
	कुल					0.17	0.24

(i) बोली प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सौंप दी गई है।

(ii) बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

2.2 कंपनी ने सहायक कंपनियों को प्रोन्नत किया है तथा उनमें अंकित मूल्य पर शेयर खरीदे हैं। इसलिए सद्भाव या पूंजी आरक्षित की नौबत नहीं आती है।

2.3 आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, अग्रिमों की ऋणमुक्ति में अधिग्रहीत ऋणी कंपनियों जिनमें कंपनी 20 प्रतिशत या अधिक

इक्विटी शेयर पूंजी की धारक है, को समेकित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

### 3. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं :

#### 3.1 आकस्मिक देयताएं

##### (क) गारंटी आदि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i)	घरेलू मुद्रा में जारी की गई गारंटियां	153.75	190.38
(ii)	कंपनी के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में नहीं माना गया	68.65	11.74
(iii)	संस्वीकृत ऋणों के विरुद्ध लेटर ऑफ कम्फर्ट के रूप में ऋणग्राहियों को वकाया भुगतान प्रतिबद्धताएं	1694.60	1,640.56
	कुल	1,917.00	1,842.68

##### (ख) आयकर मांगें

आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल 85.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.53 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त मांग की गई है जिसका विरोध किया जा रहा है। उक्त मांगों में से 5.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 40.53 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने कंपनी को कुल 165.39 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 165.39 करोड़ रुपए) की राहत देने के अपीलिय प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील की है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि देयता को संभाव्य नहीं माना जा रहा है।

##### (ग) सेवा कर मांगें

सेवा कर विभाग द्वारा पिछले वर्षों के लिए कुल 1.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.51 करोड़ रुपए) की सेवा कर मांग की गई है या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा सेवा कर विभाग ने आयुक्त (सीई एण्ड एसटी) के उस आदेश के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष अपील भी दाखिल की है जिन्होंने 1.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.11 करोड़ रुपए) के सेवा कर की मांग निरस्त कर दिया था। इसका भी विरोध किया जा रहा है। प्रबंधन ने कोई प्रावधान करने की जरूरत नहीं समझी है क्योंकि देयता को संभाव्य नहीं माना जा रहा है।

#### 3.2 अन्य प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार पूंजी खाते के कारण निष्पादित करने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित परंतु प्रावधान न की गई राशि 557.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 103.95 करोड़ रुपए) है।

4. आयकर विभाग द्वारा की गई अतिरिक्त मांगों (अपीली प्राधिकारियों द्वारा मंजूर की गई राहत का निवल) और कंपनी द्वारा विरोध के अंतर्गत भुगतान की गई एवं प्रावधान की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
1.	प्रारंभिक शेष	118.39\$	95.39
2.	वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.58	23.90
3.	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	-	(0.90)
4.	अंत शेष	129.97*	118.39

\*कर निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2015-16 तक से संबंधित है।

\$कर निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2014-15 तक से संबंधित है।

- (क) उन मामलों में जहां 11 फरवरी 2013 से पहले पब्लिक इश्यू हेतु प्रॉस्पेक्टस फाइल किए गए थे, कंपनी बांडों अथवा डिबेंचरों के लिए पब्लिक इश्यू (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6/3/2001 - सीएलवी दिनांक 18 अप्रैल 2002 के अनुसार) के लिए 50 प्रतिशत की दर से और परवर्ती पब्लिक इश्यू के लिए 25 प्रतिशत (कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली 2014 के अनुसार अपेक्षित) की दर से डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीआरआर) सृजित कर रही है।
- (ख) कंपनी अपरिवर्तनीय बांड निर्गमों की श्रृंखलाओं सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उधारियों का ब्याज चुकता करने में कोई चूक नहीं की है। जहां तक रुपयों में मूल्य वाले अपरिवर्तनीय बांडों का संबंध है, ब्याज और मूलधन की अदायगी की पिछली देय तिथि 31 मार्च 2018 थी।
- (क) विदेशी मुद्रा व्यय एवं अर्जन :

(करोड़ रुपए में)



क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
(i)	विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज*	258.43	270.32
(ii)	वित्तीय एवं अन्य प्रभार*	9.03	1.97
(iii)	यात्रा व्यय	5.98	0.67
(iv)	प्रशिक्षण व्यय	0.35	0.29
(ख)	विदेशी मुद्रा में अर्जन	0.88	1.27

\*विदहोलिंग कर सहित

(ख) विदेशी मुद्रा देयताएं जो किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट द्वारा या अन्यथा सुरक्षित नहीं की गई हैं :

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	संबंधित मुद्रा में मिलियन	(करोड़ रुपए में)	संबंधित मुद्रा में मिलियन	(करोड़ रुपए में)
अमरीकी डालर	942	6,140.13	581	3,764.80
यूरो	14	114.12	16	108.03
जापानी येन*	43,668	2,685.80	43,668	2,532.85
कुल		8,940.05		6,405.68

संबंधित मुद्रा में मिलियन

\*इसमें 45 मिलियन अमरीकी डालर / 293.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 45 मिलियन अमरीकी डालर / 291.83 करोड़ रुपए का यूएसडी / आईएनआर लेग) के एक लेग के लिए की गई वायदा दर संविदा के माध्यम से आंशिक रूप से सुरक्षित की गई जेपीवाई ऋण देयता शामिल है।

(ग) कंपनी उनके कार्यकाल में विदेशी मुद्रा की दीर्घ अवधि की मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों को परिशोधित करती है। परिणामतः 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (एफसीएमआईटीडीए) के तहत अपरिशोधित डेबिट शेष 648.65 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष डेबिट शेष 647.56 करोड़ रुपए) है। आईएसएल के मामले में, विनिमय दर में ऐसे अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

(घ) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित देयताओं और परिसंपत्तियों को वर्ष के अंत में एफईडीएआई की स्पॉट दर पर अंतरित किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	विनिमय दर	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	अमरीकी डालर / रुपया	65.1750	64.8500
(ii)	जापानी येन / रुपया	0.615050	0.580025
(iii)	यूरो / रुपया	80.8075	69.2925

7. लेखांकन मानक 18 की प्रकटन संबंधी आवश्यकता के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन :

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) :

विवरण	अवधि
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
श्री राजीव शर्मा, सीएमडी और सीईओ (i)	01 अक्टूबर, 2016 से
श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ (ii)	31 जुलाई, 2009 से 31 मई, 2017 तक
श्री एन बी गुप्ता, निदेशक (वित्त) और सीएफओ (iii)	18 अगस्त, 2017 से
श्री सी गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजनाएं) (iv)	01 जनवरी, 2017 से
श्री डी रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) (v)	16 नवंबर, 2015 से
श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव	01 अप्रैल, 2014 से
सहायक कंपनियां	
श्री सुबीर मूलचंदानी, सीईओ, पीएफसीसीएल	01 सितंबर, 2016 से
श्री दिनेश विज, सीईओ, पीएफसीसीएल	18 मई, 2015 से
श्री आलोक सूद, सीईओ, पीएफसीसीएल	18 मई, 2015 से

श्रीमती रचना सिंह, कंपनी सचिव, पीएफसीजीईएल	01 अप्रैल, 2014 से
श्री अवकाश सक्सेना, निदेशक (पीईसीएपी)	23 सितंबर, 2016 से
संयुक्त उद्यम संस्थाएं	
श्री सौरभ कुमार, प्रबंध निदेशक, ईईएसएल	07 मई, 2013 से
श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं निदेशक, ईईएसएल	05 फरवरी, 2018 से
श्री कौशल किशोर शर्मा, अध्यक्ष एवं निदेशक	21 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2017 तक
रेणु नारंग, निदेशक, वित्त	01 मार्च, 2018 से
पूजा शुक्ला, कंपनी सचिव	27 दिसंबर, 2012 से

- (i) 1 अक्टूबर, 2016 से पीएफसीसीएल, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएएस में भी अध्यक्ष।
- (ii) पीएफसीसीएल (21 अक्टूबर, 2008 से 31 मई, 2017 तक), पीएफसीजीईएल (30 मार्च, 2011 से 31 मई, 2017 तक), और पीएफसी सीएएस (18 जुलाई, 2011 से 31 मई, 2017 तक) में निदेशक।
- (iii) पीएफसीसीएल (24 अगस्त, 2017 से), पीएफसीजीईएल (25 अगस्त, 2017 से) में निदेशक, और पीएफसीसीएएस (17 नवंबर, 2017 से) में अपर निदेशक।
- (iv) पीएफसीसीएल (25 जनवरी, 2017 से), पीईसीएपी (13 अक्टूबर, 2009 से), पीएफसीसीएएस (24 जनवरी, 2017 से) और पीएफसीजीईएल (25 जनवरी, 2017 से) में निदेशक।
- (v) पीएफसीसीएल (01 दिसंबर, 2015 से), पीएफसीजीईएल (01 दिसंबर, 2015 से), पीईसीएपी (29 मार्च, 2010 से) और पीएफसीसीएएस (30 मार्च, 2016 से) में निदेशक।
- (ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के साथ लेनदेन :  
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए केएमपी का प्रबंधकीय पारिश्रमिक 4.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.36 करोड़ रुपए) है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार केएमपी को प्रदान किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की राशि 0.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.51 करोड़ रुपए) है।

8. (क) ऋण तथा ऋण की प्रकृति वाले अग्रिम :

- (i) संबंधित सहायक कंपनियों से वसूली योग्य राशि (उस पर ब्याज सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	12.24	11.10	12.24	11.10
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	182.09	138.93	182.09	138.93
कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	5.63	4.95	5.63	4.95
कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	133.06	113.60	133.06	113.60
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	91.49	89.07	91.49	89.07
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	7.84	7.12	7.84	7.12
घोगरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	6.71	6.08	6.71	6.11
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	9.47	9.36	9.47	9.36
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	14.82	10.69	14.82	10.69
चेय्यूर इनफ्रा लिमिटेड	0.06	0.04	0.06	0.04
ओडिशा इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.24	0.20	0.24	0.22
बिहार इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.03	0.02	0.05	0.18
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	7.81	4.28	7.81	5.73
देवघर इनफ्रा लिमिटेड	0.25	0.15	0.40	0.15
झारखंड इनफ्रा पावर लिमिटेड	0.04	0.03	0.04	0.03
पीएफसीसीएल की सहायक कंपनियां	2.40	2.79	2.40	3.68
कुल*	474.18	398.41	474.35	400.96

\*यह राशि अग्रिम प्रकृति की है, इसमें कोई ऋण शामिल नहीं है।

- (ii) विद्युत क्रेताओं द्वारा प्रदान की गई राशियों तथा अन्य भुगतान योग्य राशियों के संबंध में सहायक कंपनियों को भुगतान योग्य राशि (ब्याज सहित) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
--	-------------------	-------------------

सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम	समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम
कॉस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	67.97	65.50	67.97	65.50
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	92.32	87.66	92.32	87.66
कॉस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	82.92	78.26	82.92	78.26
छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	75.70	75.70	75.70	75.70
सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	27.46	26.30	27.46	26.30
धोगरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	25.98	24.88	25.98	24.88
तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	26.94	26.36	26.94	26.36
बिहार मेगा पावर लिमिटेड	44.50	42.64	45.13	42.64
देवघर मेगा पावर लिमिटेड	15.22	14.02	15.22	14.02
कुल	459.01	441.32	459.64	441.32

(ख) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार किसी भी संबंधित पक्ष ऋणग्राही का कंपनी में कोई इक्विटी निवेश नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

9. एएस-19 के तहत आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न पट्टों के संबंध में नीचे प्रकटन किया गया है :

(क) 1 अप्रैल 2001 के बाद वित्त पट्टा के तहत परिसंपत्ति :

(i) तुलन पत्र की तिथि को पट्टे पर धारित परिसंपत्तियों में सकल निवेश तथा प्राप्य न्यूनतम मूल्य का वर्तमान मूल्य और अनार्जित वित्तीय आय का मूल्य नीचे सारणी में दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
कुल वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (सकल निवेश)	328.15	335.79
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	194.32	194.32
अनार्जित वित्तीय आय	133.83	141.47
भविष्य में वसूली के योग्य कुल पट्टा भुगतानों की परिपक्वता प्रोफाइल (सकल निवेश) :		
एक वर्ष से अधिक नहीं	51.84	27.11
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	128.52	107.10
5 वर्ष से अधिक	147.79	201.58
कुल	328.15	335.79
वसूली योग्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का वर्गीकरण		
एक वर्ष से अधिक नहीं	18.04	8.62
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	61.77	43.17
5 वर्ष से अधिक	114.51	142.53
कुल	194.32	194.32

(ii) कंपनी ने 19 जुलाई 2004 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 88.90 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। दिसंबर 2006 में यह राशि घटाकर 88.85 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

2006. 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश 0.44 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.89 करोड़ रुपए) था। 19 जुलाई 2004 से शुरू करके 15 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और 5 वर्ष गौण अवधि के रूप में शामिल हैं।

गौण अवधि 19 जुलाई 2014 से प्रभावी हुई है।

(iii) कंपनी ने 18 मई 2004 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 98.44 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश शून्य (पिछले वर्ष 3.45 करोड़ रुपए) था। 18 मई 2004 से शुरू करके 20 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम अन्य 10 वर्ष गौण अवधि के रूप में शामिल हैं। गौण अवधि 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई तथा गौण अवधि के पट्टा किराए के पुनर्भुगतान पर 8 जून 2017 को पूरी हो गई।

(iv) कंपनी ने 9 जून 2005 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2004 में 93.51 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश शून्य (पिछले वर्ष 3.74 करोड़ रुपए) था। 19 जून, 2005 से शुरू करके 19 वर्ष 11 माह की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 10 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और 9 वर्ष 11 माह की गौण अवधि के रूप में शामिल हैं। गौण अवधि 01 अप्रैल, 2015 को शुरू हुई तथा गौण अवधि के पट्टा किराए के पुनर्भुगतान पर 8 जून 2017 को पूरी हो गई।

(v) कंपनी ने 18 मई 2011 को चालू किए गए विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए वित्त पट्टा के रूप में वर्ष 2008 में 228.94 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश 327.71 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 327.71 करोड़ रुपए) था। 01 जनवरी, 2012 से शुरू करके 25 वर्ष की अवधि के अंदर पट्टा किराया वसूल किया जाना है जिसमें 18 वर्ष प्राथमिक अवधि के रूप में और अधिकतम अन्य 7 वर्ष गौण अवधि के रूप में शामिल हैं।

(ख) कंपनी के प्रचालन पट्टों में निम्नलिखित शामिल हैं :

कार्यालयों, मालगोदामों के लिए और कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर पट्टे पर लिए गए हैं और सामान्यतया परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं, और निरसनीय (संयुक्त उद्यम ईईएसएल और पीएफसीसीएल की एक सहायक कंपनी के मामले में गैर निरसनीय) हैं।

पट्टा भुगतान के लिए कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराए में 5.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6.10 करोड़ रुपए) शामिल है, जो कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में वसूलियों का निवल है। कर्मचारियों के लिए परिसरों के संबंध में पट्टा भुगतानों को "टिप्पणी भाग क 16 - समेकित कर्मचारी लाभ व्यय" में कर्मचारियों के आवासीय आवास के लिए किराए के रूप में दर्शाया गया है। कार्यालयों के लिए परिसरों के संबंध में 6.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष

4.99 करोड़ रुपए) की राशि को "टिप्पणी भाग क 17 - समेकित अन्य व्यय" में कार्यालय किराया के रूप में दर्शाया गया है। इन पट्टा व्यवस्थाओं (गैर निरसनीय) के संबंध में भावी पट्टा भुगतानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से अधिक नहीं	8.50	8.49
एक वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	19.04	5.31
5 वर्ष से अधिक	3.34	5.74
कुल	30.88	19.54

10. भारत सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन

(क) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत सब्सिडी :

(i) कंपनी ने वास्तविक पुनर्भुगतान अनुसूची, ऋण स्थगन अवधि तथा पुनर्भुगतान की अवधि पर ध्यान दिए गए बगैर अर्धशासकीय पत्र संख्या 32024/17/97 - पीएफसी दिनांक 23 सितंबर 1997 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001 - पीएफसी दिनांक 7 मार्च 2003 के माध्यम से भारत सरकार के पत्र के अनुसरण में सांकेतिक ब्याज दरों पर सांकेतिक ब्याज दरों पर गणना के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार से सब्सिडी का दावा किया। प्राप्त की गई तथा ऋणग्राही को अंतरित की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि ब्याज सब्सिडी निधि लेखा के रूप में रखी गई है। सांकेतिक दर तथा दावे के समय और वास्तविक संवितरण के समय विचार की गई अवधि के बीच अंतर के प्रभाव का आकलन संबंधित योजनाओं की समाप्ति के पश्चात ही किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आकलनों के आधार पर (कुछ ऐसी धारणाओं के आधार पर की वे प्रत्येक ऋण / परियोजना की अनुमत अवधि में उतनी ही रहेगी), कंपनी ने एजी एण्ड एसपी योजना के अंतर्गत 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 9.64 करोड़ रुपए और 103.09 करोड़ रुपए की निवल अतिरिक्त राशि (पिछले वर्ष 8.67 करोड़ रुपए और 93.56 करोड़ रुपए) अनुमानित की है और इसमें कोई कमी नहीं है। यह निवल अतिरिक्त राशि समग्र आधार पर, न कि अलग अलग आधार पर परिकलित की गई और यदि अनुमानित अवधि में इन धारणाओं में परिवर्तन के कारण कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि परिशोधन अवधि, चुकौती अवधि, ऋण पुनर्गठन, पूर्व भुगतान, ब्याज दर का पुनर्निर्धारण आदि में कोई परिवर्तन होता है तो इस राशि में परिवर्तन हो सकता है। यदि ब्याज सब्सिडी निधि में कोई अधिकता / कमी होगी तो वह संबंधित योजना के पूरी हो जाने पर लौटाई जाएगी या समायोजित / प्रभारित की जाएगी।

(ii) ब्याज सब्सिडी निधि शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाया गया शेष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को दर्शाता है, जो त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) के तहत भविष्य में प्रोद्भूत ब्याज देयता के लिए ऋणग्राहियों को अंतरित की जानी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
-------	-------------------------------	-------------------------------



			प्रावधान			प्रावधान	
(क)	ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधान						
(i)	मानक परिसंपत्तियां	2,28,432.50	780.72	1,340.65	1,59,726.85	(38.55)	559.93
(ii)	पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां	24,167.65#	(950.53)	1,407.32	55,473.12	1,228.65	2,357.85
(iii)	अवमानक परिसंपत्तियां	17,375.97	(637.56)	1,737.60	23,751.56	1,887.40	2,375.16
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	8,637.03	944.20	3,652.46	6,677.81	1,986.27	2,708.26
(v)	हानि परिसंपत्तियां	715.10	442.26	715.10	272.84	24.56	272.84
(ख)	अन्य परिसंपत्तियां तथा उन पर प्रावधान						
(i)	अन्य परिसंपत्तियां – एनपीए / अशोध्य एवं संदिग्ध (उनसे भिन्न जिनको अच्छा माना गया है)	5.26	(12.01)	5.26	17.29	16.26	17.27
(ii)	व्यापार से प्राप्त* - एनपीए	10.68	2.94	10.68	7.74	7.74	7.74
	कुल योग	2,79,344.19	570.02	8,869.07	2,45,927.21	5,112.33	8,299.05

#4,937.59 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में और 19,230.06 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में (पिछले वर्ष 19,445.92 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में और 36,027.20 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में)।

\*पीएफसीसीएल (सहायक कंपनियों में से एक) और ईईएसएल (संयुक्त उद्यम) से संबंधित है।

13. ऋण परिसंपत्ति के मामले में, ऋणी द्वारा धोखाधड़ी की गई है; 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 442.26 करोड़ रुपए की बकाया राशि को हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी)।
14. ऋण परिसंपत्तियों के प्रतिभूत / अप्रतिभूत वर्गीकरण का आधार :
- (क) ऐसे मामलों में जहां कंपनी प्रमुख अथवा एकमात्र ऋणदाता है, यह ऋण परिसंपत्ति को प्रतिभूत समझेगी यदि चल परियोजना परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक करने की औपचारिकता पूरी की गई हो और ऋण परिसंपत्तियों के लिए परियोजना भूमि का 50 प्रतिशत से अधिक रेहन रखा गया हो। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन अपेक्षित होता है, मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रतिभूति की स्थिति अद्यतन की गई हो।
- (ख) अन्य सभी मामलों में, प्रमुख ऋणदाता से प्राप्त प्रतिभूति की स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।





16. क्षेत्राधिकार वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 जून 2015 के माध्यम से तदर्थ अंतरिम स्टे के मद्देनजर 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार एक ऋणग्राही के ऋण खातों के परिसंपत्ति पुनर्गठन को विधिक राय लेने के बाद मानक के रूप में अनुरक्षित किया गया है। तथापि, इस ऋण पर ब्याज को वसूली के आधार पर मान्य किया जा रहा है। तदनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रोद्भूत परंतु वसूले न गए 573.18 करोड़ रुपए के ब्याज / आय को मान्य किया गया है (पिछले वर्ष 413.03 करोड़ रुपए)। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार इस खाते में प्रावधान 515.46 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 163.17 करोड़ रुपए) है।
17. लेखांकन मानक 15 के अनुसार प्रकटन :
- (क) भविष्य निधि  
कंपनी निर्धारित दरों पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि के लिए नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो निधियों का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। इस अवधि के लिए निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया गया है तथा लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। न्यास को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सदस्यों को प्रतिफल की न्यूनतम दर का सुनिश्चय करना है। तथापि, प्रतिफल की निर्धारित दर के अनुसार सदस्यों को ब्याज के भुगतान के लिए किसी कमी की कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
- (ख) उपदान  
कंपनी की एक स्पष्ट उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता है। इसके लिए प्रावधान 20 लाख रुपए प्रति कर्मचारी की अधिकतम राशि के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के वर्षों की कुल संख्या के आधार पर विमांकिक मूल्यांकन पर किया गया है।
- (ग) पेंशन  
31 दिसंबर 2017 तक कंपनी की एक स्पष्ट अंशदान पेंशन योजना थी जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास करता था। निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान मासिक आधार पर प्रदान किया गया है। कंपनी ने 1 जनवरी 2018 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अपना ली है।
- (घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)  
कंपनी की सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सिलिंग के अधीन बहिरंग रोगी उपचार की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रावधान विमांकिक मूल्यांकन पर किया गया है। न्यास को सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त कारणस सुनिश्चित करना होता है। तथापि, कंपनी द्वारा किसी कमी की प्रतिपूर्ति की जानी होती है। कंपनी का यह अनुमान है कि निकट भविष्य में इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी और इसलिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।
- (ङ.) सेवांत लाभ  
सेवांत लाभों में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए गृह नगर में व्यवस्थापन शामिल है।
- (च) अवकाश  
कंपनी कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्ध वेतन अवकाश लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः 15 दिन और 10 दिन की दर से छमाही आधार पर प्रोद्भूत होता है। सेवा के दौरान किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश संचित किया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश के संचय की कोई सीमा नहीं है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है; जबकि सेवा के दौरान या अलग होने / अधिवर्षिता पर 10 वर्ष से पहले अर्ध वेतन अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है। 10 वर्ष की सेवा के बाद अलग होने पर या अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश का एक साथ अधिकतम 300 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। तथापि, सेवा से अलग होने पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (छ) उपर्युक्त योजनाएं (घ, ङ. और च) गैर वित्त पोषित हैं तथा विमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।
- (ज) लाभ एवं हानि लेखा विवरण, तुलन पत्र में वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मान्य किए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)।
- (झ) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय



(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
मौजूदा सेवा लागत	1.81 (1.91)	1.02 (0.78)	3.98 (3.22)
लाभ बाध्यता पर ब्याज लागत	1.75 (1.67)	1.64 (1.43)	2.41 (2.17)
योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1.93 (-1.84)	-1.45 (-1.01)	- (-)
पिछली सेवा लागत	10.87 (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में मान्य निवल विमांकिक (लाभ) / हानि	-10.76 (-0.21)	5.46 (2.87)	3.69 (2.44)
लाभ एवं हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय*	1.75 (1.53)	6.67 (4.04)	10.08 (7.83)

\*वर्ष के दौरान उपदान, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को आवंटित व्यय में क्रमशः 0.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए), 0.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.43 करोड़ रुपए) और 0.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.29 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

(ii) तुलन पत्र में मान्य की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बाध्यता का वर्तमान मूल्य (i)	26.02 (23.15)	27.81 (21.82)	22.12 (31.23)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (ii)	24.07 (21.74)	22.20 (18.15)	- (-)
अंतर (ii) - (i)	-1.95 (-1.41)	-5.61 (-3.67)	-22.12 (-31.23)
तुलन पत्र में मान्य की गई निवल परिसंपत्ति / (देयता)	-1.95 (-1.41)	-5.61 (-3.67)	-22.12 (-31.23)

iii) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
01 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार बाध्यता का वर्तमान मूल्य	23.16 (20.83)	21.82 (17.83)	31.23 (27.11)
अधिग्रहण समायोजन	- (-)	- (-)	- (0.01)
ब्याज लागत	1.75 (1.67)	1.64 (1.43)	2.41 (2.17)
मौजूदा सेवा लागत	1.81 (1.91)	1.02 (0.78)	3.98 (3.22)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
संदत्त लाभ	-0.85 (-0.99)	-2.36 (-1.09)	-19.24 (-3.72)
मौजूदा सेवा लागत	10.87 (-)	- (-)	- (-)
बाध्यता पर निवल विमांकिक (लाभ) / हानि	-10.76 (-0.27)	5.69 (2.87)	3.69 (2.44)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2018	25.99 (23.15)	27.81 (21.82)	22.06 (31.23)

iv) योजना की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	पीआरएमएस	अवकाश
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21.74 (20.47)	18.15 (0.00)	- (-)
योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1.93 (1.84)	1.45 (1.01)	- (-)
नियोक्ता द्वारा अंशदान	1.22 (0.47)	4.07 (17.93)	- (-)
संदत्त लाभ	-0.82 (-0.98)	-1.71 (-0.83)	- (-)
विमांकिक लाभ / (हानि)	- (-0.06)	0.24 (0.04)	- (-)
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	24.07 (21.74)	22.20 (18.15)	- (-)

v) पीआरएमएस की चिकित्सा लागत के लिए देयता पर मुद्रास्फीति की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रभाव निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	पीआरएमएस	सेवा एवं ब्याज लागत
-------	----------	---------------------

लागत में 1 प्रतिशत की वृद्धि	3.21	0.27
लागत में 1 प्रतिशत की कमी	3.09	0.26

vi) वर्ष के दौरान कंपनी ने ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीआरएमएस और अवकाश एवं पेंशन के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपए, 6.67 करोड़ रुपए, 9.56 करोड़ रुपए तथा 0.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.41 करोड़ रुपए, 4.04 करोड़ रुपए, 7.49 करोड़ रुपए और शून्य) की देयता का प्रावधान किया है। उपर्युक्त राशि में उपदान, अवकाश और पीआरएमएस के लिए सहायक कंपनियों को आवंटित क्रमशः 0.07 करोड़ रुपए, 0.41 करोड़ रुपए और 0.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए, 0.43 करोड़ रुपए और 0.29 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

#### I. अन्य कर्मचारी लाभ

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) के लिए 0.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.21 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है तथा लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित / क्रेडिट करके वर्ष के अंत में किए गए बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लंबी सेवा पुरस्कार (एलएसए) के लिए 0.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.59 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। एलएसए में सहायक कंपनियों को आवंटित 0.05 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रुपए) शामिल है।

#### ज. (I) योजना की परिसंपत्तियों का ब्यौरा - उपदान

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लागत पर योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	14.11	12.95
(ii)	कॉर्पोरेट बांड / डिबेंचर (1)	8.66	7.86
(iii)	अन्य निवेश तथा बैंक शेष	0.78	0.31
	कुल	23.55	21.12

(1) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार पीएफसी लिमिटेड ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा 0.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.60 करोड़ रुपए) मूल्य के कंपनी के बांड धारित किए गए हैं।

बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि
डिस्काउंट दर	7.87 प्रतिशत
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर - उपदान	7.94 प्रतिशत
भावी वेतन वृद्धि*	6.00 प्रतिशत

\*बिमांकिक मूल्यांकन में विचार की गई भावी वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखा जाता है।

#### (II) योजना की परिसंपत्तियों का ब्यौरा - पीआरएमएस

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार लागत पर योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	10.11	8.07
(ii)	कॉर्पोरेट बांड / डिबेंचर	10.46	8.54
(iii)	अन्य निवेश तथा बैंक शेष	1.14	0.97
	कुल	21.71	17.58

बिमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रधान मान्यताएं इस प्रकार हैं :

प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि
डिस्काउंट दर	7.87 प्रतिशत
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर - पीआरएमएस	7.76 प्रतिशत
भावी वेतन वृद्धि*	6.00 प्रतिशत

\*बीमांकिक मूल्यांकन में विचार की गई भावी वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संगत कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग को ध्यान में रखा जाता है।

(ट) प्रतिनियुक्ति / अनुसमर्थन आधार पर पीएफसीसीएएस, पीएफसीजीईएल और पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) में काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों (अर्थात उपदान, पीआरएमएस, सेवांत लाभ, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य कर्मचारी लाभ) को कर्मचारी लागत के नियत प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जा रहा है।

(ठ) अन्य प्रकटन

(करोड़ रुपए में)

उपदान*	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	25.99	23.15	20.74	19.36	17.98
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	24.07	21.74	20.47	19.14	17.12
सरप्लस / (घाटा)	(1.92)	(1.41)	(0.27)	(0.21)	(0.86)
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	9.27	1.38	1.09	1.10	0.31
योजना की परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.00	(0.06)	0.02	0.09	0.26

\*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उपदान मद में अंशदान 3.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.16 करोड़ रुपए) है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान योजना की परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल 1.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.79 करोड़ रुपए) है। इसके अलावा योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल का निर्धारण कई लागू कारकों पर विचार करके किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित योजना परिसंपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजना की परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक प्रतिफल शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

पीआरएमएस*	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	27.81	21.82	17.83	14.58	11.75
योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	22.20	18.15	-	-	-
सरप्लस / (घाटा)	(5.61)	(3.67)	(17.83)	(14.58)	(11.75)
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(6.46)	(1.34)	(2.36)	(2.11)	(1.54)
योजना की परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.24	0.03	-	-	-

\*कंपनी के सर्वोत्कृष्ट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीआरएमएस मद में अंशदान 5.62 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.97 करोड़ रुपए) है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान योजना की परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल 1.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.04 करोड़ रुपए) है। इसके अलावा योजना की परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल का निर्धारण कई लागू कारकों पर विचार करके किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से धारित योजना परिसंपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजना की परिसंपत्तियों से ऐतिहासिक प्रतिफल शामिल हैं।

(करोड़ रुपए में)

अवकाश	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	22.06	31.23	26.89	23.42	20.66

योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	(4.75)	(1.04)	(2.18)	(1.18)	(2.63)
--	--------	--------	--------	--------	--------

(करोड़ रुपए में)

एलएसए	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5.30	4.99	4.74	4.49	4.04
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	(0.25)	1.18	1.10	0.67	0.46

(करोड़ रुपए में)

ईआरएस	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1.67	1.63	1.50	1.24	1.24
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/ लाभ	0.31	0.52	0.02	0.38	0.46

(करोड़ रुपए में)

सामान भत्ता	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2014
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	0.20	0.13	0.11	0.10	0.09
योजना की देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01

#### 18. कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी :

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए 'कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की गतिविधियों पर व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी' के अनुसरण में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 100.20 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त सीएसआर व्यय के कारण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है। किए गए व्यय के आधार पर 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में 118.18 करोड़ रुपए की राशि प्रभारित की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर कंपनी द्वारा खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	151.19	167.64
पिछले वर्ष से अग्रणीत राशि	100.21	102.98
खर्च करने के लिए अपेक्षित सकल राशि	251.40	270.62
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	120.16	170.41
अप्रयुक्त राशि	131.24	100.21

(ग) वर्ष के दौरान सीएसआर की गतिविधियों पर खर्च की गई राशि :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2017-18			वित्त वर्ष 2016-17		
		भुगतान की गई या निस्तारित	अभी तक भुगतान नहीं किया गया है	कुल	भुगतान की गई या निस्तारित	अभी तक भुगतान नहीं किया गया है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) से भिन्न प्रयोजनों पर						
(iiक)	स्वच्छता / अपशिष्ट प्रबंधन / पेयजल	60.27	-	60.27	112.52	0.20	112.72
(iiख)	शिक्षा / व्यावसायिक कौशल विकास	26.45	-	26.45	30.32	-	30.32
(iiग)	पर्यावरणीय संपोषणीयता (सोलर एप्लीकेशन / वनीकरण / ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	27.12	-	27.12	20.93	0.76	21.69
(iiघ)	खेल	-	-	-	0.10	-	0.10
(iiड.)	अन्य	2.18	-	2.18	1.02	-	1.02
(iiच)	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक उपरिव्यय जो सीएसआर पर खर्च करने के लिए अपेक्षित कुल राशि के 5 प्रतिशत तक सीमित है	2.16	-	2.16	2.02	0.24	2.26
(iii)	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा खर्च की गई राशि	1.92	0.06	1.98	2.29	0.01	2.30
	कुल (ii)	120.10	0.06	120.16	169.20	1.21	170.41
	कुल योग (i) और (ii)			120.16			170.41

(घ) लेखांकन मानक (एएस) 18 - संबंधित पक्ष प्रकटन के अनुसार सीएसआर की गतिविधियों के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन का व्यौरा

प्रकटन - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ड.) एएस-29 के अनुसार वर्ष के दौरान सीएसआर प्रावधान में मूवमेंट को अलग से समेकित अन्य टिप्पणी भाग ग - 19 में दर्शाया गया है।

19. लेखांकन मानक - 29 के तहत अपेक्षित प्रावधानों का प्रकटन नीचे दिया गया है (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं) :

(करोड़ रुपए में)

के लिए प्रावधान	प्रारंभिक 01 अप्रैल, 2017 को शेष (1)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (2)	वर्ष के दौरान प्रयुक्त (3)	उलटाव (4)	31 मार्च, 2018 को अंत शेष 5 = (1+2-3-4)
सीएसआर	100.21 (102.98)	1.91 (167.64)	1.92 (170.40)	100.20 (-)	(100.22)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	- (79.20)	- (-)	- (79.20)	- (-)	- (-)
प्रस्तावित कॉर्पोरेट लाभांश कर अंतरिम लाभांश	1.79 (16.83)	0.84 (1.79)	1.79 (16.83)	- (-)	0.84 (1.79)
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	1,320.04 (-)	2,059.26 (1,320.04)	3,379.30 (-)	- (-)	(1,320.04)
अंतरिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर	67.18 (-)	419.22 (268.73)	471.16 (201.55)	15.24 (-)	(67.18)

20. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान समेकित लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन (टिप्पणी - भाग ख) जिनका वित्तीय प्रभाव है, निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	संशोधन	पीवीटी पर प्रभाव [वृद्धि / (कमी)]
	शीर्षक		
1.	(ग) 2.4 आय / व्यय की मान्यता	दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ऋणों पर उसके कार्यकाल के दौरान व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए अंतस्थापित किया गया।	120.64
2.	(ग) 8.2 मानक परिसंपत्तियों, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों तथा एनपीए के विरुद्ध प्रावधान करना।	आरबीआई के मानदंडों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान की दर 0.35 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत की गई है। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान की दर 4.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई है।	(114.05) (180.79)
		हिमालयन क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में पारेषण एवं वितरण, जीर्णोद्धार एवं जीवन विस्तार की परियोजनाओं तथा हाइड्रो परियोजनाओं से भी संबंधित पुनर्गठित परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता से	(67.83)

			संबंधित नीति को आरबीआई के पुनर्गठन मानदंडों के अनुसार संरेखित किया गया है।	
3.	ग9	विदेशी मुद्रा लेनदेन	केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण के मामले में विनिमय दर में अंतर को व्याज विभेद निधि लेखा - केएफडब्ल्यू में इसे अंतरित करने की पिछली नीति के विरुद्ध लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।	(1.51)
कुल				(243.54)

21. परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है :

क्र. सं.	परिसंपत्तियों की श्रेणी	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में)	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
1.	भवन	60	5 प्रतिशत
2.	ईडीपी उपकरण		
2A	सर्वर एवं नेटवर्क	6	5 प्रतिशत
2बी	अंतिम प्रयोक्ता डिवाइसें अर्थात डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि(1)	3	5 प्रतिशत
3.	कार्यालय एवं अन्य उपकरण(1)	5	5 प्रतिशत
3क	सेल फोन (2)	2	5 प्रतिशत
4.	फर्नीचर और फिक्सचर (1)	10	5 प्रतिशत
5.	वाहन (कार)	8	5 प्रतिशत
6.	अमूर्त परिसंपत्तियां (3)	5	-
7.	ईएससीओ परियोजनाएं (4)	परियोजना अवधि	-
8.	लीजहोल्ड सुधार (5)	पट्टा अवधि	-

- (1) कंपनी तथा पीएफसीजीईएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) द्वारा माना गया उपयोगी जीवनकाल।
  - (2) कंपनी, पीएफसीसीएल, पीएफसीसीएस, पीएफसीजीईएल (कंपनी की सहायक कंपनियों) और ईईएसएल (संयुक्त उद्यम) द्वारा उपयोगी जीवनकाल माना गया है।
  - (3) पीएफसीसीएल (कंपनी की सहायक कंपनी) के मामले में, उपयोगी जीवनकाल 3 वर्ष के रूप में माना गया है।
  - (4) जैसा ईईएसएल (संयुक्त उद्यम) द्वारा खुलासा किया गया है।
  - (5) ईईएसएल (संयुक्त उद्यम) द्वारा माना गया उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि या उनका उपयोगी जीवनकाल जो भी पीएफसीसीएल (कंपनी की एक सहायक कंपनी) के मामले में कम हो।
- लिखित मूल्य पद्धति का प्रयोग करके ऊपर क्रम संख्या 1 से 5 में उल्लिखित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया गया है तथा कंपनी द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके अमूर्त परिसंपत्तियों को परिशोधित किया गया है। इसके अलावा, सेलफोन के लिए उपयोगी जीवनकाल के बारे में कंपनी का अनुमान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अवधि से कम है और अन्य सभी मदों के लिए उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार है।
- ईईएसएल (कंपनी के संयुक्त उद्यमों में से एक) मूल्यहास के संबंध में अलग लेखांकन नीति का अनुसरण कर रहा है। ईईएसएल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसरण में सीधी रेखा विधि के अनुसार मूल्यहास प्रभारित किया जाता है, जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कंपनी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार मूल्यहास प्रदान करती है। आनुपातिक समेकन विधि का प्रयोग करने के लिए समायोजन करना कंपनी के लिए व्यवहार्य नहीं है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल जहां भिन्न लेखांकन नीति का प्रयोग किया जा रहा है, से संबंधित फिक्सड परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक का अनुपात फिक्सड परिसंपत्तियों के समेकित निवल ब्लॉक का 91.37 प्रतिशत (31 मार्च, 2017 के अनुसार 83.56 प्रतिशत) है।
22. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कंपनी की कोई बकाया देयता नहीं है (पिछले वर्ष 0.002 करोड़ रुपए)।
  23. लीजहोल्ड भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता है क्योंकि यह शाश्वत लीज है।
  24. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत आवश्यकता के अनुसार, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण के लिए 0.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.58 करोड़ रुपए) देय हुए थे जिसे जमा किया गया। इसके अलावा, दावेदारों द्वारा अंतरण की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण 2.63 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 2.03 करोड़ रुपए) का भुगतान नहीं हुआ।
  25. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार शेष राशि की पुष्टि करने के लिए ऋणग्राहियों को पत्र भेजे

हैं। उक्त शेष राशि के 99.12 प्रतिशत के लिए पुष्टि प्राप्त हुई है तथा 2291.39 करोड़ रुपए के लिए पुष्टि की प्रतीक्षा है।  
 26. लेखांकन मानक 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयताओं की स्थिति नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)		
(i) आयकर अधिनियम के तहत कटौती के अयोग्य व्यय के लिए प्रावधान	19.06	20.45
(ii) प्रारंभिक व्यय	-	-
(iii) कर्मचारी संबद्ध प्रावधान	0.48	0.45
(ख) आस्थगित कर देयताएं (-)		
(i) मूल्यहास	1.33	(0.45)
(ii) पट्टा आय	(66.64)	(66.00)
(iii) परिशोधन	(0.31)	(0.24)
(iv) परिशोधित विनिमय हानि (निवल)	(135.61)	(100.76)
(v) डेरिवेटिव के विरुद्ध बैंक से प्राप्य निवल एमटीएम	(55.70)	(101.00)
(vi) उधारियों पर अपरिशोधित व्यय	(58.77)	-
निवल आस्थगित कर देयताएं (-) / परिसंपत्तियां (+)	(296.16)	(247.55)

27. प्रति शेयर अर्जन पर लेखांकन मानक 20 के अनुपालन में, प्रति शेयर अर्जन की गणना (बुनियादी एवं तनुकृत) नीचे दी गई है :

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान
अंश गणक के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	5,844.11	2,236.10
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (बुनियादी)	264,00,81,408	264,00,81,408
बकाया स्टॉक विकल्पों का तनुकृत प्रभाव	-	-
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (तनुकृत)	264,00,81,408	264,00,81,408
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (बुनियादी) (रुपए में)	22.14	8.47
बकाया स्टॉक विकल्पों का प्रभाव (रुपए में)	-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, अंकित मूल्य 10 रुपए प्रत्येक (तनुकृत) (रुपए में)	22.14	8.47

28. (क) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		
	शेयर पूंजी का प्रतिशत	प्रति इक्विटी शेयर (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर पूंजी का प्रतिशत	प्रति इक्विटी शेयर (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)
प्रथम अंतरिम लाभांश	60 प्रतिशत (1)	6.00	1,584.05	50 प्रतिशत	5.00	1,320.04
द्वितीय अंतरिम लाभांश	18 प्रतिशत (2)	1.80	475.21	-	-	- अंतिस
लाभांश	-	-	-	-	-	-
कुल लाभांश	78 प्रतिशत	7.80	2,059.26	50 प्रतिशत	5.00	1,320.04

(1) निदेशक मंडल ने 03 नवंबर, 2017 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में घोषणा की तथा तथा 23 नवंबर, 2017 को भुगतान किया गया।

(2) निदेशक मंडल ने 26 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी 370वीं बैठक में घोषणा की तथा तथा 19 मार्च, 2018 को भुगतान किया गया।

(ख) अनिवासी शेयर धारकों को देय लाभांश

कंपनी ने वर्ष के दौरान लाभांशों की मद में विदेशी मुद्रा में कोई राशि नहीं भेजी है तथा इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि किस हद तक लाभांश की मद में विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण, यदि कोई हो, अनिवासी शेयर धारकों द्वारा / की ओर से किया गया है। अनिवासी शेयर धारकों (विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित) को अदा किए गए / देय लाभांशों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	प्रथम अंतरिम लाभांश		द्वितीय अंतरिम लाभांश		अंतिम लाभांश	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
वर्ष जिससे लाभांश संबंधित है						
अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	4,573	3,343	5,237	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उनके द्वारा धारित 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या	39,29,13,189	41,32,25,284	38,37,17,025	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लाभांश की सकल राशि (करोड़ रुपए में)	235.75	206.61	69.07	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

29. अन्य मुख्य वित्तीय पैरामीटर :

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
ऋण इक्विटी अनुपात	5.73	5.51
निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)	40,201.74	36,844.93

30. कंपनी की पूंजी निधि, जोखिम भारित परिसंपत्तियां तथा पूंजी जोखिम समायोजित अनुपात (सीआरएआर) नीचे दिए गए हैं :

मदें	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i) पूंजी निधि - क टीयर I (करोड़ रुपए में)	36,887.71	33,837.70
- ख टीयर II (करोड़ रुपए में)	6,479.79	6,373.62
(ii) तुलन पत्र में शामिल न की गई मदों के समायोजित मूल्य के साथ जोखिम भारित परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)	2,15,574.67	2,07,212.06
(iii) सीआरएआर	20.12 प्रतिशत	19.41 प्रतिशत
(iv) सीआरएआर - टीयर I पूंजी	17.11 प्रतिशत	16.33 प्रतिशत
(v) सीआरएआर - टीयर II पूंजी	3.01 प्रतिशत	3.08 प्रतिशत
(vi) टीयर II पूंजी के रूप में जुटाए गए सबॉर्डिनेटेड ऋण की राशि (करोड़ रुपए में)	-	-
(vii) शाश्वत ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि (करोड़ रुपए में)	-	-

31. प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इनको 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में वर्णित किया गया है।

32. सहायक कंपनियों के संबंध में, उनके लेखा परीक्षित लेखाओं से और इसी तरह ईईएसएल (संयुक्त उद्यम) के मामले में, उसके गैर लेखा परीक्षित लेखाओं से प्रकटनों को उपयुक्त ढंग से समेकित किया गया है।

33. आरबीआई के प्रमुख निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2016 के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां कृपया टिप्पणी भाग - ख का देखें।

(ख) पूंजी

सीआरएआर के लिए कृपया टिप्पणी भाग ग - 30 देखें।

(ग) निवेश



(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(1)	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
(क)	भारत में	2,291.29	3,234.93
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क)	भारत में	344.47	89.81
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
(क)	भारत में	1,946.82	3,145.12
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का मूवमेंट		
(i)	प्रारंभिक शेष	89.91	96.26
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	254.56	86.69
(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधानों का बढ़ा खाता / प्रतिलेखन		93.04
(iv)	अंत शेष	344.47	89.91

(घ) डेरिवेटिव

I. ऋण देयताओं के संबंध में वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	स्वैप करारों का सांकेतिक मूलधन	13,781.48	6,813.10
(ii)	हानियां जो होंगी यदि समकक्ष पक्ष करारों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं	180.81	299.87
(iii)	स्वैप करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	-	-
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य (काउंटरपार्टी बैंकों से प्राप्त)	167.60	299.87

II. कंपनी किसी विनिमय व्यापारित ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव की धारक नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)। III. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटन :

(क) विदेशी मुद्रा ऋणों से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंध (सीआरएम) नीति स्थापित की है। उक्त नीति संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए संरचना एवं संगठन निर्धारित करती है।

(ख) कंपनी रुपया एवं विदेशी मुद्रा देयता में ब्याज / विनिमय दर के बचाव के लिए डेरिवेटिव अर्थात् मूलधन केवल स्वैप, ब्याज दर स्वैप, विकल्प एवं वायदा संविदा करती है। सीआरएम नीति के अनुसार जोखिमों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें वरिष्ठ कार्यपालकों से बनी जोखिम प्रबंध समिति विभिन्न डेरिवेटिव लिखतों के माध्यम से प्रबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर एवं ब्याज दर जोखिमों की निगरानी करती है।

(ग) ये डेरिवेटिव लेनदेन बचाव के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टा के लिए। इनको आईसीएआई द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव पर मार्गदर्शन टिप्पणी / लेखांकन मानक 11 के अनुसार लेखांकित किया जाता है। उल्लिखित बाजार स्थिति के निशान वे हैं जो काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा सूचित किए गए हैं।

(घ) डेरिवेटिव लेनदेन पर संगत लेखांकन नीति के लिए कृपया टिप्पणी भाग ग - 10 देखें।

IV. ऋण देयताओं के संबंध में डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटन :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	बचाव के लिए डेरिवेटिव (सांकेतिक मूलधन) (1)	9,729.73	13,781.48	2,107.63	6,813.10
(ii)	बाजार स्थितियों पर चिह्नित (एमटीएम)				
	(क) परिसंपत्ति (+एमटीएम)	2.78	180.81	0.00	299.87
	देयता (-एमटीएम)	226.18	13.21	68.41	0.00
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बचाव रहित एक्सपोजर (2)	8,940.05	7,391.86	6,405.68	6,296.24

(1) ब्याज दर डेरिवेटिव में 5634.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 6164.60 करोड़ रुपए) की रुपया देयता पर डेरिवेटिव शामिल हैं।

(2) इसमें 293.29 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 291.83 करोड़ रुपए के यूएसडी / जेपीवाई को शामिल करते हुए) के लिए एक लेग (यूएसडी / आईएनआर) के लिए की गई वायदा दर संविदा के माध्यम से आंशिक रूप से सुरक्षित की गई जेपीवाई ऋण देयता शामिल है।

(ड.) प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

I. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूतिकरण लेनदेन नहीं किया है तथा 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकरण की मद में कोई एक्सपोजर नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

II. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण / परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को कोई वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

III. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई आवंटन लेनदेन नहीं किया है (पिछले वर्ष शून्य)।

IV. कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान न तो कोई गैर निष्पादक वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है और न ही बेची है (पिछले वर्ष शून्य)।

(च) परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिसंपत्ति देयता प्रबंध परिपक्वता पैटर्न :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	30/31 दिन तक	1 से अधिक और 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
डिपॉजिट (1)	532.95	-	-	-	-	-	-	-	532.95
अग्रिम (2)	4,494.07	688.44	3,905.59	7,918.51	12,704.58	42,811.88	47,806.05	1,59,026.60	2,79,355.71
निवेश (3)	-	-	-	-	1,070.76	-	-	1,265.60	2,336.36
उधारियां (4)	1,275.80	2,805.00	7,345.70	12,457.70	13,325.06	69,867.71	37,178.05	67,628.47	2,11,883.49
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	240.96	240.96
विदेशी मुद्रा देयताएं	4.67	-	5.93	-	2,348.39	5,174.02	8,024.53	2,702.55	18,260.08

(1) बैंकों में साविध जमा

(2) रुपया ऋण परिसंपत्तियां

(3) प्रावधान का निवल

(4) रुपया देयताएं

(छ) प्रकटीकरण

- I. कंपनी ने अचल संपदा क्षेत्र में कोई कारोबार नहीं किया है।
- II. पूंजी बाजार प्रकटीकरण :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार राशि	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार राशि
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कारपस का निवेश अनन्य रूप से कारपोरेट ऋण (पूर्णतः परिवर्तनीय तरजीही शेयरों में निवेश सहित) में निवेश न किया गया हो;	1485.14	1,428.78
(ii)	शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड्स की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों की कोलेटरल प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं अर्थात् जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से अग्रिम राशि पूरी तरह कवर नहीं होती है (ऐसे ऋणों को छोड़कर जिनमें प्रतिभूति निर्माण प्रक्रियाधीन हो);	-	-
(v)	शेयर दलालों को दिए गए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां;	-	-
(vi)	कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण जो शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा पर मंजूर किए गए हों अथवा जो संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर का योगदान पूरा करने के लिए स्पष्ट आधार पर दिए गए हों;	2,700.47	2,772.39
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को दिए गए सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधि / पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दोनों से संबंधित सभी जोखिम	6.15	6.15
	पूंजी बाजार से संबंधित कुल जोखिम	4,191.76	4,207.32

III. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्त पोषण का ब्यौरा : कंपनी की कोई मूल कंपनी नहीं है।

IV. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा पार की गई एकल ऋणग्राही सीमा (एसजीएल) / समूह ऋणग्राही सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा :

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एकल ऋणग्राही सीमा समूह ऋणग्राही सीमा के विरुद्ध अपनी विवेकपूर्ण जोखिम सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है।

V. अप्रतिभूत अग्रिम :

अग्रिमों की कुल राशि जिनके विरुद्ध राइट्स, लाइसेंस / प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं, 31

मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

(ज) वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों से प्राप्त पंजीकरण :  
शून्य

(झ) आरबीआई तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई तथा अन्य विनियामकों द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

(ञ) क्रेडिट रेटिंग

(क) वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग और रेटिंग का माइग्रेशन :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधिक रेटिंग	अल्पावधिक रेटिंग
1.	क्रिसिल	क्रिसिल एएए	क्रिसिल ए1+
2.	आईसीआरए	आईसीआरए एएए	आईसीआरए ए1+
3.	केयर	केयर एएए	केयर ए1+
4.	एसएमईआरए (पीएफसीजीईएल का)	एसएमईआरए एएए (स्टेबल आउटलुक)	

वर्ष के दौरान कोई रेटिंग माइग्रेशन नहीं हुआ है।

(ख) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी को आवंटित दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग :

क्र. सं.	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आउटलुक
1.	फिच रेटिंग	बीबीबी-	स्टेबल
2.	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एण्ड पी)	बीबीबी-	स्टेबल
3.	मूडीज	बीएए3	स्टेबल

(ट) अवधि, पूर्व अवधि की मदों के लिए निवल लाभ या हानि और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन पूर्व अवधि की समेकित मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में कृपया समेकित लाभ एवं हानि विवरण के अंतर्गत क्रमशः टिप्पणी भाग क-18 और समेकित अन्य टिप्पणी भाग ग-20 देखें।

(ठ) परिस्थितियां जिनमें महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का समाधान लंबित रहते राजस्व मान्यता स्थगित की गई है कृपया समेकित टिप्पणी भाग ग-16 देखें।

(ड) कंपनी लेखांकन मानक - 21 एवं 27 के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार कर रही है। कृपया इस संबंध में लेखाओं पर समेकित टिप्पणियों का भाग ग - 2 और भाग ग - 2.1 देखें।

(ढ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	344.47	(89.91)
एनपीएस के लिए प्रावधान	739.84	3,922.223
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	780.71	(38.55)
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियां	(950.53)	1,228.65
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	2,465.16	3,121.24

(ण) आरक्षित निधियों से आहरण द्वारा गिरावट कृपया टिप्पणी भाग क - 2 - समेकित आरक्षित एवं आधिक्य देखें।

(त) जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों और एनपीए का संकेन्द्रण

(क) जमा राशियों का संकेन्द्रण (जमा राशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए) - कंपनी जमा राशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी है।

(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
-------	-----------------------------	------------------------------------

	अनुसार	
20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों को कुल अग्रिम	1,62,724.45	1,53,506.95
कंपनी के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों को अग्रिमों का प्रतिशत	58.20 प्रतिशत	62.44 प्रतिशत

(ग) ऋण जोखिमों का संकेन्द्रण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों / ग्राहकों को कुल ऋण जोखिम	2,37,469.89	2,40,892.19
ऋणग्राहियों / ग्राहकों पर कंपनी के कुल ऋण जोखिम में 20 सबसे बड़े ऋणग्राहियों / ग्राहकों को ऋण जोखिम का प्रतिशत	53.80 प्रतिशत	56.13 प्रतिशत

(घ) एनपीए का संकेन्द्रण :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
चार शीर्ष एनपीए खातों में कुल बकाया राशि	12,326.29	22,667.83

(ड.) क्षेत्रवार एनपीए :

कंपनी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों में सकल एनपीए का प्रतिशत 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 12.50 प्रतिशत) है।

(थ) ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में एनपीए का मूवमेंट

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष 31 मार्च 2018 को	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष 31 मार्च 2017 को
(i)	निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (प्रतिशत)	7.55	10.55
(ii)	एनपीए का मूवमेंट (सकल)		
	(क) प्रारंभिक शेष	30,702.21	7,519.04
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	15,503.46	24,573.14
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	19,477.53	1,389.97
	(घ) अंत शेष	26,728.14	30,702.21
(iii)	निवल एनपीए का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	25,345.96	6,061.02
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,474.88	20,536.64
	(ग) वर्ष के दौरान कटौती	17,197.85	1,251.70
	(घ) अंत शेष	20,622.99	25,345.96
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) का मूवमेंट		
	(क) प्रारंभिक शेष	5,356.25	1458.02
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,028.57	4,036.50
	(ग) अधिक प्रावधानों का बढ़ा खाता / प्रतिलेखन	2,279.67	138.27
	(घ) अंत शेष	6,105.15	5,356.25

(द) संयुक्त उद्यमों या सहायक कंपनियों के रूप में कंपनी की विदेशों में कोई परिसंपत्ति नहीं है।

(ध) कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन पत्र के बाहर की सूची के लिए कृपया समेकित अन्य टिप्पणी भाग ग-2.1 देखें।

(न) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ग्राहकों की शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
(क)	वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

34. आरबीआई के प्रमुख निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थागत दृष्टि से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी

तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 18 में प्रावधान के अनुसार, जहां तक ये प्रयोज्य हैं

	विवरण	31 मार्च, 2018 को राशि		31 मार्च, 2017 को राशि	
		बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(1)	कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण एवं अग्रिम जिसमें उस पर प्रोद्भूत किंतु भुगतान न किया गया ब्याज शामिल है :				
(क)	डिबेंचर : प्रतिभूत	20,401.58	0.00	20,109.87	0.00
	: अप्रतिभूत	1,76,033.95	0.00	1,70,800.80	0.00
(ख)	(i) रुपया सावधि ऋण	10,525.00	0.00	2,000.00	0.00
	(ii) विदेशी मुद्रा ऋण	15,653.08	0.00	7,276.58	0.00
(ग)	वाणिज्यिक पेपर	6,924.74	0.00	-	0.00
(घ)	अल्पावधिक ऋण	-	0.00	2,400.79	0.00
	परिसंपत्ति स्लाइड	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन	
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरा (उनसे भिन्न जो नीचे (3) में शामिल हैं) (प्रावधानों का निवल) :	1,83,404.95		168,251.79	
	(क) प्रतिभूत				
	अप्रतिभूत	89,590.21		72,039.40	
(3)	पट्टा परिसंपत्तियों एवं किराए पर लिए गए स्टॉक और एएफसी गतिविधियों के लिए गिनी जाने वाली अन्य परिसंपत्तियों का ब्यौरा (प्रावधानों का निवल) :				
(i)	विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा परिसंपत्तियां :				
(क)	वित्तीय पट्टा	174.89		194.32	
(4)	निवेशों का ब्यौरा (प्रावधानों का निवल)				
	वर्तमान निवेश				
1.	उद्धरित				
	(i) शेयर				
	(क) इक्विटी	1,070.76		1,071.02	
2.	अनुद्धरित				
	(i) शेयर				
	(क) इक्विटी	-		254.51	
	दीर्घावधिक ऋण				
1.	उद्धरित				
	(i) शेयर				
	(क) इक्विटी	12.00		12.00	
	(ii) डिबेंचर एवं बांड	800.00		1800.00	
2.	अनुद्धरित				
	(i) शेयर				
	(क) इक्विटी	247.45		247.45	
	(ख) तरजीह	200.00		200.00	
	(ii) एसआईबी फंड की यूनिटें	6.15		6.15	
(5)	उपर्युक्त (2) और (3) में यथा विलत पोषित परिसंपत्तियों का ऋणी समूहवार वर्गीकरण : (प्रावधान के लागू मानदंडों के अनुसार)				
		प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार)		प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)	

श्रेणी		प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1.	संबंधित पक्ष						
(क)	सहायक कंपनी	0.00	557.63	557.63	0.00	496.18	496.18
(ख)	अन्य संबंधित पक्ष	0.03	0.49	0.52	0.40	0.46	0.50
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न	1,83,579.81	89,032.09	2,72,611.90	168,446.07	71,542.76	2,39,988.83
	कुल	1,83,579.84	89,590.21	2,73,170.05	1,68,446.11	72,039.40	2,40,485.51
(6) शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घावधिक) का निवेशक समूहवार वर्गीकरण							
श्रेणी		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		बाजार मूल्य / ब्यौरा\$ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों की निवल)		बाजार मूल्य / ब्यौरा\$ या उचित मूल्य या एनएवी	बही मूल्य (प्रावधानों की निवल)	
1.	संबंधित पक्ष						
(क)	सहायक कंपनियां	416.55	300.95		437.91	300.95	
(ख)	समान समूह में कंपनियां	166.78	146.50		183.86	146.50	
2.	संबंधित पक्षों से भिन्न						
(i)	उद्धरित	2,030.92	1,882.76		3,170.10	2,883.02	
(ii)	अनुद्धरित	342.70	6.15		331.47	260.66	
	कुल	2,956.95	2,336.36		4,123.34	3,591.13	
(7) अन्य सूचना							
	विवरण	राशि (31 मार्च, 2018 को)		राशि (31 मार्च, 2017 को)			
(i)	सकल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां						
(क)	संबंधित पक्षों से भिन्न	26,705.18		30,718.61			
(ii)	निवल गैर निष्पादक परिसंपत्तियां						
(क)	संबंधित पक्षों से भिन्न	20,600.07		25,345.95			
(iii)	कर्ज के बदले में अधिग्रहीत परिसंपत्तियां (निवेश का सकल मूल्य)	341.10		341.10			
भेदकारात्मक ब्यौरा मूल्य के मामले में, शून्य मूल्य पर विचार किया गया है							

35. आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए निदेशक मंडल तथा प्रबंध संरचना के संबंध में अपनाई गई पद्धति के अनुसरण में व्यवसाय के सेगमेंट की पहचान की जाती है। कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करना है जिसे लेखांकन मानक 17 के संदर्भ में एकमात्र प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट माना जाता है। अतः सेगमेंट की रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
36. आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए के निकटतम करोड़ में पूर्णांकित किया गया है।
37. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए, आवश्यक होने पर पिछली अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-

(मनोहर बलवानी)  
कंपनी सचिव

हस्ता/-

(एन बी गुप्ता)  
निदेशक (वित्त)  
डीआईएन - 00530741

हस्ता/-

(राजीव शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
डीआईएन - 00973413

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षरित

	कृते एम के अग्रवाल एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 01411N	फर्म पंजीकरण संख्या संख्या 000458N
	हस्ता/-	हस्ता/-
	(एम के अग्रवाल)	(भूपेंद्र सिंह)
स्थान : नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
दिनांक : 25 मई, 2018	सदस्यता संख्या 014956	सदस्यता संख्या 092867





# POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(A Navratna PSU)

Regd. Office : "Urjanidhi", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001

Tel. : 011-23456000, Fax : 011-23412545, Website : [www.pfcindia.com](http://www.pfcindia.com)

CIN : L65910DL1986GOI024862

Follow us on    /pfcindia